लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Chamber Fumigated.

सत्यमेव जयते

Conservation
27-5-92
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11—]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मुल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 20, शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 1964/20 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
465	कोयला खनन मशीन कारखाना	1797–98
466	वस्त्र उद्योग . . .	1798–1800
467	व्यापार चिन्ह के रुप में भगवान बुद्ध का चित्र	1800–01
468	डीजल विद्युत रेलवे इंजिन .	1801–05
469	गोआ में आयरन और रिडक्शन प्लांट	1805–06
470	औद्योगिक लाइसेंसों का हस्तांतरण	1806–08
471	रेलवे में श्रमिक सहकारी समितियां	1808–09
472	यात्रा सम्बन्धी रियायतें	1810–11
473	ब्रिटिश निर्यात सहायता योजना .	1811–12
474	कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	1812–13
475	बेबी फूड . .	1813–14
476	'कोशेर' मांस का दिया जाना	1814–16
477	मीट्रिक बाट तथा माप	1816–17
478	बिजली के इंजन	1817–18
479	अप्रयुक्त वैगन क्षमता	1818–19

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या		
480	वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों पर मूल्य नियंत्रण . .	1819–20
481	विद्युत् करघा जांच समिति	1820
482	दुर्गापुर में मिश्रधातु इस्पात परियोजना . . .	1820–21
483	पूर्व यूरोपीय देशों से व्यापार . . .	1821
484	सूती कपड़ा उद्योग . .	1821–22

अतारांकित प्रश्न संख्या		
1254	पालतू पशुओं का आयात	1822
1255	दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले . .	1822
1256	अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन सम्मेलन . . .	1823
1257	तृतीय श्रेणी के सोने वाले डिब्बे	1823–24

*किसी नामपर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है की प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव मे पूछा था ।

CONTENTS

No. 20, *Friday, December* 11, 1964/*Agrahayana* 20, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

**Starred Question Nos.*	*Subject*	*Pages*
465	Coal Mining Machinery Plant	1797–98
466	Textile Industry	1798–1800
467	Picture of Lord Buddha as Trade Mark	1800–01
468	Diesel Electric Locomotives	1801–05
469	Iron Ore Reduction Plant in Goa	1805–06
470	Transfer of Industrial Licences	1806–08
471	Labour Co-operative Societies on Railways	1808–09
472	Travel Concessions	1810–11
473	British Export Aid Scheme	1811–12
474	Collision at Kanpur-Anwarganj Railway Station	1812–13
475	Baby Food	1813–14
476	Serving of Kosher Meat	1814–16
477	Metric Weights and Measures	1816–17
478	Electric Locomotives	1817–18
479	Idle Wagon Capacity	1818–19

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
480	Price Control on Commercial Vehicles	1819–20
481	Powerlooms Enquiry Committee	1820
482	Alloy Steel Project at Durgapur	1820–21
483	Trade with East European Countries	1821
484	Cotton Textile Industry	1821–22
Unstarred Question Nos.		
1254	Import of Domestic Animals	1822
1255	Corruption Cases on S. E. Railway	1822
1256	I. S. O. Conference	1823
1257	Third Class Sleeper coaches	1823–24

* The sign + marked above the name of Member indicates that the question was actually asked or the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
1258	कोयले के लिए लाइसेंस	1824
1259	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर सामान की चोरी	1824–25
1260	रुई के मूल्य	1825
1262	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स	1825–26
1263	रेलगाड़ियों में भीड़भाड़	1826
1264	डीज़ल चालित रेलवे इंजन	1826–27
1265	लोक-सम्पर्क अधिकारी	1827
1266	गैर-सरकारी क्षेत्र	1827
1267	मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का चलना	1827–28
1268	पटसन का मूल्य	1828
1269	निर्यात	1829–30
1270	गजरौला–नजीबाबाद ब्रांच लाइन	1830
1271	उद्योग और संभरण मंत्रालय में समितियां	1830
1272	उत्तर रेलवे पर नये रेलवे स्टेशन	1831
1273	स्काउट प्रमाणपत्र	1831
1274	मोटर गाड़ी पारेषण जंज़ीरें	1831–32
1275	रेल दुर्घटनायें	1832
1276	सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपकरण	1832–33
1277	आयात लाइसेंसों में जालसाज़ी	1833
1278	रेलवे फाटक	1833–34
1279	नमक के कारखाने	1834
1280	आन्ध्र प्रदेश के मंत्री की विदेश यात्रा	1834–35
1281	हिसार में कच्चा लोहा संयंत्र	1835
1282	अरब देशों को केलों का निर्यात	1835
1283	पंचक्रा-हल्दिया रेलवे लाइन	1835–36
1284	वाणिज्यिक लिपिक	1836
1285	रेलवे में माल की चोरी	1836
1286	राष्ट्रमंडलीय निर्यात परिषद्	1836–37
1287	दक्षिण रेलवे में आकस्मित श्रमिक	1837
1288	उर्वरक का आयात	1837
1289	धमन-भट्टी की ईंटें	1838
1290	ट्रेन क्लर्कों की दृष्टि परीक्षा	1838
1291	कैथलकुची स्टेशन पर रेल दुर्घटना	1838–39
1292	इस्पात कारखाने के लिए जापान की सहायता	1839
1293	मैटूर में ऐल्यूमिनियम कारखाना	1839
1294	उदयपुर-हिम्मतनगर निर्माण परियोजना	1839–40

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1258	Licence for Coal	1824
1259	Pilferage of Goods on S. E. Railway	1824-25
1260	Cotton Prices	1825
1262	Bharat Heavy Electricals	1825-26
1263	Over-crowding in Trains	1826
1264	Diesel Locomotives	1826–27
1265	Public Relations Officers	1827
1266	Private Sector	1827
1267	Running of Mail and Express Trains	1827–28
1268	Price of Jute	1828
1269	Exports	1829-30
1270	Gajraula-Najibabad Branch Line	1830
1271	Committees in the Ministry of Industry and Supply	1830
1272	New Railway Stations on Northern Railway	1831
1273	Scout Certificates	1831
1274	Automobile Transmission Chains	1831–32
1275	Railway Accidents	1832
1276	Equipment for Irrigation Projects	1832–33
1277	Racket in Import Licence	1833
1278	Level Crossings	1833–34
1279	Salt Factories	1834
1280	Andhra Pradesh Minister's Visit Abroad	1834–35
1281	Pig Iron Plant at Hissar	1835
1282	Export of Bananas to Arab Countries	1835
1283	Panchkura-Haldia Railway Line	1835–36
1284	Commercial Clerks	1836
1285	Theft of Goods on Railway	1836
1286	Commonwealth Exports Council	1836–37
1287	Casual Labourers on S. Railway	1837
1288	Import of Fertilizers	1837
1289	Blast Furnance Bricks	1838
1290	Vision Test of Train Clerks	1838
1291	Accident at Kaithalkuchi Station	1838–39
1292	Japanese Aid for Steel Plant	1839
1293	Aluminium Plant at Mettur	1839
1294	Udaipur-Himatnagar Construction Project	1839–40

प्रश्नों के लिखित उत्तर–क्रमश :

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1295	रेल-इंजिन	1840
1296	ट्रेक्टरों का कारखाना	1840
1297	अमरीका को साइकलों का निर्यात	1841
1298	मध्य रेलवे में स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर	1841
1299	बरेली रेलवे स्टेशन पर घटना	1841
1300	सीमेंट का उत्पादन और निर्यात	1842
1301	उदयपुर के निकट चूने के पत्थर का निक्षेप	1842
1302	केरल में कातने की सरकारी मिलें	1842–43

सभा पटल रखे गये पत्र 1843

लोक सेवा समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन 1843

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक के बारे में याचिका 1844

सभा का कार्य 1844-46

कार्य मंत्रणा समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन 1846

वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—

श्री मु० क० चागला 1847–54

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—

श्रीमती चन्द्रशेखर 1854–56

श्री रामचन्द्र मलिक 1856–57

श्री गुलशन 1857–58

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सबंधी समिति—

तेपनवां प्रतिवेदन 1858

आणविक अस्त्रों के निर्माण के बारे में संकल्प—

श्री हुकमचन्द कछवाय 1858–59

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1295	Railway Engines	1840
1296	Tractor Plant	1840
1297	Export of Bicycles to U. S. A. . .	1841
1298	S. Ms. and A. S. Ms. on Central Railway . .	1841
1299	Incident at Bareilly Railway Station . . .	1841
1300	Production and Export of Cement . . .	1842
1301	Limestone Deposits near Udaipur . . .	1842
1302	Cooperative Spinning Mills in Kerala . . .	1842–43
	PAPERS LAID ON THE TABLE	1843
	PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE—	
	Twenty-ninth Report	1843
	PETITION RE : GOLD (CONTROL) BILL AS REPORTED BY JOINT COMMITTEE.	1844
	BUSINESS OF THE HOUSE	1844–46
	BUSINESS ADVISORY COMMITTEE—	
	Thirty-third Report	1846
	MOTION RE : ANNUAL REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1961-62 AND 1962-63—	
	Shri M. C. Chagla	
	MOTION RE : TWELFTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—	1847–54
	Shrimati M. Chandrasekhar	1854–56
	Shri Ram Chandra Mallick	1856–57
	Shri Gulshan	1857-58
	COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS—	
	Fifty-third Report	1858
	RESOLUTION RE : MANUFACTURE OF NUCLEAR WEAPONS—*NEGATIVED*	
	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	1858–59

विषय पृष्ठ

सामुदायिक विकास खण्डों से जीपों के हटाये जानें के बारे में संकल्प—

श्री किशन पटनायक . . 1859–60
श्री ओझा . . . 1860–61
श्री नारायण दांडेकर . . 1861
श्री इंद्रजीतलाल मल्होत्रा . . . 1862
श्री काशीराम गुप्त 1862
डॉ० सरोजिनी महिषी . 1862–63
श्री यशपाल सिंह 1863–64
श्री बाल्मीकी 1864–65
श्री शिकरे . . 1865
श्रीमती यशोदा रेड्डी 1865–66
श्री जयपाल सिंह 1866–67
श्रीमती सावित्री निगम . 1867
श्री जेना . 1867
श्री हुकमचन्द कछवाय . 1867
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा 1868
श्री सु० कु० डे . 1868–69

ठेके के श्रमिकों की प्रणाली की समाप्ति के बारे में संकल्प—

श्री अम्बिधार . 1869–70

अविलम्बनीय लोन महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में 'सी' बिजली घर का खराब हो जाना—

श्री हुकमचन्द कछवाय 1870–71
श्री शामधर मिश्र . 1870–71

Subject *Pages*

RESOLUTION RE : WITHDRAWAL OF JEEPS FROM COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCKS—

Shri Kishen Pattnayak . . . 1859–60
,, Oza 1860–61
,, N. Dandeker . . 1861
,, Inderjit Malhotra . . 1862
,, Kashi Ram Gupta . . . 1862
Dr. Sarojini Mahishi 1862–63
Shri Yashpal Singh 1863-64
,, Balmiki 1864–65
,, Shinkre 1865
Smt. Yashoda Reddy . . . 1865–66
Shri Jaipal Singh 1866–67
Smt. Savitri Nigam . . . 1867
Shri K. C. Jena 1867
,, Hukam Chand Kachhavaiya . . 1867
Smt. Lakshmikanthamma . . 1868
Shri S. K. Dey 1868–69

RESOLUTION RE : ABOLITION OF CONTRACT LABOUR SYSTEM

Shri Nambiar . . 1869–70

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Breakdown of 'C' Power Station in Delhi

Shri Hukam Chand Kachhavaiya . 1870–71
,, Shyam Dhar Misra . 1870–71

लोक-सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 1964/20 अग्रहायण, 1886 (शक)

Friday, December 11, 1964/*Agrahayana* 20, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा 11 बजे समवेत हुई

[The Lok Sabha met at Eleven of the clock]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

\+ **कोयला खनन मशीन कारखाना**

*465. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूसरा कोयला खनन मशीन कारखाना स्थापित करने के बारे में पोलैंड के विशेषज्ञों ने कोई प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की अनुमानित लागत के बारे में उन्होंने कुछ बताया है; और

(ग) क्या परियोजना के लिये स्थापना स्थान चुन लिया गया है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं। चौथी योजना के लिये कोयले के लक्ष्य में कमी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित संयत्र लगाने के सम्पूर्ण विचार की पुन: जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कार्यकरण ग्रुप ने इस प्रस्तावित कारखाने के विस्तार तथा उत्पादों के बारे में क्या सुझाव दिये हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : श्रीमान्, प्रस्तावित नये कारखाने के संबंध में परिवर्तन हुए हैं क्योंकि चौथी योजना में कोयले के लक्ष्य में कमी कर देने का विचार है। 1800 टन कोयले की बजाय, वर्तमान हिसाब के अनुसार, चौथी योजना में अब लक्ष्य कोई 1300 करोड़ टन के लगभग होगा । इस प्रकार से दूसरे कारखाने की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में सन्देह उत्पन्न हो गया है । अब विचार केवल 'डिज़ाइन' तथा 'इन्जीनियरिंग' के लिये ही कारखाना स्थापित करने का विचार है । इस परियोजना के अन्तर्गत दूसरी चीज़ जो की जायगी वह है ऐसे उपकरणों का निर्माण करना जो देश में अभी दुर्गापुर कारखाने में उपलब्ध नहीं है। इस प्रयोजन के लिये पोलैंड के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हो रही है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में जितने कोयला खनन सम्बन्धी मशीनों के कारखाने चल रहे हैं, उन के विस्तार द्वारा सरकारी क्षेत्र में एक नया कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता रहेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला धोने के कारखानों के लिये चार फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं। वे हैं : मैसर्स मेकनवी बर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी, मैसर्स ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी, मैसर्स टाटा राबिनज़ फ्रेज़र लिमिटेड और मैसर्स आरजेंट इन्जीनियरिंग कम्पनी। इस सम्बन्ध में अब तक कोई अधिक उत्पादन नहीं हुआ है।

Shri Bhagwat Zha Azad : Keeping in view the outlines of the scheme presented before the House, whether it can be said that if in case the manufacture of indigenous products is undertaken in the country, we will be able to manufacture all the products in the Country by the end of Fourth Five Year Plan.

Shri T. N. Singh : The production of the coal mining machinery will be of the order of about 45,000 tonnes in the Durgapur Plant which is being run in collaboration with the Russians. It is estimated that if our target for coal mining is to be 130 million tonnes, then the machineries etc. produced there together with the Polish equipment yet to be received, will serve our purpose.

श्रीमति सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या सरकार वर्तमान कोयला खनन मशीन कारखानों को, जो कि नितांत पुराने और अलाभकर प्रकार के हैं, आधुनिक बनाने के लिये कुछ आधुनिक प्रकार की मशीनें प्राप्त करने का विचार कर रही है।

श्री त्रि० ना० सिंह : दुर्गापुर में जितनी मशीनों आदि का निर्माण होने जा रहा है वे सब आधुनिक प्रकार की हैं।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने बताया कि पोलैंड के विशेषज्ञों से बातचीत हो रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी बातचीत किसी अन्य देश के साथ भी की गई थी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमने कोयला खनन मशीनरी उपकरण के निर्माण के लिये प्रत्यय सम्बन्धी समझौता पहले से ही पोलैंड से कर रखा है। इसलिये किसी अन्य पक्ष से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं थी, विशेषतया जब चौथी योजना में कोयला खनन की मांग कम होने का अनुमान है।

वस्त्र उद्योग

\+

*466. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री व्रजेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन के लिये वस्त्र उद्योग को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों में कोई फेरबदल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नये प्रोत्साहन क्या हैं, और

(ग) वस्त्र उद्योग की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) जी, नहीं, इसको छोड़कर कि अधुनिकीकरण को त्वरित करने के लिये मशीनों तथा उपकरणों का आयात, जोकि पहले जहाज तक निःशुल्क निर्यात मूल्य का 20 प्रतिशत था, बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे सभी मिलों को शीघ्रतापूर्वक आधुनिकीकरण करने में सहायता मिलेगी ।

Shri Yashpal Singh : What are the reasons for which the Government have to revise these incentives ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : The answer has been given for this that in order to accelerate modernisation the incentive has been raised by five per cent.

Shri Yashpal Singh : Is it not a fact that Government has given incentives to an extent that the woollen cloth is not available to the general public in the country.

Shri Manubhai Shah : The incentive has not been given in respect of woollen cloth. It is only the cotton cloth for which it has been given.

श्री विश्वनाथ राय : क्या वस्त्र उद्योग को दिये गये प्रोत्साहनों का ध्यान रखते हुए, चौथी योजना के दौरान ऐसे वस्त्र का निर्यात बढ़ेगा और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, वृद्धि अवश्य होगी । चालू वर्ष में निर्यात में 50 करोड़ रुपये से 58 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई है अर्थात् एक वर्ष में 8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । चौथी योजना में वस्त्र का कुल निर्यात तीसरी योजना में 97 करोड़ रुपया से बढ़ाकर 128 करोड़ रुपये का करने का अनुमान है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूँ कि ब्रिटेन द्वारा लगाये गये नये अधिभार का ब्रिटेन को किये जाने वाले वस्त्र निर्यात पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

श्री मनुभाई शाह : इस विषय पर एक पृथक प्रश्न है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जिनको भारत से वस्त्र का निर्यात किया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : प्रायः संसार के सभी देशों को, परन्तु मुख्यतया ब्रिटेन को ।

श्री कपूर सिंह : सुदूर-पूर्व, दक्षिण-पूर्वी ऐशिया तथा मध्य पूर्व के देशों में वस्त्र उद्योग की प्रतियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह महसूस करती है कि संसार की विदेशी मण्डियों में भारतीय वस्त्रों के निर्यात का इतना उज्वल भविष्य नहीं है और यदि हां, तो क्या हमारा आयोजन इस तथ्य की मान्यता पर आधारित है ?

श्री मनुभाई शाह : हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether the various incentives envisaged for the promotion of exports include assistance to the poor weavers who are engaged in this industry to earn their livelihood ?

Shri Manubhai Shah : We are paying attention towards them. More handloom fabrics are now being exported.

Shri K. N. Tiwary : Have any export promotion incentives been given to the textile, handloom, power loom and khadi textile industries and what are their quantities which were exported..

Shri Manubhai Shah : It has already been said that the incentive is specially for handloom industry and the "India-Madras Products" have earned foreign exchange of Rs. 5½ crores.

डा० रानेन० सेन : वस्त्र उद्योग को दूसरे पंचवर्षीय योजना में कुछ करोड़ रुपये कारखानों के आधुनिकीकरण के लिये दिये गये थे। इस राशि को कहां तक उपयोग में लाया गया है और इस प्रयोजन के लिये तीसरी योजना में कितनी राशि नियत की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य का संकेत राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कार्यकरण की ओर है तो इसमें हमें बहुत सफलता मिली है। तथापि प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसार इस कार्य को भारतीय वित्त निगम के सौंप दिया गया है।

व्यापार चिन्ह के रुप मे भगवान बुद्ध का चित्र

\+

*467. **श्रीमति सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ति :
श्री नारायण दास :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित धोतियों पर भगवान बुद्ध के चित्र का एक व्यापार चिन्ह के रूप में प्रयोग किये जाने के बारे में लंका के सरकार ने कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमति सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह लाया गया है अथवा उन्होंने ऐसा समाचार देखा है कि एक कम्पनी ने महात्मा बुद्ध के चित्र का अपने व्यापार चिन्ह के रूप में प्रयोग किया है और धोतियों पर उसे मुद्रित किया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : व्यापार तथा पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 11 (ख) के अधीन कोई ऐसा व्यापार चिन्ह प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जिस से भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की सम्भावना हो। मैं माननीय सदस्या द्वारा निर्देशित मामले के बारे में नहीं जानता हूं। आप कृपया सूचना मुझे पहुंचा दें ताकि मैं इस बारे में छानबीन कर सकूं।

श्रीमति सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या वस्त्र आयुक्त अथवा मंत्रालय को इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिससे बुद्ध धर्म के अनुयायों की भावनाओं को ठेस पहुंची है कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मुझे इस का ज्ञान नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों का व्यापार चिन्ह के रूप में प्रयोग को भी रोका जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल ही पृथक प्रश्न है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have any orders been issued that photos of the national leaders will neither be printed on any cloth nor used as trademark in future and if not, whether Government propose to issue any such orders?

Shri Manubhai Shah : This question does not relate to national leaders, it relates to Lord Buddha.

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि व्यापारियों ने न केवल महात्मा बुद्ध के चित्र का प्रयोग किया है, परन्तु श्री नेहरू जी के चित्र का प्रयोग गरम पानी की बोतलों तथा फ्लास्कों पर भी किया है, यदी हां.

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमारा सम्बन्ध इस बात से है कि क्या महात्मा बुद्ध के चित्र के प्रयोग के बारे में अभ्यावेदन भेजा गया है।

श्री हेम बरुआ : परन्तु हमारी सरकार को सतर्क रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रश्न को मत उठाइये।

श्री हेम बरुआ : मैं ने फ्लास्कों तथा गरम पानी की बोतलों पर श्री नेहरू के चित्र को लगा हुआ देखा है। यह हाल ही का मामला है। इसी लिये मैं जानना चाहता था कि सरकार उन व्यापारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है जो लाभ के लिये हमारे नेताओं के नाम को बेचना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय उपमंत्री जी ने व्यापार चिन्ह पंजीयन अधिनियम के एक खण्ड को पढ़ कर सुनाया है। यह खण्ड बहुत कुछ सन्दिग्ध सा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस खण्ड को अधिक ठोस और निश्चित प्रकार का बनाने के लिये किसी सुझाव पर विचार कर रही है जिससे इस धारा अथवा खण्ड के अन्तर्गत ऐसा कोई काम न किया जा सके।

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य कृपया यह देखें कि यह खण्ड बहुत व्यापक प्रकार का है। धार्मिक चित्रों का व्यापार चिन्ह के रूप में प्रयोग करना निषिद्ध है। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि किसी जीवित व्यक्ति अथवा राष्ट्रीय नेता के चित्रों का प्रयोग निषिद्ध होना चाहिये तो उन्हें इस बारे में एक सुझाव देना चाहिये।

श्री श० न० चतुर्वेदी : क्योंकि यह तथ्य अब सरकार के ध्यान में लाया गया है, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय : शांन्ति, शांन्ति अगला प्रश्न।

\+ **डीजल विद्युत रेलवे इंजिन**

*468. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री कोया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 54 डीजल विद्युत रेलवे इंजिनों के लिये न्यूयार्क की "एल्को प्रोडक्ट्स" को क्रयादेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, ये इंजिन कब तक प्राप्त हो जायेंगे तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ग) क्या भारत में रेलवे इंजिन तथा डीजल के इंजिन बनाने के हेतु वाराणसी में निर्माण सम्बन्धी सुविधा देने के लिये "एल्को प्रोडक्ट्स" तकनीकी सहायता देने के लिये तैयार हो गई है ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ये रेल इंजन जून, 1965 तक मिल जायेंगे। संविदा की कुल कीमत (न्यूयार्क में जहाज तक नि:शुल्क) 12,240,456.44 अमरीकी डालर है, जो 5.83 करोड़ रुपये के बराबर है।

(ग) जी हां।

श्री सुबोध हंसदा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह 54 डीज़ेल विद्युत इंजिनों सम्बन्धी क्रयादेश 'एल्को प्रोडक्ट्स' द्वारा प्रविधिक उपकरण के सम्भरण करने सम्बन्धी संविदा का अंग है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह एक पृथक क्रयादेश है। यह इस वर्ष मई में दिया गया था। यह क्रयादेश डीज़ल इंजिन कारखाने का भाग नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : मैं जान सकता हूं कि क्या इन इंजिनों का सम्भरण पूर्णत: तैयार रूप में किया जायगा अथवा हमारे टेक्नीकल लोगों के प्रशिक्षण के भाग के रूप में इन का संयोजन भारत में किया जायगा ?

डा० राम सुभग सिंह : जी नहीं, यह इंजिन तैयार रूप में आयेंगे ; वे प्रशिक्षण का एक भाग नहीं हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : डीज़ल इंजिनों के निर्माण में भारतीय कर्मचारिवृन्द को प्रशिक्षण देने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

डा० राम सुभग सिंह : हम वाराणसी में एक बढ़िया डीज़ल इंजिन वर्कशाप की स्थापना कर रहे हैं। वहां पर 1967-68 तक प्रतिवर्ष 150 डीज़ल इंजिन तैयार करने की योजना है। इस के पश्चात हम अपने विस्तार कार्यक्रम के अनुसार वहां 230 डीज़ल इंजिन तैयार कर सकेंगे।

Shri Bhagwat Jha Azad : In view of the demand of the country whether these 54 diesel locomotives will be enough for our purposes and if not, when it will be possible for us to manufacture them in a large scale with "The Alco Technical Assistance" ?

Dr. Ram Subhag Singh : Actually 1158 diesel locomotives will be required in the Fourth Five Year Plan, and as I said earlier in my reply to a supplementary, a plan has already been prepared to manufacture 150 diesel locomotives and by 1967-68 this number will be manufactured in the Varanasi Workshop. The additional requirement would be met by imports.

Shri Yashpal Singh : Will the Government be pleased to state the capacity of these locomotives as compared to the existing ones and whether Suri Invention will be made use of therein ?

Dr. Ram Subhag Singh : In fact their capacity cannot be compared as they are imported ones. As far as their capacity is concerned it is satisfactory. Since so far the locomotives have been procured from abroad, there was no occasion to compare them with any other locomotive.

श्री हेम बरुआ : क्या यह तथ्य नहीं है कि हमारी सरकार स्वयं देश में डीज़ल इंजिनों का निर्माण कर रही है और दक्षिण-पूर्वी एशिया में बाज़ार का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही है; यदि हां, तो बाहर से डीज़ल इंजिन आयात करने का क्या प्रयोजन है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा मैं ने पहले कहा है हम इन इंजनों का निर्माण करने जा रहे हैं और पहले डीज़ल इंजिन का संयोजन किया गया था और इस वर्ष जनवरी में चालू किया गया था। कुछ अन्य इंजिनों का निर्माण किया जा रहा है। परन्तु हम 1967-68 तक केवल 150 इंजिनों का निर्माण कर सकेंगे। अतः दक्षिण-पूर्वी एशिया में बाज़ार की खोज का तो प्रश्न ही नहीं है क्यों कि हम जितना निर्माण करने जा रहे हैं उस से कहीं अधिक हमारी अपनी मांग होगी।

Shri Kanshi Ram Gupta : May I know whether the quality of the diesel locomotives will be as good as that of the imported ones or not and whether the cost of these locomotives in comparison to the other engines will be less or not ?

Dr. Ram Subhag Singh : In comparison to the engines being procured from abroad, their capacity will definitely be the same and the cost will be a bit less.

Shri Ram Sewak Yadhav : The hon. Minister said that "the Alco Products" have agreed to provide technical assistance at Varanasi. I want to know whether the work has since been started or not ; and if not, when it will be started ?

Dr. Ram Subhag Singh : The work had since been started. The first locomotive was assembled in January with foreign parts. Now the locomotives are being manufactured there. After some days the use of Indian parts will be much increased and the complete locomotive would be manufactured with the indigenous parts.

Shri Tulshidas Jadhav : Is Government manufacturing narrow gauge locomotives also in India ?

Dr. Ram Subhag Singh : We would require 50 such locomotives, but there only broad gauge locomotives are being manufactured.

Shri Bibhuti Mishra : May I know the number of meter gauge locomotives among the 54 diesel locomotives which are being procured by the Government and if there are no metre gauge locomotives, whether Government propose to manufacture diesel locomotives for metre gauge ?

Dr. Ram Subhag Singh : As I said, according to our requirements, we would require 370 metre gauge locomotives during the Fourth Five Year Plan. Only broad gauge locomotives are being manufactured in the Varanasi Workshop. The rest will be imported till it starts working at its full capacity.

श्री रामचन्द्र मलिक : क्या हम चालू वर्ष में विदेशों से विद्युत इंजिनों का आयात करने जा रहे हैं और यदि हां तो, कौन से देशों से ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is already in the question that these will be imported from abroad.

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि वाराणसी कारखाने का उत्पादन कार्यक्रम अनुसूचि से पीछे है और, यदि हां, तो सरकार उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने के लिये विचार कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में वाराणसी कारखाने में उत्पादन कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार चल रहा है। जो कुछ थोड़ी कठिनाई हम अनुभव कर रहे है वह इस लिये है कि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। कुछ पुर्जे अमरीका से भी मंगाये गए हैं और जिस समय भी वे आ जायेंगे सब काम ठीक चलेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : 1967-68 तक "अलको प्रोडक्ट्स" की सहकारिता में जिन रेल-इंजिनों का निर्माण किया जाएगा उनमें य पुर्जे कितने प्रतिशत होंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : हमारे कार्यक्रम के अनुसार ये पुर्जे 90 प्रतिशत तक हो जाएँगे। इस समय ये लगभग 20 प्रतिशत हैं।

श्री वी० चं० शर्मा : क्या डीजल तथा बिजली से चलने वाले रेल-इंजिनों के निर्माण में होने वाली किफायत का अनुमान लगाया गया है और क्या देश में वाष्पचालित इंजिनों की तुलना में ये इंजिन अधिक सस्ते पड़ते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : वाष्प, डीजल तथा बिजली से चलने वाले तीनों प्रकार के इंजिनों की किफायत का अनुमान लगाने पर, डीजल तथा बिजली से चलने वाले इंजिन ही अधिक सस्ते पड़ते हैं क्योंकि वाष्पचालित इंजिन की तुलना में इनकी खींचने की शक्ति 50 से 55 प्रतिशत तक अधिक होती है। अच्छी खीचने की शक्ति उपलब्ध करने की समस्या को हम तबतक नहीं सुलझा सकेंगे जब तक डीजल तथा बिजली से चलने वाले रेल-इंजिन न चालू कर दिए जाएं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या माननीय मंत्रीने डीजल इंजिनो के संबंध में अथवा डीजल-बिजली इंजिनों के संबंध में उत्तर दिया है और यदि उन्होंने डीजल-बिजली इंजिनों के निर्माण के संबंध में बताया है तो क्या उनका निर्देश "ए० सी०" इंजिनों अथवा "डी० सी०" इंजिनो के प्रति है ?

डा० राम सुभग सिंह : चूंकि प्रश्न डीजल तथा बिजली दोनों से चलने वाले इंजिनों के संबंध में पूछा गया था इसलिये दोनों के ही संबंध में उत्तर दिया गया है। परन्तु मूल प्रश्न डीजल इंजिनों के संबंध में ही था। जहां तक चितरंजन में बने "ए० सी०" बनाम "डी० सी०" इंजिनों का प्रश्न है हमें वहां कुछ ए० सी० तथा कुछ डी० सी० बिजली चालित इंजिनो का निर्माण करना है और इसलिए दिए गए उत्तर में अधिक परस्पर विरोधी बात नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह महिड़ा : कितने मालगाड़ी के तथा कितने सवारीगाड़ी के इंजिन बनाए जाएँगे, विभिन्न रेलवे को वितरित किए जाने वाला कोटा पृथक पथक कितना है ?

डा० राम सुभग सिंह : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कपूर सिंह : क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि निकट भविष्य में वाष्पचालित इंजिन निर्माण करने की हमारी क्षमता को पूरी तरह डीजल तथा बिजली से चलने वाले इंजिन निर्माण करने के लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दिया जाएगा ?

डा० राम सुभग सिंह : पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारे इस समय के सोचने के अनुसार तो छठी पंच वर्षीय योजना तक कुछ वाष्पचालित इंजिन बनाए जाएँगे परन्तु धीरे-धीरे यह स्थान हमें डीजल तथा बिजली चालित रेल-इंजिनों के निर्माण को देना होगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the cost per locomotive being imported from abroad and the cost per locomotive proposed to be manufactured by us ? Is the speed of these locomotives more than that of the steam engine ? If so, how much ?

Mr. Speaker : The latter part of the question has already been replied to.

Dr. Ram Subhag Singh : The cost per imported locomotive on its landing is near about Rs. 13 to 18 lakh.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : No reply has been given as regards to the second portion of the question.

Dr. Ram Subhag Singh : The cost of the locomotive being manufactured at Varanasi will be a little lesser.

श्री दे० जी० नायक : क्या सब रेलवे पर एक ही समान डीजलीकरण होगा ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हाँ, क्योंकि डीजलीकरण यातायात की आवश्यकता के कार्यक्रम के अनुसार लागू किया जा रहा है। जहाँ भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ हमें डीजलीकरण तथा विद्युतकरण करना पड़ेगा परन्तु वास्तव में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी रेलवे पर ऐसा करना पड़ेगा।

गोआ में आयरन ओर रिडक्शन प्लांट

\+

*469. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'एस्सो लिमिटेड' ने गोआ में एक आयरन ओर रिडक्शन प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं तथा सरकार ने उनके बारे में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि यदि मद्रास तेल शोधक कारखाने में 'एस्सो' द्वारा सहयोग करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो 'एस्सो' द्वारा गोवा में इस प्लांट के स्थापित करने के बदले में उससे कच्चा तेल खरीदने की जो शर्त्त है उसमें कोई परिवर्तन कर दिया जायगा अथवा वह शर्त्त समाप्त भी की जा सकती है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इन सब बातों को अभी तय किया जाना है और यह मामला अभी आरम्भिक स्थिति में ही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस प्लांट के अन्तिम उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्रतिवर्ष कितनी आय होगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : ऐसा बताया जाता है कि 3 करोड़ डालर के लगभग विदेशी मुद्रा की आय होगी ।

श्री के० दे० मालवीय : गोआ में 'आयरन ओर रिड्यूसिंग प्लांट' लगाने के लिए विशेष रूप से 'एस्सो' ही किस प्रकार योग्य हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह एक नयी विधि है जिसका प्रयोग किया गया है और उनका विचार है कि वे "नैफ्था" से इस आयस्क को तैयार करके उसका निर्यात कर सकते हैं। उनका विचार है कि वे इसको अधिक मात्रा में तैयार कर सकते हैं। परंतु यह बात कच्चे तेल के आयात पर निर्भर करती है; और क्योंकि उन्हें "नैफ्था" की आवश्यकता है तो यह स्वाभाविक है कि हम इस मामले में स्वयं कोई निर्णय नहीं कर सकते और इसका "पैट्रोलियम" मंत्रालय से गहरा संबंध है।

श्री शिंकरे : उपमंत्री ने अभी अभी कहा है कि यह प्रस्ताव विचाराधीन है। क्या इस प्रस्ताव पर एक ओर 'एस्सो लिमिटेड' को तथा दूसरी ओर भारत सरकार को पक्ष मानकर विचार किया जा रहा है या फिर एक ओर 'एस्सो लिमिटेड' को तथा दूसरी ओर किसी व्यक्ति अथवा निजी समवाय को पक्ष मानकर इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

श्री संजीव रेड्डी : जैसा कि मैंने पहले बताया, इस प्लांट का स्थापित करना कच्चे तेल के आयात पर निर्भर करता है क्योंकि इस विधि के लिए "नेफ्था" आवश्यक है। पैट्रोलियम मंत्रालय से इस विषय में आगे बातचीत चल रही है।

औद्योगिक लाइसेंसों का हस्तांतरण

\+

*470. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963-64 तथा 1964-65 में अब तक सरकार की जानकारी में कोई ऐसे मामले आये हैं जिनमें उन एककों की, जिनके लिये औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे, स्थापना के लिये कोई कदम उठाने से पहिले ही वे लाइसेंस किसी अन्य को हस्तांतरीत कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामले कितने हैं ; और

(ग) लाइसेंसों के केवल हस्तांतरण के लिये ही कुल कितनी धनराशि दी गई ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं। इस संबन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान 5 जून, 1964 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 435 के उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री ने समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ा है जिसमें कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख है जिनमें लाइसेंसदारों ने कुछ मुनाफा लेकर एककों की स्थापना से पूर्व ही औद्योगिक लाइसेंस दूसरे को हस्तांतरित कर दिये ? यदि ऐसा है तो इस बात की जांच पड़ताल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य किन मामलों का जिक्र कर रही हैं। परन्तु इस विषय पर नियम तो बहुत स्पष्ट है कि लाईसेंसदारों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। स्थापित व्यवसायों का मामला भिन्न है क्योंकि उन्हें विधि के अनुसार अपना नाम बदलने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य आवेदन में दिया हुआ है।

श्री त्रि० ना० सिंह : जी हां ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार की निगाह में कोई ऐसा मामला आया है जहां कि वह मंत्रालय से इस प्रकार की परिवर्तन कराने की आज्ञा चाही हो ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस प्रकार के दो मामले लाईसेंस समिति के विचाराधीन हैं। वह भी इसमें कोई परिवर्तन करने के हक में नहीं हैं।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस प्रकार के काम करने का ढंग का पता है जो व्यवसाय कारोबार को बदल कर लाईसेंस बदल देते हैं और फिर नये मालिक अपने व्यवसाय का नाम बदल लेते हैं ? इसके बाद क्या सरकार ने उनके पिछले कारनामों की छानबीन करने तथा उक्त कार्यवाही करने का निश्चय किया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं स्थिति को साफ करना चाहता हूं क्योंकि कुछ गलतफहमी दिखाई देती है। लाईसेंसों को हस्तांतित करने का उन्हें हक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को शिकायत है कि इस नियम के होते हुए भी हस्तान्तरण होते रहते हैं।

श्री त्रि० ना० सिंह : जी नहीं। इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि कोई ऐसा मामला हमारे ध्यान में लाया गया तो तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री नाथ पाई : क्या मंत्री जी यह मानने से इन्कार करेंगे कि औद्योगिक लाईसेंसों की मंडी बम्बई में खूब फलफूल रही है और यदि वह इन्कार करते हैं तो इन्कार करने से पूर्व अपने सहयोगी से बात करलें क्योंकि बम्बई में लाईसेंस लाभ पर बेचे जाते हैं और बम्बई के मुख्य औद्योगिक तथा व्यापारी दैनिक समाचार-पत्र भिन्न भिन्न प्रकार के लाईसेंसों के बाजार प्रिमियमों का बाजार भाव लिखते रहते हैं। मैं इस प्रकार के पत्र दिखा सकता हूं।

श्री त्रि० ना० सिंह : औद्योगिक लाईसेंस न ही तो हस्तान्त्रित किये जा सकते है और नही उन्हें ऐसा करने की अनुमति है। केवल स्थापित व्यवसाय ही हस्तान्त्रित किये जा सकते है।

श्री नाथ पाई : मैं हस्तान्त्रित करने के बारे में कानून नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो प्रथा के बारें में पूछ रहा हूं कि ऐसी प्रथा चल रही है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह अपने बाएं बाजू पर बैठे सहयोगी से परामर्श लेने को तय्यार नहीं हैं और स्वयं भी इसके बारे में नहीं जानते हैं।

श्री उ० मु० त्रिवेदी : वह भी इसके बारे में जानते हैं और उन्हें इसका अभ्यास भी हैं। वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे। फिर अब इन्कार कैसे कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या पूंजी निर्गम नियंत्रक ने सरकार से ऐसा कहा है कि उन व्यक्तियों को अपने लाईसेंस हस्तांत्रित करने तथा कोई भुगतान करने की अनुमति न दी जावे जो केवल उद्योगों के प्रोत्साहक है ? यदि ऐसा है तो सरकार की इस बारें में क्या प्रतिक्रिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह किसी विशेष मामले के बारे में जिक्र कर रहे हैं ?

श्री प्र० चं० बरुआ : जी नहीं, मैं तो सामान्य रूप से पूछ रहा हूं ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इस प्रश्न में अदायगी के प्रश्न को नहीं समझ सका हूं ।

रेलवे में श्रमिक सहकारी समितियां

\+

*471. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री 3 अक्तुबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में 5 लाख रुपये से कम रकम के ठेके श्रमिकों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को देने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय और सामुदायिक विकास एवं सहकार मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच 12-8-1964 को जो बैठक हुई थी, उसकी कार्यवाही अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है ।

वास्तविक श्रमिकों की श्रम सहकार समितियों को 5 लाख रुपये तक के मिट्टी के काम के ठेके दिये जा सकते हैं । इसके अलावा, सुविधा-सम्बन्धी काम, कर्मचारियों के लिए क्वार्टर, अनुरक्षण आदि से सम्बन्धित दूसरे छोटे-मोटे और साधारण काम के ठेके भी उन्हें दिये जा सकते हैं । लेकिन अन्य ठेकेदारों के साथ वास्तविक श्रमिकों की श्रम सहकार समितियों को भी टेण्डर देना होता है और ठेके के सम्बन्ध में इन समितियों को कोई तरजीह नहीं दी जाती ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या मंत्री महोदय को पता है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा राज्यों में पी० डब्ल्यू० डी० के महकमे इस प्रकार की श्रमिक सहकार समितियों को विशेष 5 प्रतिशत की रियायत देते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां, हमें इन सारी बातों का ज्ञान है ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या सरकार विभिन्न स्टेशनों पर दुकान देने के लिये जो टेंडर की प्रथा है उसे ज्यूं का त्यूं रखेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : हम सहकार समितियों को तरजीह देने वाले हैं परन्तु यह तरजीह हमारे 12 अगस्त, 1964 की मीटिंग जो कि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय के साथ हुई थी, के अनुसार होगा ।

श्री लहरी सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पूर्व इसके कि कोई ठेका ऐसी सहकार समिति को दिया जावे, यह पता लगा लिया जाता है कि यह वास्तविक श्रमिकों की समिति है ?

डा० राम सुभग सिंह : हम भी यही करते है क्योंकि हम ठेके ऐसे व्यक्तियों को नहीं देंगे जो वास्तविक श्रमिक नहीं हैं। हमारी इच्छा है कि सहकार समितियां वास्तविक श्रमिकों की हों।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know what facilities will be given to these Co-operatives. What facilities will be given with regard to security, loan and payment ?

Dr. Ram Subhag Singh : Only 50 per cent of earnest money is given in such societies. At the rate of 5 per cent of the income is deducted for their initial security deposit.

Shri Onkar Lal Berwa : What facilities would be afforded regarding payment ?

Dr. Ram Subhag Singh : That will depend according to their work.

Shri Onkar Lal Berwa: My point is that payment of bills is made monthly. Will they be given fortnightly ? Apart from this the Government gives Rs. 50 thousand for starting work on a contract of the value of Rs. 5 lakh to the Co-operative societies. Will they be given this amount ?

Mr. Speaker : What can I do, if the Government does not give them more facilities ?

Shri Onkar Lal Berwa : They cannot function without these facilities.

श्री रामचंद्र मलिक : क्या मैं यह जान सकता हूं कि रेलवे स्टेशनों पर श्रमिक सहकार समितियों की संख्या कितनी है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं इसके पूर्व सूचना चाहूंगा क्योंकि एक लक्ष्य निर्धारित किया आ है। हम चाहते हैं कि फेरी वालों की सहकार समिति में कम से कम 25 कार्यकर्ता हो। श्रमिक ठेके समितियों में जो सामान और पार्सलों का काम करती हैं 100 श्रमिक हों तथा श्रमिक ठेके और मकान बनाने वाली समितियों में 50 श्रमिक हों। क्योंकि इन विस्तृत कार्यक्रमों का काम विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे संभाल हुए हैं, मैं यह सूचना उन सब से प्राप्त करके दूंगा।

Shri Ram Sewak Yadav : I would like to know what special facilities would be given to workers cooperative societies when compared to contractors or will both be treated alike ?

Dr. Ram Subhag Singh : As regards the question of earnest money I have stated that only 50 per cent of it will have to be deposited.

Mr. Speaker : The same question was put by Shri Onkar Lal Berwa.

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know what special facilities will be given to labourers' Cooperative Societies in comparison to contractors ?

Dr. Ram Subhag Singh : I have already answered it,

यात्रा सम्बन्धी रियायतें

+

*472. { श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के नवम्बर तथा जनवरी, 1965 के दौरान विभिन्न केन्द्रों में होने वाली अनेक राष्ट्रीय बठकों में भाग लने वालों के लिये रेलव बोड ने यात्रा सम्बन्धी कुछ रियायतों की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो ये राष्ट्रीय बैठकें कौन-कौन सी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 3602/64]

श्री राम सेवक : इन संस्थाओं को जो रियायतें प्रस्तुत की गई हैं उनकी मात्रा क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : रियायतों का तरीका इस प्रकार है : दूसरे दर्जे का मेल का किराया देकर प्रथम श्रणी में यात्रा की जा सकती है; तीसरी श्रेणी का मेल का किराया देकर दूसरी श्रेणी की यात्रा तथा तीसरी श्रेणी का मेल का किराया देकर तीसरी श्रणी में यात्रा की जा सकती है। सम्मेलनों के लिये एक ओर का किराया देकर दोनों ओर की यात्रा करने का टिकट दिया जावेगा ।

श्री राम सेवक : मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी कौनसी संस्थायें हैं जिन्होंने इस प्रकार की रियायतों के लिये प्रार्थना की है परन्तु जिन्हें ये नहीं दी गई हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं ऐसी संस्थाओं की एक सूची रखूंगा। जिन्हें यह रियायतें दी गई हैं उनकी संख्या 56 है। जिन्हें मना कर दिया गया है उनकी संख्या 13 है। मैं यह सूची सभा पटल पर रखूंगा।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that the basis for giving this concession from November to January is that both the sessions of the Congress are to take place during this period ?

Dr. Ram Subhag Singh : It will be contrary to our principles because no concession is given to political parties.

डा० सरोजिनी महिषी : किसी संस्था को यात्रा संबंधी रियायत देने की कसौटी क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : मुख्य कसौटी तो यह है कि यह अखिल भारतीय हो और उसका कार्य स्थानीय, वैभागिक अथवा क्षेत्रीय न हो। दूसरे, यह कोई जातीय या राजनीतिक या धार्मिक भेद भाव न बरते। इसके अतिरिक्त तीन-चार सिद्धान्त और हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it a fact that every person who participates in such national conferences has more than one permanent pass. If so, why does the Railway Minister support such people and will he lay on the table of the House a list of persons who have more than one such pass ?

Dr. Ram Subhag Singh : So far as I have been able to follow the hon. member, I think, he is referring to the passes given on permanent basis. He is right to some extent and we are withdrawing them.

श्री बासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को किसी ऐसे मामल का पता लगा है जिसमें इस रियायत का दुरुपयोग किया गया है। यदि हां, तो कितने मामलों में ऐसा किया गया है?

डा० राम सुभग सिंह : एक ऐसा मामला हमारी निगाह में आया है और हम उसके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : आंध्र प्रदेश सर्वोदय सम्मेलन अथवा महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा को किस प्रकार अखिल भारतीय संस्था समझा जाता है?

डा० राम सुभग सिंह : मेरे मन में भी यह शंका उत्पन्न हुई थी। शायद इसपर विचार किये जाने के समय उनके मन में मराठी भाषा के महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन की बात थी जिसमें कि सारे राज्यों के उन लोगों का प्रतिनिधित्व है जो वह भाषा बोलते हैं।

डा० मा० श्री० अणे : यह मराठी भाषा सभा अपितु महाराष्ट्र स्थित हिन्दी राष्ट्रभाषा प्रचार सभा है।

श्री शिव मूर्त्ति स्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही सुविधा अखिल भारतीय मतदाता परिषद् को भी मिलेगी यदि उसकी बैठक दिल्ली में हो?

अध्यक्ष महोदय : उन्हे पहले सुविधा के लिये प्रार्थना तो करने दो।

Shri K. N. Tiwary : Will the facilities of pass and concessions given to attend these national bodies be given to groups of farmers also who want to go to other States to study the farming system there ?

Dr. Ram Subhag Singh : Such facilities have been given.

ब्रिटिश निर्यात सहायता योजना

*473. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ब्रिटिश निर्यात सहायता योजना की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का भारत से होने वाले निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ब्रिटिश सरकार ने निर्यातित माल पर लगाने जाने वाले करों में छूट देने के लिए एक योजना चालू करने की 26 अक्तूबर, 1964 को घोषणा की।

(ख) ब्रिटिश घोषणा के अनुसार, इस योजना के अधीन दी जाने वाली छूट, निर्यातित माल के मूल्य औसतन लगभग 1-1½ प्रतिशत होगी और ब्रिटिश निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बना देगी। इससे ब्रिटिश निर्यात का संवर्धन होगा। किन्तु अभी यह कहना समय से पूर्व होगा कि इस योजना के कारण ब्रिटिश निर्यात की बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा भारत के निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : ऐसे कौन-कौनसे देश तथा ऐसी कौन-कौनसी वस्तुएँ हैं जिनमें हमें ब्रिटिश निर्यातकर्त्ताओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है?

श्री मनुभाई शाह : मुख्यत: हमारी प्रतिस्पर्धा राष्ट्रमंडलीय देशों में और किसी सीमा तक योरोपीय साझा बाजार में हो सकती है। मुख्य वस्तुएँ कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, चमड़े का सामान तथा किसी सीमा तक दस्तकारी की चीजें होंगी।

श्री दी० चं० शर्मा : योरोपीय स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र को निर्यात संवर्धन सहायता देने के क्या प्रभाव हुए है और क्या योरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ को होने वाले हमारे निर्यात में कोई कमी होगी?

श्री मनुभाई शाह : इन छूटों के देने के फलस्वरूप योरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ को किए जाने वाले हमारे निर्यात में कोई कमी नहीं होनेवाली हैं क्योंकि हमें किसी प्रकार की बाधा योरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ के साथ नहीं वरन् योरोपीय साझा बाजार के साथ निर्यात करने में है।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : ब्रिटेन को किए जाने वाले कपड़े के निर्यात पर 15 प्रतिशत ब्रिटिश सरचार्ज क्या प्रभाव होगा ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो मैंने बता दिया है ; हमारा अनुमान लगभग 10 करोड़ रुपए का है जोकि कपड़े के विषय में ही नहीं किन्तु समस्त निमित्त वस्तुओं के संबंध में है।

श्रीमती सावित्री निगम : यह छूट ब्रिटिश निर्यात में ही सहायक होगी और ऐसी वस्तुओं में से कुछ की तो भारतीय निर्यात से प्रतिस्पर्धा है–इसलिए क्या सरकार का भारतीय निर्यात के संबंध में कोई सहायता देने का कोई विचार है या ऐसी कोई योजना है ?

श्री मनुभाई शाह : अनेकों योजनाएँ हैं।

श्री हेडा : क्या सरकार ने ब्रिटेन द्वारा निर्यात के लिए दिए गए प्रोत्साहन की विभिन्न बातों पर विचार किया है और क्या उसने उनमें कोई ऐसी बात पायी है जो हमारी परिस्थितियों में अपनायी जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : इन प्रोत्साहनों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वस्तुत: 'दी फाइनेन्सियल टाइम्स' में पिछले सप्ताह यह उल्लेख किया गया था कि ब्रिटिश सरकार कुछ भारतीय पद्धतियाँ अपनाएगी। अतएव यह सब आपसी आदान-प्रदान की बात है।

श्री अल्वारेस : आज प्रात: ही आयात व्यापार के धराए जाने की घोषणा के आधार पर ब्रिटेन में आयात होने वाली चीनी पर कुल कितनी हानि होगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न उससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री श्यामलाल सर्राफ : अब ब्रिटेन ने आयात संबंधी-अपनी नीति की घोषणा कर दी है तो इस बात को देखते हुए क्या हमारी सरकार को भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे यहाँ से ब्रिटेन को होनेवाले निर्यात, पर कोई प्रभाव न पड़े ?

श्री मनुभाई शाह : विदेशी व्यापार के मामले में विशेषकर निर्यात के संबंध में, हमें हर तरह प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी न किसी प्रकार का प्रोत्साहन न देता हो जैसा कि मैं सदन में बारबार बता चुका हूँ। अत: हमें न बातों की निरन्तर जानकारी हैं और हम समय समय पर अपनी सहायता के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं।

Collision at Kanpur-Anwarganj Railway Station

†

*474. **Shri Ram Harkh Yadav :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 4th November, 1964, Gonda-Kanpur 3 UP goods train collided with the goods wagons at Kanpur-Anwarganj Railway Station (North-East Railway), resulting in the derailment of some wagons ;

(b) if so, the loss of life, if any, and the estimated damage caused to the Railway property as a result thereof ; and

(c) the action taken by Government in the matter :

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes, sir.

(b) There was no loss of life. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 850.

(c) The accident was enquired into by a committee of railway officers and their report is under scrutiny.

Shri Vishwa Nath Pandey : May I Know causes of the accident as mentioned in the enquiry report thereof?

Mr. Speaker : Has the report been received?

Shri Sham Nath : The report has been received but no decision has so far been taken so far on the recommendations made therein?

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether the accident was due to the negligence on the part of the Station Master or somebody else?

Shri Sham Nath : Probably, the accident took place due to the mistake of line Jamadar.

बेबी फूड

*475. **श्रीमान सिंह पू० पटेल :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उनके मंत्रालय के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए बेबी फूड उत्पादन के मूलत: निश्चित लक्ष्य बढ़ाये जायें ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में बेबी फूड बनाने की जितनी क्षमता बनाने के लाइसेंस दिये गये थे ; उसमें से कितनी क्षमता बना ली गई हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री ब्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कुल जितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दिये गये थे, उसमें से 1963 में लगभग 71 प्रतिशत क्षमता प्राप्त कर ली गई है ।

श्री मान सिंह पू० पटेल : क्या यह सच है कि पशु-पालन तथा दूध की सहकारी समितियों के कार्यकारी दलों ने यह सिफारीश की थी कि दूध उत्पाद के लाइसेंस केवल सहकारी समितियों को दिए जाएँ। क्या यह सच है कि सहकारी संघों के प्रार्थना करने पर भी सरकारने एक निजी संस्था को लाइसेंस दिया है जबकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और सामुदायिक विकास मंत्रालय ने बेबी फूड के अधिक उत्पादन के लिए सिफारिश नहीं की थी ?

श्री ब्रि० ना० सिंह : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और योजना आयोग से पूरी तरह परामर्श करके यह लक्ष्य 11,000 टन से बढ़ाकर 12,000 टन कर दिया गया है। यह कहना सच नहीं है कि किसी विशेष फर्म को सहकारी समितियों के मुकाबले अधिक महत्व दिया जा रहा है। कुछ मामले ऐसे हैं जो अभी विचाराधीन हैं।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : मंत्री महोदय ने कहा कि उत्पादन की लाइसेंस दी हुई क्षमता पूरी नहीं हुई है और प्रधान मंत्री को सहकारी समितियों के पक्ष में की हुई सिफारिश और कैरा जिला सहकारी संघ जैसे अनुभवी सहकारी संघों की ऐसे लाइसेंस के लिए प्रार्थना को ठुकरा दिये जाने के बावजूद भी क्या यह सच है कि यह मंत्रालय एक ऐसी निजी संस्था को लाइसेंस देने में अभिरूचि रखता है जिस ने पूरी तरह स्किम दूध के पाउडर का उत्पादन आरम्भ नहीं किया है और यह बात सहकारी समितियों को लाइसेंस दिये जाने के विरुद्ध है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं तो यह नहीं कहूँगा कि इस मंत्रालय की अभिरुचि.....

श्री मान सिंह पृ० पटेल : यह मेरा सीधा आरोप है।

अध्यक्ष महोदय : यह समय आरोप लगाने का नहीं है। प्रश्न-काल तो सूचना प्राप्त करने लिए है, आरोप लगाने, मान हानि करने, लांछन लगाने अपराधारोपन करने आदि के लिए नही।

श्री त्रि० ना० सिंह : योजना आयोग के सदस्य की हैसियत से उन दिनों जबकि यह मामला विचाराधीन था मैंने सहकारी समितियों को अधिक महत्व देने की आवश्यकता पर विशेष रुप से बल दिया।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : दो सहकारी समितियों को, जिनमें से एक समिति बेबी फूड का उत्पादन कर रही है, लाइसेंस नहीं दिए गए तथा इस निजी संस्था को लाइसेंस दे दिया गया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : सहकारी समितियों की लाइसेंस के लिए कोई प्रार्थना नहीं ठुकराई गयी।

Shri Bhagwat Jha Azad : Has it come to the knowledge of Government that non-availability of baby food in the country is not due to its less production, but is mainly due to hoarding, black marketing? Is it not true that the baby food will not be available even after increasing its productions to any extent because the hoarders and black-marketeers continue to hold its stock?

Shri T. N. Singh : It seems that there has been some cornering in this respect....However its production should be increased as its demand will also increase during the Fourth Plan period.

डा० रानेन सेन : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बेबी फूड की कमी उसके बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण है और इस बेबी फूड के जमा स्टाकों को बाहर निकलवाने के लिए उसके उत्पादन की वृद्धि करने के साथ साथ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सच है कि बड़ी मात्रा में बेबी फूड के जमा करने के मामलों का पता लगा है। इस बात से ही पता चलता है कि सरकार इन जमा स्टाकों का पता लगाने के लिए तथा इसके लिए दोषी व्यक्तियो को दंड देने के लिए कदम उठा रही है।

'कोशेर' मांस का दिया जाना

*476. **श्री कपूर सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के अधीन भोजन की जो दूकानें तथा कैंटीन हैं, उनमें ग्राहकों को 'कोशर' मांस ही दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि उच्च हिन्दू जातियों के लिये सामान्यतया तथा सिखों के लिये विशेषतया 'कोशेर' मांस का खाना धार्मिक रूप से वर्जित है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि समस्त यूरोप तथा सभ्य एवं धर्मनिरपेक्ष देशों में मांस एक नियम के रूप में, वैज्ञानिक "झटका" रीति से जानवरों का वध करके प्राप्त किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार कहके लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) से (घ) वर्तमान नीति के अनुसार इस तरह का कोई निदेश नहीं दिया गया है और न देने का विचार है कि रेलवे की खान-पान की दुकानों तथा कैंटीनों में किसी सम्प्रदाय विशेष के लिए स्वीकार्य मांस का इस्तेमाल किया जाय ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि पहली बार 1930 के लगभग जब सर मुहम्मद जफरूल्ला खां रेलवे मंत्री थे रेलवे में पूरी तरह कोशेर मांस देने की प्रथा पहली बार चालू की गई थी और स्वतंत्रता के बाद भी सरकार इस बात पर डटी रही क्योंकि भारतीय कानून ही ढीला है ? यदि हां, तो इस को बदलने पर विचार क्यों नहीं किया जाता ?

डा० राम सुभग सिंह : इसके लिए तथा दूसरी चीजों के लिए रेलवे में मांग है और इसलिए हमने सोचा कि किसी विशेष प्रकार के मांस का उपयोग करने की बात केटरर के विवेक पर छोड़ दी जाए ।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न के लिए टालमटोल की जा रही है । मेरा प्रश्न था कि क्या यह तरीका पूरी तरह चल रहा है ?

श्री रघुनाथ सिंह : श्रीमान, कोशेर मांस का क्या अर्थ है ?

डा० राम सुभग सिंह : हलाल ।

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न का पहला भाग यह है कि यह प्रथा 1930 से चल रही है ।

डा० राम सुभग सिंह : यह मैंने बता दिया है ।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या यह प्रथा अब भी पूरी तरह चल रही है । उनका कहना है कि "उन्होंने यह बात केटरर पर या ठेकेदार पर छोड़ दी है" । यह कोई उत्तर नहीं है, यह तो टालमटोल करना है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका दूसरा प्रश्न क्या है ?

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार के लिए यह शर्म की बात नहीं है कि वह इस प्रकार इस देश की अधिकांश जनता के धार्मिक विश्वास में दखल दे रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके उत्तर में क्या वह हां या न कहेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : यह बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है । हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं । प्रत्येक भांति के व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों की संतुष्टि करना किसी भी धर्म निरपेक्ष सरकार के लिए बहुत कठिन होता है । हम इन चीजों को वैज्ञानिक आधार पर चालू करने जा रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, मेरा प्रश्न.....

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, आप शीघ्रता से.....

अध्यक्ष महोदय : जब दो माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं ?

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, वह तो केवल विरोध प्रकट कर रहे हैं जबकि मैं केवल एक बात कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : दोंनो ही मेरी ओर मुखातिब हैं । एक ही काम एक समय में किया जा सकता है ।

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, आपने प्रश्न के महत्व को शीघ्र ही जान लिया । प्रश्न एक विशिष्ट बात के लिए है और उत्तर स्पष्ट होना चाहिए । यद्यपि प्रश्न सहानुभूतिपूर्ण है परन्तु विषय से संबद्ध नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या यह शर्म की बात है या नहीं । इसका क्या उत्तर है ?

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, इस बात का कोई महत्व नहीं है कि भोजन के लिए जानवर किस प्रकार काटा जाता है। महत्व की बात यह है कि वह पकाया कैसे जाता है। उसका क्या कारण है कि हमारी जसी धर्म निरपेक्ष सरकार इस प्रकार के मामले में रूचि ले रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह प्रश्न तो मेज पर बैठकर ही सुलझाया जा सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : वह मांस जो किसी विशेष प्रकार से प्राप्त किया जाता है तथा पकाया जाता है जब लोगों के धार्मिक विश्वास पर आघात पहुंचाता है तो क्यों उसको रेलवे रेस्तरांओं तथा कारों में भोजन में परोसा जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है ।

श्री हेम बरुआ : यह प्रश्न केवल मांस खाने वालों तक ही सीमित होना चाहिए ।

मीट्रिक बाट तथा माप

\+

*477. { **श्री प्र० चं० बरुआ :** / **श्री यशपाल सिंह :** }

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान **30 नवम्बर, 1964 के 'टाइम्स आफ इण्डिया'** के **'मिनिस्टरी फर्स्ट कल्परिट'** शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि वाणिज्य मंत्रालय मीट्रिक बाट तथा माप के बजाये अभी भी पुराने मापों का ही प्रयोग कर रहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन के आंकड़े साधारणतः एफ० पी० एस० इकाइयों तथा मीट्रिक इकाइयों दोनों में दिये जाते हैं, परन्तु अनजाने में समाचार में उल्लिखित प्रेस विज्ञप्ति में, उत्पादन के आंकड़े केवल गजों में ही दिये गये थे और उत्पादन के आंकड़े मीटरों में दिये जाने से छूट गये थे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : किन परिस्थितियों में वाणिज्य मंत्रालय ने देश में सूत तथा कपड़े के उत्पादन संबंधी आकड़े को किलोग्रामों और मीटरों में रखनें के बजाए पौंडों ओर गजों में रखा है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : दोनों तरह की व्यवस्था हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह प्रेस को देते समय भूल से छूट गया था ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में भी कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य मीटरों की बजाये गजों में निर्धारित किया गया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जी नहीं ; यह दोनों में ही रखा गया हैं ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have thought over that while this system is not understood even by big I.C.S. officers and directors, how a layman, ordinary public can follow it?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : It is not the case. When the switch-over is going on, both the figures are given for ten years for the general information.

बिजली चालित रेलवे इंजन

†

*478. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने का विस्तार करने की योजना स्वीकार कर ली गई है जिससे चौथी योजना के अन्त तक बिजली चालित रेलवे इंजनों का निर्माण कार्य दूगना हो जाये ;

(ख) क्या वर्तमान सुविधाओं का उपयोग करके आरम्भिक पूंजी व्यय को कम करने के लिए कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) बिजली के इंजनों के पुर्जों का निर्माण देश में किस सीमा तक बढ़ रहा है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) बिजली के बहुत से पुर्जों को देश में तैयार करने का काम बढ़ रहा है । प्रोटोटाइप तैयार किये गये हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है । देश में निर्माण-कार्य के विकास के साथ-साथ विदेशी मुद्रा की उत्तरोत्तर बचत हो रही है और आशा है कि 1966-67 तक प्रति रेल इंजन विदेशी मुद्रा का खर्च घटकर लगभग 3.7 लाख रुपये हो जायगा, जबकि इस समय यह खर्च प्रति रेल इंजन 6.8 लाख रुपये आता है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : चितरंजन कारखाने की बिजली के इंजनों का उत्पादन करने की कुल क्षमता कितनी है ? क्या पूर्ण क्षमता का उपयोग किया गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : क्षमता प्रतिवर्ष 72 बिजली के इंजन तैयार करने की है । इस समय चितरंजन कारखाने की क्षमता का इसी आधार पर विकास किया जा रहा है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इंजनों की हमारी कुल आवश्यकता कितनी है और उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ? भाप के, डीजल के और बिजली के इंजनों की पृथक पृथक आवश्यकता कितनी है ?

डा० राम सुभग सिंह : इससे पहले के एक प्रश्न के उत्तर में, मैं तृतीय और चतुर्थ दोनो पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े बता चुका हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : यह बताया गया है कि 1966 तक प्रति रेल इंजन विदेशी मुद्रा का व्यय 6 लाख 80 हजार रुपये से घटकर 3 लाख 70 हजार रुपये हो जायेगा । क्या यह केवल 1966 से ही होगा अथवा एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार होगा ? क्या विदेशी पुर्जों को यथासमय बिलकुल ही न लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा; यह कार्य यकायक ही नहीं किया जा सकता ।

श्री दे० जी० नायक : तीन प्रकार के इंजनों, अर्थात् डीजल, बिजली और भाप के इंजनों, की तुलनात्मक लागत कितनी कितनी हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : इसके लिये मुझे पृथक से प्रश्न से सूचना दी जाये ।

Shri Onkar Lal Berwa : From which countries these components are being imported ?

Dr. Ram Subhag Singh : Most of the components are imported from America, Switzerland and other countries according to the loans we get from them. For some components global tenders are invited, but some components are manufactured in the country also.

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि शनैः शनैः भाप के सामान्य रेलवे इंजनों का उत्पादन बन्द कर दिया जायेगा और चितरंजन कारखाने में केवल बिजली के इंजनों का ही उत्पादन किया जायेगा ? यदि हां, तो भाप के इंजनों की हमारी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : भाप के इंजनों का उत्पादन पूरी तरह से बन्द नहीं किया जायेगा । इसके लिये एक क्रमबद्ध कार्यक्रम है जो कि हमारी भावी आवश्यकताओं पर आधारित है । भविष्य भाप के इंजनों की हमारी आवश्यकता शनैः शनैः कम होती चली जायेगी ।

श्री बासप्पा : क्या दक्षिण के पठार पर, जहां कि वर्तमान इंजनों को चलाना कठिन है, यातायात के लिये बिजली के इंजनों की कोई नई डिजाइनें तैयार की जायेंगी ?

डा० राम सुभग सिंह : हमारा रेलवे संस्था आर०डी० एस० ओ० विभाग इन समस्याओं पर निरन्तर विचार कर रहा है ।

+ **अप्रयुक्त वैगन क्षमता**

*479. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओझा :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री बृजराज सिंह-कोटा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में काफी रेलवे वैगन क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है ; यदि हां तो किस सीमा तक (ब्राड तथा मीटर गाज़ दोनों की अलग अलग) ;

(ख) उपलब्ध क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में वैगनों के आने जाने में कमी के परिणामस्वरूप यातायात भाड़े में अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3603/64]**

श्री प्र० चं० बरुआ : किस हद तक यह स्थिति रेल-सड़क परिवहन प्रतिस्पर्धा द्वारा उत्पन्न हुई कही जा सकती है ?

श्री शाम नाथ : जहां तक रेल-सड़क परिवहन प्रतिस्पर्द्धा का सम्बन्ध है वह है तो सही, परन्तु हम रेल सेवाओं में सुधार करने और उन्हें अधिक कार्यकुशल तथा लोकप्रिय बनाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : रेल तथा सड़क परिवहन सम्बन्धी नियोगी समिति की सिफारिशें कब तक क्रियान्वित कर दी जायेंगी ?

श्री शाम नाथ : इसकी जानकारी मुझे नहीं है । इस प्रश्न के लिये विधिवत् सूचना दी जाये ।

श्री ओझा : क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास की सुस्ती अथवा पिछड़े रहने के कारण वैगनों की क्षमता बेकार पड़ी रही है ? क्या रेलवे मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करके यह जानने का यत्न किया है कि किस हद तक इस कारण से क्षमता बेकार पड़ी रही है ?

श्री शाम नाथ : कुछ विशेष वस्तुओं, जैसे कोयला और खनिज पदार्थ के कम लदान के कारण वैगनों की क्षमता बेकार पड़ी रही है । मैं नहीं समझता कि वैगनों की क्षमता के बेकार पड़े रहने का मुख्य कारण औद्योगिक उत्पादन की कमी है ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या यह सच नहीं है कि एक ओर तो वैगनों की कमी के कारण कोयला और अन्य वस्तुओं का परिवहन नहीं हो पा रहा है और दूसरी ओर देश में वैगनों की क्षमता बेकार पड़ी हुई है, जिसका कि एक उदाहरण मैंने पिछले सत्र में दिया था ?

श्री शाम नाथ : मेरे विचार में ऐसी बात नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों पर मूल्य नियंत्रण

*480. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या उद्योग तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटरगाड़ी उद्योग के प्रतिनिधियों ने मोटरगाड़ी विकास परिषद् के सम्मेलन में यह कहा था कि वाणिज्यिक मोटारगाड़ियों पर से मूल्य नियंत्रण हटा दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या तर्क पेश किये थे ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विनियंत्रण के पक्ष में निम्नलिखित प्वाइंट्स दिए गए हैं :—

(1) व्यापारिक गाड़ियों और जीपों का उत्पादन इस समय लगभग उनकी मांग के अनुरूप ही है और उत्पादन में होने वाली निरन्तर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में इसके मांग से अधिक होने की ही सम्भावना है । जिसके कारण परस्पर प्रतिस्पर्धा अनुमानतः निरन्तर बढ़ेगी और कीमतों के बढ़ने के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहेंगे ।

(2) वह संख्या जिन पर वर्तमान मांग आधारित है काफ़ी अंश तक वास्तविक नहीं है क्योंकि मध्यमवर्ग के लोगों ने उन्हें फिर से मुनाफ़े पर बेचने के लिए आर्डर रजिस्टर किए हुए हैं। विनियंत्रण से इस प्रकार की खराब स्थिति समाप्त हो जाएगी। जिस से उपभोक्ता को काफ़ी लाभ होगा।

(3) व्यापारिक मोटर उद्योग, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गाड़ियों का सम्भरण करने के लिए स्वनिर्मित अनुशासन का पालन करने के लिए तैयार है। तथा यह अनुभव किया गया है कि नियंत्रण के हटने से मूल्यों में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी।

(4) वास्तव में जब सहायक उद्योगों से मिलने वाले ढांचे और पुर्जों के मुल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है तो तैयार माल के मूल्य पर नियंत्रण रखना भी असंगत है।

(ग) विकास परिषद ने जिसने कि मोटर निर्माताओं के विनियंत्रण करने के सुझाव पर विचार किया है। इस सम्बन्ध में अभी तक अपने अन्तिम सुझाव सरकार को नहीं दिए हैं। इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय करने से पूर्व परिषद् ने भारतीय मोटर निर्माताओं से मोटरों की मांग और उत्पादन के आंकड़ों के बारे में अधिक जानकारी मांगी है तथा विनियंत्रण की अवस्था में मूल्यों में होने वाली वृद्धि और उस स्थिति में मोटर निर्माता किस प्रकार मूल्यों पर नियंत्रण रखेंगे, इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। परिषद के अधिकांश सदस्यों की यह भी राय थी कि व्यापारिक गाड़ियों के मूल्यों पर नियंत्रण हटाने से पूर्व उनके वितरण से नियंत्रण हटा दिया जाना चाहिए।

विद्युत करघा जांच समिति

*481. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 3 अक्तूबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 551 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् करघा जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किए हैं ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ सिफारिशों की क्रियान्विति में क्या अग्रिम कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) विद्युत् करघा जांच समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार राज्य सरकारें के परामर्श से अभी विचार कर रही है। इस प्रतिवेदन के अनेक पहलुओं पर कुछ राज्य सरकारें अभी भी विचार कर रही हैं, क्योंकि विषय वास्तव में वहां के स्थानीय आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आशा है कि अन्तिम रूप से निर्णय आगामी दो मास तक ले लिया जायगा।

दुर्गापुर में मिश्रधातु इस्पात परियोजना

*482. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में मिश्रधातु इस्पात परियोजना की स्थापना में काफी विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस परियोजना के कब से चालू हो जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : दुर्गापुर के मिश्रधातु इस्पात परियोजना की स्थापना में कुछ विलम्ब हो गया है। आरम्भ में संयंत्र और मशीनरी के टेण्डर प्राप्त करने और उनकी छानबीन करने में कुछ समय लग गया क्योंकि टैण्डर देने वालोंने बैकलिपक प्रस्ताव दिए थे। इस कारण से उत्पादन-परामर्शकारों—केनेडा के मैसर्स एटलस स्टील लिमिटेड और संयंत्र और मशीनरी के संभरणकर्ताओं के साथ परामर्श करने के पश्चात् संयंत्र और भवनों के डिज़ाइन में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया। हाल में श्रमिक अशान्ति के कारण इस्पात-ढांचों का निर्माण करने और उनको खड़ा करने में देरी हो गई जिससे निर्माण-अनुसूची में विलम्ब हो गया। जापान की उपकरण

संभरण करने वाली फ़र्मोंने कुछ तकनीकी ऐटम देने में भी कुछ देर कर दी इन कारणों से तथा इस वर्ष भारी वर्षा होने के कारण भी प्रयोजना के कुछ महत्वपूर्ण अनुभागों में सिविल इंजीनियरी के कामों की गति धीमी रही ।

अब यह अनुमान है कि प्रथम इकाई नामत: स्टील मेल्टिंग शाप II अगले वर्ष के शरू में चालू होगी और प्रयोजना 1967 के मध्य में पूरी होगी ।

पूर्व यूरोपीय देशों से व्यापार

*483. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड्कटकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य उपमंत्री के नेतृत्व में एक व्यापार मंडल ने चैकोस्लावाकिया, रूमानिया, बलगारिया, हंगरी तथा युगोस्लाविया का हाल में ही दौरा किया था ;

(ख) क्या आगामी वर्षों में इन देशों में व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता शिष्टमण्डल लगा पाया है ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन देशों में कितना व्यापार बढ़ा है ; और

(घ) ऐसी समस्यायें कौन-कौन सी हैं जिनको व्यापार बढ़ाने के लिये शीघ्र हल करना आवश्यक है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, हां । व्यापार मण्डल ने चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, बलगारिया तथा हंगरी का दौरा किया और 1964 में इन देशों के साथ हुये व्यापार की स्थिति का पुनर्विलोकन किया और 1965 में अधिक व्यापार की संभावनाओं का भी पता लगाया ।

(ग) पांच देशों से हुआ आयात 1961-62 के 3288 लाख रु० से बढ़कर 1963-64 में 3967 लाख रु० हो गया है और इन पांचों देशों को किया गया निर्यात 1961-62 के 2316 लाख रु० से बढ़कर 1963-64 में 3709 लाख रु० हो गया है ।

(घ) कोई विशिष्ट समस्याएं नहीं हैं जिन का हल अभी होना है । ऐसी समस्याओं पर, जो पैदा होती हैं, पूर्वी यूरोप के देशों के साथ किये गये व्यापार एवं भूगतान करार के विद्यमान उपबन्धों के अधीन एक दूसरे को संतोषजनक निपटारे के लिये, विचार विमर्श किया जाता है ।

सूती कपड़ा उद्योग

*484. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण से पता लगा है कि भारत में कपड़ा उद्योग पर पुरानी मशीनों, अधिक उत्पादन लागत तथा अतिरिक्त क्षमता से सम्बन्धित समस्याओं का बुरा असर पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिये क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग ने अपनी 1963 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत के कपड़ा उद्योग सम्बन्धी कुछ पुरानी मशीनों एवं उत्पादन की उच्च लागत प्रणालियों का उल्लेख किया है ।

(ख) देश की भूगतान संतुलन परिसीमा के अन्दर उद्योग के पुन:संस्थापन एवं आधुनिकीकरण करने और विद्यमान इकाइयों को अनुकूलतम आर्थिक आकार में लाने के लिए समस्त संभव सुविधाएं दी जा रही हैं ।

पालतू पशुओं का आयात

1254. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962, 1963 और 1964 में अब तक विदेशों से कुल कितनी भेडें, गायें और अन्य पालतू पशुओं का आयात किया गया ;

(ख) इनका कौन कौन से देशों से आयात किया गया ; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है जिसमें 1961-62 से 1964-65 तक (सितम्बर, 1964 तक) भारत आयात किये गये जिन्दा पालतू पशुओं की संख्या और मूल्य और जिन देशों से आयात किये गये उन देशों के नाम दिये गये हैं । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3604/64)**

दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

1255. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खडगपुर डिवीज़न में 1963-64 में रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले पकडे गये ; और

(ख) ऐसे मामलों का स्वरूप क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सोलह ।

(ख) इन मामलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :

1. अवैध रूप से उपहार लेना	1
2. पासों और रियायती टिकटों का धोखे से लिया जाना और दुरुपयोग	3
3. गलत बातें लिख कर नौकरी प्राप्त करना अथवा गलत प्रमाण-पत्र देना	1
4. आय के अनुपात से अधिक की आस्तियां रखना	1
5. सेवा आचार नियमों का उल्लंघन कर निजी व्यापार करना	1
6. रेलवे क्वार्टरों का किराया की धोखे से वापस वसूल करना	1
7. बाहरी व्यक्तियों से अवैध रूप से धन लेना	1
8. धोखे से अन्य व्यक्ति के वेतन लेना	1
9. धन के लोभ के कारण रेलवे क्वार्टरों को किराये पर उठाना	1
10. न्यायालय में हुई पूर्व-दोषसिद्धि के तथ्य को छिपाकर रेलवे में रोजगार प्राप्त करना	3
11. रेलवे के सामान की चोरी	1
12. रेलवे में नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर धन लेना और जाली नियुक्ति पत्र जारी करना	1
कुल	16

अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन सम्मेलन

1256. **श्री राम हरख यादव :**
श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन सम्मेलन के 29 प्रतिनिधि आगरा में फतेहपूर सीकरी के निकट एक बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है ; और उसमें कौन कौन व्यक्ति घायल हुए ; और

(ग) संगठन के घायल सदस्यों को सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) से (ग) : जी हां। बस के आगे एक बैलगाड़ी जा रही थी जिसमें लोहे के बडे गर्डर रखे थे जो गाडी से बाहर निकले हुए थे। जब बस इससे आगे निकल रही थी तो बैलगाडी बाएं मुडी और गर्डर बस से टकरा गये। बस चालक नियंत्रण खो बैठा और बस एक वृक्ष से टकरा कर एक ओर लूढ़क गयी।

बस में सवार 42 यात्रियों में से 29 व्यक्तियों को इस बस दुर्घटना में चोट आयी जिनमें भारतीय मानक संस्था के पदाधिकारी भी थे। दुर्घटना के तत्काल बाद घायल व्यक्तियों को आगरा में अस्पताल ले जाया गया। अधिकांश घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के फौरन बाद छुट्टी दे दी गयी ; बाकी व्यक्तियों को उसी दिन शाम को छुट्टी दे दी गयी। उसी रात को उन सब व्यक्तियों को वापस दिल्ली ले आया गया। कुछ प्रतिनिधियों को, जिन्होंने बराबर दर्द की शिकायत की, दिल्ली में अस्पताल में दाखिल किया गया जहां से उन्हें आवश्यक चिकित्सा के उपरांत छुट्टी दी गयी। चिकित्सा का सभी व्यय भारतीय मानक संस्था ने वहन किया।

तृतीय श्रेणी के सोने वाले डिब्बे

1257. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर तृतीय श्रेणी के सोने वाले डिब्बों में शयन स्थान सोने के लिये लम्बाई में कम है ;

(ख) यदि हां, तो उनको उत्तर और पूर्व रेलवे के समपार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तृतीय श्रेणी के शयन-डिब्बों की लम्बे मार्गों पर व्यवस्था की जाती है ;

(घ) और यदि हां, तो दरभंगा के रास्ते नहरकटियागंज-पालेजाघाट मार्ग की अपेक्षा मोतीहारी के रास्ते नहरकटियागंज पालेजाघाट मार्ग पर शयन-डिब्बों की व्यवस्था क्यों नहीं है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, मीटर गेज (अर्थात् पूर्वोत्तर रेलवे) लाइन पर वर्तमान तृतीय श्रेणी के त्रिपंक्ति सोने वाले डिब्बों में शयन स्थान की लम्बाई बडी लाइन (अर्थात् पूर्व रेलवे) की अपेक्षाकृत कम है।

† Sleeper Coaches.

(ख) बडी लाइन की तरह मीटर गेज लाइन पर तृतीय श्रेणी के त्रि-टायर शयन-डिब्बों† में लम्बे शयन स्थान बनाने की योजना है।

(ग) सामान्यत: नीति यह है कि थोडी दूरी तक चलने वाली गाडियों में शयन-डिब्बों की व्यवस्था करने से पूर्व अधिक दूरी तक चलने वाली गाड़ियों में शयन-डिब्बें लगाये जायें।

(घ) मोतिहारी के रास्ते नहरकटियागंज और पालेजाघाट के बीच तृतीय श्रेणी के एक शयन-डिब्बे की व्यवस्था कर दी गयी है। बरास्ता दरभंगा नहरकटियागंज और पालेजाघाट के बीच एक शयन-डिब्बे की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है।

कोयले के लिये लाइसेंस

1258. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कोयले के लिये संभावित लाइसेंस अथवा नये पट्टे नहीं दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता :

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर सामान की चोरी

1259. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर आरमेनियानघाट गुड्स बुकिंग एजेंसी से शालीमार तक और शालीमार से आरमेनियानघाट माल बुकिंग एजसी तक मोटर परिवहन द्वारा बुक किये गये सामान की मार्ग में चोरी और खोये जाने के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) रेलवे द्वारा अगस्त, 1961 से अबतक आरमेनियान घाट से बुक किये गये सामान के लिये कितनी धनराशि के दावों का भुगतान किया और कितने दावे अभी भी रजिस्टर्ड है जिनका फैसला होना बाकी है ;

(ग) शालीमार और आरमेनियान घाट आउट-एजेंसी के बीच मार्ग में चोरी, कमी आदि के लिये परिवहन के ठेकेदारों के नाम, जब कि माल उनके कब्जे में था, कितनी धनराशि लिखी गयी ;

(घ) आरमेनियान घाट से शालीमार तक और शालीमार से आरमेनियान घाट तक ट्रकों के न मिलने के कारण सामान उठाने में विलम्ब के कारण परिवहन ठेकेदारों से कितनी धनराशि वसूल की गयी ; और

(ङ) अगस्त 1961 से ठेके के खंड 7(क) और (ख) के अन्तर्गत देय लेकिन दी नहीं गयी और/अथवा वसूल की गयी दंड की कितनी रकम है और सरकारी बकाया राशि वसूल करने के लिये रेलवे ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामे सुभग सिंह) : (क) मई 1962 से अक्तुबर, 1964 तक की अवधि में चार।

†Three Tier Sleeping Coaches.

(ख) दावों का निपटारा गंतव्य स्थान के रेलवे द्वारा किया जाता है। अतः आरमेनियान घाट से सभी रेलवें में विभिन्न स्थानों के लिये बुक किये गये सामान के बारे में विशिष्ट रूप से जानकारी एकत्र करना कठिन है।

(ग) मई, 1962 से अक्तूबर, 1964 तक 1060 रुपये।

(घ) 23-4-1964 को कोई ट्रक न मिलने के कारण 100 रुपये।

(ङ) करार के खंड 7(क) के अन्तर्गत कोई भी रकम अभी तक बकाया नहीं है। करार के खंड 7(ख) के अधीन ठेकेदारों द्वारा सामान उठाने में विलम्ब के 29 मामलों की जांच हो रही है जिसमें 4761 रुपये दंड-शुल्क के रूप में हैं।

रुई के मूल्य

1260. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में रूई में अनुचित सट्टेबाजी और रूई के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये कडे उपाय करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : स्थिति पर निरन्तर ध्यान रखा जा रहा है और उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स

1262. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स के नाम से एक नई कम्पनी बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी में किन विशिष्ट वस्तुओं का निर्माण किया जायेगा ; और

(ग) इस कम्पनी ने अपने कारखाने और संयंत्र किन स्थानों पर स्थापित किये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के नाम से एक नयी कम्पनी बना कर हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के दो भाग कर दिये गये हैं। नयी कम्पनी ने हरिद्वार के भारी विद्युत् उपकरण संयंत्र, हैदराबाद के भारी विद्युत् उपकरण संयंत्र और तिरुचिरापल्ली के उच्च प्रेशर ब्वायलर संयंत्रण का कार्य-भार संभाल लिया है।

हरिद्वार स्थित संयंत्र में स्टीम टर्बो सेट, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 15 लाख किलोवाट होगी, हाइड्रो टर्बो सेट, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 12 लाख किलोवाट होगी, भारी तथा मध्यम आकार के ए०सी० और डी०सी० बिजली की मोटरें, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 5,15,000 किलोवाट होगी। और टर्बाइन पूरे करने के लिये, टर्बो जनरेटर और बिजली की मोटरें चलाने के लिये और उन पर नियंत्रण के लिये उपकरण बनाये जायेंगे।

हैदराबाद स्थित संयंत्र में 100 मेगावाट के आकार के वार्षिक 800 मेगावाट के स्टील टर्बाइन और टर्बो आल्टर्नेटर्स बनाये जायेंगे ।

तिरुचिरापल्ली स्थित संयंत्र का उत्पादन कार्यक्रम निम्न प्रकार है :

(1) उच्च प्रेशर ब्वायलरों का निर्माण जिनकी कुल क्षमता 750 मेगावाट प्रति वर्ष होगी ।

(2) केवल अपनी ही आवश्यकता के लिये नहीं बल्कि अन्य उपक्रमोंकी आवश्यकता पूरी करने के लिये प्रति वर्ष 1800 टन तक के ब्वायलर फिटिंग्स् का निर्माण ।

(3) 10 पैकेज ब्वायलरों का निर्माण ।

रेलगाड़ियों में भीड़भाड़

1263. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर हावड़ा और पूरी के बीच चलनेवाली एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियों में बहुत भीड़भाड़ होती है जिस से जनता को बहुत असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन गाड़ियों के साथ अधिक डिब्बे जोड़ कर इस समस्या को हल करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) हावड़ा-पुरी सेक्शन पर 8 अप हावड़ा-पूरी एक्सप्रेस में कुछ भीड़भाड़ की सूचना प्राप्त हुई है । परन्तु 317 अप और 359 अप हावड़ा-पूरी यात्री गाड़ियों में भीड़भाड़ नहीं होती ।

(ख) 1-10-1964 से 359 अप हावड़ा-पूरी यात्री गाड़ी के साथ एक और डिब्बे की वृद्धि कर दी गई है । 8 अप हावड़ा-पूरी ऐक्सप्रेस के बोझ को भार-सीमा के कारण नियमित रूप से बढ़ाना संभव नहीं है । फिर भी जब यह संभव और उचित होता है इस गाड़ी में तीसरे दर्जे का एक डिब्बा बढ़ाया जाता है ।

डीज़ल चालित रेलवे इंजन

1264. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में डीज़ल चालित रेलवे इंजिनों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) भारत में प्रथम डीज़ल चालित रेलवे इंजिन का निर्माण कब तक होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) डीज़ल चालित इंजिन कर्मशाला वाराणसी में आयात किये गये पूर्जों और आधे जुड़े पुर्ज़ों से डीज़ल चालित इंजिनों को जोड़ने की शुरुआत 1963-64 में की गई थी और अक्तूबर, 1964 के अंत तक 11 डीज़ल चालित इंजिन तैयार कर लिये गये हैं । इन इंजिनों के निर्माण में लगभग 20,000 रुपये की लागत के कुछ देशी पुर्जे आदि प्रत्येक इंजिन में लगाये गये हैं ।

1964-65 के दौरान डीज़ल चालित इंजिन कर्मशाला, वाराणसी में इंजिन (डीज़ल इंजिन, विद्युत जनरेटिंग और ट्रेक्शन उपकरण के अतिरिक्त) के ढांचों और इंजिनों के ऊपर वाले ढांचों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था और पहले ऐसे इंजिन का, जिस में कुल लागत के 17.5 प्रतिशत के देशी पुर्जे लगाये गये थे, निर्माण जुलाई, 1964 में पूरा किया गया था ।

प्रारम्भ में 1964 और 1965 में डीज़ल चालित इंजिन कर्मशाला में चैसियों और ऊपर के ढांचे तथा 1966 में डीज़ल इंजिन के निर्माण करने का कार्यक्रम है। हैवी इलैक्ट्रीकल्स इंडिया लिमिटेड भोपाल में 1966 में इलैक्ट्रीकल उपकरणों का निर्माण आरम्भ होने की भी आशा है।

इंजिन के निर्माण में देशी पुर्जों के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की आशा है और अन्ततः चौथी योजना के अंतिम भाग में इन का प्रयोग 90 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा। इस के पश्चात केवल विशिष्ट पुर्जों का ही आयात करने की आवश्यकता होगी।

लोक-सम्पर्क अधिकारी

1265. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे ज़ोनल मुख्यालयों में लोक-सम्पर्क अधिकारियों की यह आदेश देने का विचार है कि वे विभिन्न समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित सम्पादकों के नाम पत्रों को पढ़ा करें और उन के उत्तर देने की कोशिश किया करें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जनता ने इस योजना का स्वागत किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) यह प्रणाली बहुत देर से प्रचलित है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र

1266. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान भारत के भूतत्वीय, खनन और धातु कार्मिक संस्था के सभापति के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है, जिस में उन्हों ने इस बात पर बल दिया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र, सरकारी कोष पर कोई भार डाले बिना अधिक शीघ्रता तथा मितव्ययता से उत्पादन वृद्धि करने में सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक उन्नति कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) जी हां। वक्तव्य में प्रकट किये गये विचार एक सुझाव के रूप में हैं, जिस को नोट कर लिया गया है। कोयले के उत्पादन में वांछित स्तर तक वृद्धि करने के कार्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने की पर्याप्त गुंजाइश है। गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये समस्त उत्पादन लक्ष्य का अंश निर्धारित करने में गुण तथा मात्रा की दृष्टि से गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रदेशवार काम करने की क्षमता को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ, सरकारी क्षेत्र ने भी सहयोग देना है, जहां लोक हित की दृष्टि से ऐसा करना वांछनीय समझा जाता है।

Running of Mail and Express Trains

1267. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even after the attainment of Independence the running of mail and express trains have been confined to a few main line routes only;

(b) whether there are certain areas in the country which are not served by any mail or express trains; and

(c) the steps which Government propose to take to cover those areas?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Yes.

(c) Consistent with the availability of coaching stock, locomotives and spare line capacity, Mail and Express trains are introduced and will continue to be introduced with a view to providing the facility of speedier travel between different points where the condition of the tract and other operational factors permit of the running of trains with heavier type of engines at higher speed and the volume of through traffic offering is quite heavy.

Efforts are also made to provide fast passenger trains on those sections where running of Mail/Express trains at higher speeds is not feasible, by elimination of the halts from a number of stations *en-route* provided an adequate number of train services are available on the section for catering to sectional traffic. Mail Express trains running on the main line sections are also provided suitable connections at important junction stations so that for passengers on the branch line sections a fast connected service may be made available.

पटसन का मूल्य

1268. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1964 से पहले पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में पटसन का मूल्य अधिक था और क्या यह भी सच है कि भारतीय पटसन मिलों की संथा सितम्बर, 1964 के पटसन के मूल्य में और कमी करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पटसन के मूल्य की वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां। भारत में पटसन का मूल्य पाकिस्तान की अपेक्षा सामान्यता अधिक होता है।

(ख) मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये ये कदम उठाये गये हैं :—

(i) दी ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेंज ने मूल्यों के निर्धारित स्तरों के ऊपर 'टी० एस० डी० संविदाओं पर सीमान्त लाभ-नियत किये हैं ;

(ii) पटसन की मिलों को न्यूनतम क्रय अभ्यंश जारी नहीं किये जा रहे ;

(iii) दी जूट बफर स्टाक एसोसिएशन को अपना स्टाक खोल देने के लिये अधिकृत किया गया है;

(iv) प्रत्येक मिल को पटसन का स्टाक रखने की सीमा निर्धारित कर दी गई है जिस से उचित वितरण हो सके और अधिक समृद्ध मिलों को अधिक स्टाक रखने से रोका सके।

कलकत्ता में वितरण होने वाली आसाम के निम्नतम किस्म का पटसन का मूल्य जिस का मूल्य 125.92 रुपये प्रति क्विण्टल (47 रुपये प्रति मन के बराबर) तक बढ़ गया था, अब अधिकतम 96.45 रुपये प्रति क्विण्टल (36 रुपये के बराबर) रहा गया है।

Exports

1269. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to increase the quantity of export of Indian goods in 1963-64 in comparison to that in 1962-63; and

(b) the steps taken by Government to popularize the Indian goods in the countries of Asia and Africa and the names of the countries where the Indian goods are consumed in the largest quantity?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Concerted efforts were made by the Ministry of Commerce to increase India's export in 1963-64 both by way of concluding Trade Agreements with different countries with a developing potential for intake of Indian goods and also by sending a number of Trade Delegations abroad for the purpose. During 1963-64, Agreements were concluded with U.S.S.R., Czechoslovakia, Bulgaria, Hungary, Jordan, Indonesia and Pakistan. Similar Agreements with France, German Democratic Republic, Austria, Greece and Chile were renewed. The Trade Agreement with Iraq was ratified. A new Protocol was added to the Indo-Egyptian Trade Agreement which extends its validity upto the end of February, 1966. With Poland a Trade and Payments Agreement was signed. Action was initiated to exchange agreed Drafts with Brazil and the Republic of Korea. Moreover, West Germany, Austria and France granted import quotas for Indian cotton textiles, jute manufactures, sewing machines, coir manufactures and handloom fabrics among other items. Discussions also took place with Australia.

The Commerce Minister himself visited Britain, France, Belgium, West Germany and also Burma. Official and non-official delegations visited U.A.R., Morocco, Tunisia, Algeria, Ceylon, Pakistan and Afghanistan and fruitfully explored the possibilities of increasing India's exports to these countries. They were followed by similar visits to Malaysia, Japan, the Republic of Korea, Hong Kong, South Vietnam, Cambodia and Thailand. Negotiations were held with Iran. Delegations to the Philippines, the South American countries, Australia, Thailand, Japan, Indonesia, Trinidad, Italy & West Germany were also planned. Counterpart Delegations from Maxico, Brazil, Jordan, Australia, Indonesia, the Republic of Korea, Iran, Afghanistan, Bulgaria, Rumania and Yugoslavia also visited India and established essential contracts for mutual trade. In addition to exchange of collective delegations under the auspices of the various Export Promotion Councils, individual visits by Indian businessmen were also encouraged and all necessary facilities given by our Commercial Representatives abroad.

(b) Particularly with a view to extending trade with Asia and Africa and popularising Indian goods in the countries of the two Continents, a Conference of Heads of our Missions in Asia and Africa was called in New Delhi in October, 1963 to discuss among other things the possibilities of augmenting India's opportunities for economic co-operation with these countries. Particular attention was given to joint industrial development between India and the other countries of the area. Concrete proposals in this regard have since been evolved.

New Commercial Offices have recently been opened by us in Algiers, Tunis, Beirut, Dar-es-Salam and Dakar. Similar Offices in South and South-east Asia and West Europe are in the process of establishment. Administrative re-arrangements in the shape of the transfer of control of the Indian Mission in Kuwait and Washington to the Ministry of Commerce are also expected to help concentration on trade development generally.

A statement showing India's exports to countries of Asia and Africa is contained in the Report for 1963-64 of the Ministry of International Trade which was made available to Parliament earlier this year. In brief, in Asia, there is good demand for Indian goods in Japan, Hong Kong, Ceylon, Afghanistan and Burma as well as Malaysia. In Africa our leading customers are U.A.R. (Egypt), Kenya, Sudan and Nigeria.

A statement is attached listing certain related developments whose tangible effects on export promotion will be felt in the course of time. **[Placed in library See No. LT 3005/65]**

Gajraula Najibabad Branch Line

1270. **Shri Prakash Vir Shastri** :Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the facilities of waiting rooms and telegraph offices are being provided at those stations on Gajraula-Najibabad branch line (Northern Railway) where they were not available previously; and

(b) if so, when this work is likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) At the present there is no proposal for the provision of waiting rooms and telegraphs offices at stations where they do not exist. The provision of waiting rooms, where they do not exist, are considered on the recommendations of the Zonal Railway Users Consultative Committee. Telegraph offices exist at all stations, except at flag and halt stations, where they are not justified.

(b) Does not arise.

उद्योग और सम्भरण मंत्रालय में समितियां

1271. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में कुल कितनी समितियां और उपसमितियां कार्य कर रही हैं, और

(ख) उन समितियों के कुल कितने सदस्य हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) : (क) 86.

(ख) 1126 (इस में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, जिन को एक समिति के लिये मिलाया गया है, और उस समिति के सदस्य, जिस की सदस्यता निर्धारित नहीं है, सम्मिलित नहीं हैं)

उत्तर रेलवे पर नये रेलवे स्टेशन

1272. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना की शेष अवधि में उत्तर रेलवे पर नये स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :(क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3606/64**]

स्काउट प्रमाणपत्र

1273. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने भारत स्काउट और गाईड, कानपूर के जिला स्काउट आयुक्त से लगभग 40,000 रुपये का भुगतान करने की मांग की है, जिन्होंने, भुवनेश्वर में हुए कांग्रेस के गत सत्र के समय 100 स्थानीय कांग्रेसियों को मिथ्या स्काउट प्रमाणपत्र दिये, बताया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने सत्यापन किये बिना इतनी भारी संख्या में प्रमाणपत्रों को कैसे स्वीकार किया था; और

(ग) ऐसे कौन से उपाय करने का विचार है ताकि ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने पाये ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) उत्तर रेलवे ने भारत स्काउट और गाइड, कानपुर के जिला स्काउट आयुक्त से लगभग 4,000 रुपये (न कि 40,000 रुपये) का भुगतान करने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने, 107 व्यक्तियों को, जैसा कि बाद में पता चला कि वे स्काउट का कर्त्तव्य निभाने के लिये यात्रा करते हुए वास्तविक स्काउट/गाइड नहीं थे, जिन में से कुछ कांग्रेसी भी थे, रियायती प्रमाणपत्र जारी किये थे।

(ख) क्यों कि रियायती प्रमाणपत्र, जो जिला स्काउट आयुक्त, कानपुर द्वारा जारी किये गये थे, प्रथम दृष्टया ठीक थे और संदिग्ध नहीं समझे गये थे, इसलिये रियायत देने के आदेश जारी कर दिये गये थे ।

(ग) ज़िला कानपुर के स्काउटों और गाइडों का दी जाने वाली रियायत को तब तक के लिये हटा लिया गया है जब तक कि वर्तमान ज़िला स्काउट आयुक्त पद पर आसीन रहेंगे । यह सुनिश्चित करने के लिये कि अन्य स्टेशनों पर रियायती टिकटों के लिये स्काउट/गाईड प्रमाणपत्रों का दुरूपयोग न होने पाये, उत्तर रेलवे द्वारा अनुदेश जारी किये जा रहे हैं।

मोटर गाड़ी पारेषण जंजीरें

1274. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्माताओं के एक वर्ग ने मोटर गाड़ी पारेषण जंजीरो का निर्माण करने के लिये बम्बई के निकट एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये किसी विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है, यदि हां, तो कहां से सहयोग मिलने की सम्भावना है; और

(ग) इस परियोजना का मोटा मोटा ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) बड़े पमाने के क्षत्र में मोटर गाड़ी पारेषण जंजीरों के निर्माण के लिये किसी भारतीय निर्माता वर्ग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। मोटर गाड़ियों में काम आने वाली रोलर चेनों के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही बम्बई के एक एकक को अनुज्ञप्ति दी गई है और इसमें अभी उत्पादन आरम्भ होना है। इसके अतिरिक्त मोटर गाड़ी जंजीरों का निर्माण करने के लिये बम्बई में वर्तमान बाइसिकल जंजीरों का निर्माण करने वाले एक एकक की प्रार्थना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्त एकक के बारे में सर्वश्री टेक्नो-एक्सपोर्ट, चेकोस्लोवाकिया के साथ प्राविधिक जानकारी सम्बन्धी समझौता किया हुआ है जिस में ड्राइंग, उत्पादन सांखि कि आदि के सम्भरण के लिये एकमुशत राशि का मिलना तय हुआ है। दूसरे मामले में विदेशी सहयोग लेने का विचार नहीं है।

Railway Accidents

2751. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some conspiracy has been discovered in any of the railway accidents which took place during the last three months;

(b) the name of the Zone where these specific accidents took place; and

(c) the estimated loss of life and property caused thereby?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

सिंचाई परियोजनाओं के लिये उपकरण

1276. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने, जो 13 अक्तुबर, 1964 को भारत आया था 1965 में सिंचाई परियोजनाओं के लिये निर्माण तथा मिट्टी हटाने के उपकरणों के प्रदाय को 10 करोड़ रुपय तक बढ़ाने के लिय अपनी तत्परता व्यक्त की थी;

(ख) क्या सरकार ने बाढ़ तथा सूखा विरोधी उपायों के लिये रुस से सहायता प्राप्त करने के लिये बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां तो, क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। व्यापार सम्बन्धी बातचीत के दौरान रूसी प्रतिनिधिमंडल ने 10 करोड़ रुपये के मूल्य के निर्माण तथा मिट्टी हटाने वाले उपकरणों का सम्भरण

करने की पेशकश की थी। परन्तु देश की समस्त आयात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और समान रूपसे महत्वपूर्ण तथा उच्चतर पूर्वता-आयात पूरा करने के लिये, हम केवल 4 करोड़ रुपये तक के आयात के लिये सहमत हुए हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

आयात लाइसेंसों में जालसाजी

1277. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री दाजी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना में भारत सरकार के विशेष पुलिस संस्थान ने आयात लाइसेंसों के बारें में बड़े पैमाने पर जालसाज़ी को खोज निकाला है, जिस में जाली संस्थाओं के नामों, उच्च सरकारी अधिकारियों के झूटें हस्ताक्षरों तथा जाली टिकटों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अमृतसर में इस जालसाज़ी से सम्बन्धित संस्था के मुख्यालय का पता लगाया गया है ; और

(ग) क्या यह गिरोह आयात लाइसेंसों से सम्बन्धित अधिकारियों पर कपट का अन्तः प्रान्तीय जाल रचता रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) विशेष पुलिस संस्थान ने दो ऐसे मामलों का पता लगाया है जिनमें अनिवार्यता प्रमाणपत्रों पर झूटे हस्ताक्षरों सहित बोगस संस्थाओं के नाम से आयात लाइसेंस प्राप्त करने के प्रयत्न गिये गये हैं। ये दो मामले, जिनका अभी तक पता लगा है, थोडी मूल्य के लाइसेंसों के हैं। और छान बीन की जा रही है।

(ग) जी, नहीं। अतः भाग (ख) में उल्लिखित मुख्यालय का प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे फाटक

1278. **श्री यु० सिं० चौधरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे की :

(क) भारतीय रेलों पर ऐसे कितने रेलवे फाटक हैं जहां इस वर्ष अब तक स्वचालित चेतावनी घण्टियों, स्वचालित फाटकों और प्रकाश संकेत की व्यवस्था की गई है ;

(ख) कितने और फाटकों पर ऐसी व्यवस्था की जावेगी ;

(ग) उन कर्मचारी सहित फाटकों की संख्या क्या हैं जिनपर अब भी ऐसी स्वचालित व्यवस्था नहीं है; तथा

(घ) कर्मचारीरहित रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये अन्य योजनायें कौन सी हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 13 समपारों पर स्वचालित चेतावनी घण्टियों की, तथा 4 समपारों पर स्वचालित प्रकाश संकेतों की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) जांच के तौर पर 4 समपारों पर स्वचालित फाटकों सहित स्वचालित चेतावनी घण्टियों तथा प्रकाश संकेत की व्यवस्था करने का विचार है ।

(ग) कर्मचारीरहित अधिकतर समपारों पर ऐसी व्यवस्था नहीं है । परीक्षण पूरा होने पर अधिक प्रयोग में आने वाले समपारों पर इन उपकरणों की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

(घ) ये निम्न हैं ;—

(i) कर्मचारी रहित समपारों को मिलाने वाले मार्गों पर, सड़क से जाने वालों को खड़े होने तथा सावधानी से पार करने की चेतावनी देने के लिये 'स्टम्प बोर्डों' लिये (विराम फलकों) की व्यवस्था ।

(ii) समपारों की ओर बढ़ते हुए चालकों को निरंतर सीटी बजाने के लिये कर्मचारी रहित समपारों को मिलाने वाले मार्गों पर सीटी फलकों की व्यवस्था ।

(iii) राज्य सरकारों के परामर्श से, कर्मचारी रहित जिन समपारों पर यातायात में वृद्धि हो गई है, कर्मचारियों को रखना ।

नमक के कारखाने

1279. **श्री जेना** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में नमक का उत्पन्न करने वाले कुल कितने कारखाने हैं और उन की राज्यवार तथा कारखानावार वार्षिक उपादन क्षमता क्या है ; और

(ख) क्या उड़ीसा में नमक के कारखानों को सरकार से अब तक कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त हुआ है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) :

(क) एक विवरण (अनुबन्ध क), जिस में नमक का उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य में नमक के कारखानो की संख्या तथा 1963 के दौरान प्रत्येक कारखाने का उत्पादन दिखाया गया है, संलग्न है । एक और विवरण (अनुबन्ध ख), जिस में राज्यवार नमक के कुल कारखानों की संख्या, 1963 के उत्पादन, 1965-66 में उत्पादन का लक्ष्य तथा 1965-66 में क्षमता का लक्ष्य दिखाया गया है, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3607/64]**

(ख) जी नहीं ।

आन्ध्र प्रदेश के मंत्री की विदेश यात्रा

1280. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार के उद्योग तथा वित्त मंत्री ने पूर्व यूरोपीय देशों तथा रुस की, इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा आन्ध्र प्रदेश में नये कारखानों व एककों के लिये सहायता, प्रविधिक और अन्यथा, प्राप्त करने की दृष्टि से, यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार के वित्त तथा उद्योग मंत्री ने 18 सितम्बर से 10 अक्तूबर, 1964 के बीच चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, रूमानिया, योगोस्लाविया और रूस की यात्रा की थी।

(ख) उन की यात्रा का सम्बन्ध मुख्यता इन देशों के साथ किये गये सहयोग समझौतों से था; उन्होंने इस यात्रा का उपयोग औद्योगिक विकास की और सम्भावनाओ से परिचित होने के लिये किया था। उन्हों ने निर्माणकारी संघटनों तथा इन देशों में विदेशी व्यापार मंत्रालयों से उपयोगी विचार विमर्श किया।

हिसार में कच्चा लोहा संयंत्र

1281. **श्री यु० सिं० चौधरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) हिसार (पंजाब) में प्रस्तावित कच्चा लोहा संयंत्र की क्षमता क्या है और इस परियोजना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन लगाये जाने की आशा है ;

(ख) परियोजना पर पूंजीगत व्यय में राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों का कितना भाग होगा ; और

(ग) परियोजना का कार्य कब आरम्भ होने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : हिसार में 100,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने के लिये, इस अभिप्राय का एक पत्र पंजाब सरकार को भेजा दिया गया है। राज्य सरकार को परियोजना संम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और वे इस की जांच कर रहे हैं। पूंजी ढांचे, संयंत्र के चालू होने की तिथि, आदि सम्बन्धी ब्योरा, परियोजना संम्बन्धी प्रतिवेदन की जांच पूरी होने के पश्चात ही, निश्चित किया जा सकता है।

अरब देशों को केलों का निर्यात

1282. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों को केलों का निर्यात करने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है और यह अध्ययन किस ने किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनु भाई शाह) : (क) और (ख) : अरब देश भारतीय केलों के परम्परागत क्रेता हैं और भारतीय व्यवसायी इन देशों को केलों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये इन देशों की निरंतर यात्रा कर रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में केला उगाने वालों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के एक केल प्रतिनिधिमण्डल ने अगस्त-सितम्बर, 1963 में भी इराक, लेबनान तथा सिरिया की यात्रा की थी।

पंचकूरा-हल्दिया रेल्वे लाइन

1283. **श्री ब० कु० दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचकूरा-हल्दिया रेलवे लाइन का निर्माण समय-अनूसूची के अनुसार चल रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहा कर्मचारी वृद्ध में कमी और परियोजना की अन्य दिशाओं में कटौती कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : इस लाइन के निर्माण की योजना हल्दिया पत्तन के निष्पादन समय के अनुरुप बनाई जा रही है। इस को ध्यान में रखते हुए और निधि की कमी के कारण इस परियोजना के कार्य पर व्यय को यथा संम्भव सीमित रखना पड़ा है। फिर भी अब तक वैभागिक संस्थान में उल्लेखनीय कमी नहीं की गई है। अभी तक आरम्भ में संपूरक कर्मचारी वृन्द को नियुक्त नहीं किया गया है। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि यह लाइन पत्तन के तैयार होने के साथ साथ तैयार हो जायगी।

वाणिज्यिक लिपिक

1284. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि "कामन कैरियरज लायबिलिटी" को प्रारम्भ करने से वाणिज्यिक लिपिक के वैयक्तिक उत्तरदायित्व में सानुपातिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वाणिज्यिक लिपिकों के वेतन क्रमों में तदनुरुप वृद्धि नहीं की गई है और नही बढते हुए दायित्व को निबाहने के लिये कर्मचारीवृन्द की वृद्धि की गई है ; और

(ग) क्या वाणिज्यिक कर्मचारीवृन्द के उत्तरदायित्व, संख्या और उपलब्धि सम्बन्धी प्रश्न की सही रुप में छानबीन करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) "कामन कैरियरज लायाबिलिटी" प्रारम्भ करने से वाणिज्य लिपकों के वैयक्तिक उत्तरदायित्व में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) भाग (क) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए "कामन कैरियरज़ लायबिलिटी" को ग्रहण करने के फलस्वरूप वेतन क्रमों में वृद्धि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। परन्तु वाणिज्यिक लिपिकों के पदो को विभिन्न श्रेणियों में बाटने के लिये निर्धारित प्रतिशत का पुनरीक्षण किया गया है ताकि उन के लिये शीघ्रता से पदोन्नति की सम्भावनाओं की व्यवस्था हो सके और इस प्रकार उन को अधिक वित्तिय लाभ प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक कर्मचारिवृन्द की संख्या में, जहां भी न्यायानुमत थी, सभी कारणों से उन के कार्य भार में हुई वृद्धि के आधार पर वृद्धि की गई है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

THEFT OF GOODS ON RAILWAY

1285. **Shri Badshah Gupta :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the value of goods stolen on the Northern Railway during 1963-64?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(i) Goods lost	Rs.	2,78,147
(ii) Goods recovered	Rs.	86,399
(iii) Nett loss	Rs.	1,91,748

राष्ट्रमंडलीय निर्यात परिषद

1286. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन सरकार से राष्ट्रमंडलीय निर्यात परिषद के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख): ब्रिटेन सरकार से राष्ट्रमंडलीय निर्यात परिषद के सम्बन्ध में अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है ।

दक्षिण रेलवे में आकस्मिक श्रमिक

1287. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दक्षिण रेलवे की तिरुचिरापल्ली डिव्हिजन में 3 से 8 वर्ष से सेवा में लगे लगभग 500 आकस्मिक श्रमिकों को, जिन्हों ने अस्थायी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, कार्य से हटा दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इनके स्थानों पर नये श्रमिकों को लगा दिया गया ; और

(घ) दक्षिण रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में स्थायी पदों को "डीकेज्युलाइज़" करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चालू लाइनों पर विशिष्ट कार्यों पर लगे केवल 173 श्रमिकों को, न कि 500 को, कार्य से हटा दिया गया है । इन में से 109 ने अस्थाई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी और इन में से केवल 44 की 3 से 6 वर्ष की नौकरी थी ।

(ख) हटाये जाने का कारण उन कार्यों की समाप्ति है जिस के लिये उन्हें रखा गया था ।

(ग) नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता क्यों कि स्थायी पद के लिये किसी आकस्मिक श्रमिक को नहीं रखा गया है ।

उर्वरक का आयात

1288. **श्री कृ० चं० पंत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1963–64 (आदिनांक) में राज्य व्यापार निगम और अन्य गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा आयात किये गये उर्वरक की कुल मात्रा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

	मात्रा 000' मीट्रिक टनों में / मूल्य लाख रुपयों में			
	1963		1964	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
उर्वरको का कुल आयात	1053	2515	796	1731 (जनवरी-सितम्बर)
राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात	553	1174	343.6	826 (जनवरी-नवम्बर)

धमन भट्टी की ईंटें

1289. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाटकटा (उड़ीसा) में एक अमरीकी समवाय के सहयोग से स्थापित कारखाने में धमन-भट्टी की ऊंची किस्म की ईंटों का निर्माण आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी पूर्ण उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या इस्पात उद्योग की कुल आवश्यकता को यह कारखाना पूरा कर सकता है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : धमन-भट्टी की ऊंची किस्म की ईंटों का निर्माण करने के लिए उड़ीसा राज्य में एक प्लांट बारंग में तथा दूसरा लाटकटा में लगाने के लिए एक पार्टी को लाइसेंस दे दिया गया है । उन दोनों की क्षमता मिलाकर 60,000 टन प्रतिवर्ष है। लाटकाटा के प्लांट पर उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

(ग) जी नहीं ।

ट्रेन क्लर्कों की दृष्टि-परीक्षा

1290. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में जिन ट्रेन क्लर्कों को जुलाई,1957 से पहले नियुक्त किया गया था उन्हें बी-1 श्रेणी की दृष्टि-परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है तथा जिन ट्रेन क्लर्कों को 1 जूलाई, 1957 के पश्चात् नियुक्त किया गया है उन्हें ए०-3 पहले वालों से एक अधिक ऊंची श्रेणी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है ;और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) नहीं । 6-1-1957 से पहले बी-1 से ऊंची ए-2 की डाक्टरी परीक्षा की श्रेणी में उनकी जांच की गई थी । उसके पश्चात् ट्रेन क्लर्कों की डाक्टरी परीक्षा के स्तर को घटाकर ए-3 की श्रेणी का कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कैथलकुची स्टेशन पर रेल-दुर्घटना

1291. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा:**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुड़ी-गौहाटी लाइनपर स्थित कैथलकुची स्टेशन पर 19 सितम्बर, 1964 को 5-अप कामरूप ऐक्सप्रेस तथा डाउन आसाम ऐक्सप्रेस गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के कारणों की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस रेल-दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग): रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त , निर्माण सर्किल, कलकत्ता, ने इस दुर्घटना की परिनियत जांच की है और उन्होंने अभीतक अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया है ।

इस्पात कारखाने के लिए जापान की सहायता

1292. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री पं० वेंकटासुब्बया
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को भारत में एक इस्पात कारखाना लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) : इस देश में इस्पात कारखाने को स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने में जिन कुछ जापानी व्यक्तियों ने अभिरूचि दिखाई है उनके साथ हुई अनौपचारिक बात चीत के दौरान भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार के सहयोग/सहायता का स्वागत किया जाएगा ।

मेटूर में एल्यूमिनियम कारखाना

1293. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटूर (मद्रास राज्य) में स्थापित किए जा रहे ऐल्यूमिनियम स्मेल्टर कारखाने के चालू होने में जो दिसम्बर, 1964 में किया जाना था, विलम्ब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): इस कारखाने को स्थापित करने वाले निजी क्षेत्र के समवाय ने हमें सूचित किया है कि जनवरी, 1965 में ऐल्यूमिना के उत्पादन तथा लगभग एक मास पश्चात् ऐल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के आरम्भ होने की उन्हें आशा है । अतएव विलम्ब थोड़ा ही है ।

Udaipur-Himatnagar Construction Project

1294. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several workers while working on the Udaipur-Himatnagar construction project on the Western Railway were killed or injured as a result of land slide;

(b) whether the matter has been investigated; and

(c) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) On 20-10-64 an accident occurred at mile 95 between Bichiwara and Jabbore, resulting in the death of 9 Contractor's labourers and injuries to 3.

(b) Yes, by a Committee of two Railway Administrative Officers.

(c) According to the Committee, the accident occurred due to unexpected caving in of a portion of the rocky sides of the cutting.

रेल-इंजिन

1295. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में घाट सेक्शनों पर किस विशेष प्रकार के इंजिनों का उपयोग किया जाता है तथा इन इंजिनों को कितने समय से नहीं बदला गया है;

(ख) क्या इन इंजिनों को बदलने के लिए "वाई-डी" इंजिनों को उपयोग में लाने का कोई प्रयास किया गया है और क्या इस प्रकार के इंजिन बेकार रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान इंजिनों को बदलने के लिए अब क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) अजमेर डिवीजन के घाट सेक्शन पर "जी-आर" तथा "वाई-जी" टाइप के मीटर लाइन के बाष्पचलित रेल-इंजिनों को काम में लाया जा रहा है। ये "जी-आर" टाइप के रेल-इंजिन केवल 27 से 31 वर्ष पुराने हैं। पश्चिम रेलवे के "वाइ-जी" इंजिन 14 वर्ष से कम पुराने हैं। न तो "जी-आर" और न "वाइ-आर" रेल-इंजिनों को बदलने की आवश्यकता है ।

(ख) घाट सेक्शन पर वाइ-जी इंजिन 1962 से काम में लाए जा रहे हैं और तभी से वे संतोषजनक कार्य कर रहे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रैक्टरों का कारखाना

1296. **श्री तेन सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नि० चं० चटर्जी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को एक ट्रैक्टर बनाने का कारखाना स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीयनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि०ना०सिंह) : (क) से (ग): 12–18 डी० बी० एच० पी० रेंज के कृषिक ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एक एकक की स्थापना के लिये रूस के मेसर्स प्रोभाश एक्सपोर्ट से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अमरीका को साइकिलों का निर्यात

1297. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के कुछ आयातकर्ताओं ने भारत से साइकलें आयात करने में रूचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत से अमरीका को साइकलों का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां । न्यूयार्क में विश्व मेले में भारतीय साइकलों को देख कर अमरीका के कुछ आयात कर्ताओं ने भारतीय साइकलों की थोक सप्लाई के लिये पुछ-ताछ की । इनको अविलम्ब कार्यवाही के लिये भारतीय निर्माताओं को भेज दिया है ।

(ख) साइकलों के निर्यात के लिए उपलब्ध सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त सरकार उन पुर्जों के आयात के लिये आवेदन पत्रों पर भी विचार करती है जिनकी आवश्यकता अमरीकी मण्डी के लिये उपयुक्त साइकलें बनाने में पड़ती है ।

मध्य रेलवे में स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर

1298. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में 205–280 की वेतन श्रेणी में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों की संख्या क्या है , और

(ख) मध्य रेलवे में 150-240 की वेतन श्रेणी में सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों की संख्या क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) (1) स्टेशन मास्टर–714 (2) सहायक स्टेशन मास्टर –748 ।

(ख) रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये अब 150–240 रु० की कोई वेतन श्रेणी नहीं है । 120–240 रु० की वेतन श्रेणी में (आरम्भ 150 रु० पर) सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों की संख्या 2,420 है ।

बरेली रेलवे स्टेशन पर घटना

1299. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 सितम्बर, 1964 को बरेली स्टेशन पर कुछ मजदूर मारपीट करने के लिये तैयार हो गये, जिसके फलस्वरूप स्टेशन के वरिष्ठ कर्मचारी अपनी रक्षा के लिये भाग गये; और

(ख) उन मजदूरों तथा वरिष्ठ कर्मचारीयों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) नहीं, परन्तु उस दिन आइजट-नगर में एक ऐसी घटना हुई थी, जिसमें स्टेशन के वरिष्ठ कर्मचारियों ने कर्तव्य विमुखता नहीं दिखाई थी ।

(ख) अभी ऐसा कोई भी रेलवे कर्मचारी नहीं पाया गया जिसे आइजटनगर की घटना के लिये उत्तरदायी ठहराया जाये और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके । इस पहलू की अभी जांच हो रही है ।

Production and Export of Cement

1300. Shrimati Johraben Chavda : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) the quantity of cement produced in our country and our total annual consumption from 1959 to 1964 year-wise; and

(b) the quantity of cement exported to various countries from 1959 to 1964 (year-wise) ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : (a) and (b): The production, consumption and exports of cement from 1959 to 1964 have been as follows :—

Year	Production	Consumption	Exports
			(in tonnes)
1959	6,933,000	6,779,000	155,000
1960	7,844,000	7,731,000	113,000
1961	8,246,000	8,118,000	114,000
1962	8,586,000	8,559,000	48,000
1963	9,355,000	9,324,000	57,000
1964	8,794,000 (upto November, 1964 only)	7,107,000 (upto September, 1964 only)	21,000 (upto September, 1964 only)

उदयपुर के निकट चूने के पत्थर का निक्षेप

1301. श्री शिव चरण माथुर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के खान तथा भूविज्ञान विभाग ने उदयपुर के निकट अच्छी प्रकार के चूने के पत्थर के नये निक्षेपों को खोज निकाला है ।

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों में, अनुमानत: कितना पत्थर उपलब्ध है, और

(ग) सरकार इस चूने के पत्थर किस प्रकार उपयोग करना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार 2,050 लाख टन के लगभग चूने का पत्थर होगा ।

(ग) राज्य सरकार इसे सीमेंट के उत्पादन के लिये प्रयोग में लाना चाहती है ।

केरल में कातने की सहकारी मिलें

1302. श्री मणियंगाडन : क्या **वाणिज्य** मंत्री 3 अक्टूबर, 1964 के अतारांकित प्रश्न सं० 1763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में कातने की मिलों की स्थापना के बारे में इस बीच केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं । जहां यह मिलें स्थापित करने का विचार है, और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये है तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना पर 5 बजे चर्चा हो सकती है । अभि मंत्री महोदय इस के लिये तैयार नहीं हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बैंकिंग समयान अधिनियम के अंतर्गत एकीकरण

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : श्री ब० रा० भगत की ओर से मैं बैंकिंग समवाय अधिनियम 1949 की धारा 45 की उप-धारा (11) के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक 31 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3744 में प्रकाशित श्री जयदेव शंकरलिंग बैंक लिमिटेड को बेलगांव बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3598/64)** ।

(दो) दिनांक 21 नवम्बर, 1964 की अभिसूचना संख्या एस०ओ० 3957 में प्रकाशित, स्थिया बैंक लिमिटेड को लौर्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3599/64)** ।

(तीन दिनांक 21 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3960 में प्रकाशित, बरेली बैंक लिमिटेड को बनारस स्टेट लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3600/64)** ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

उन्तीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : श्रीमन् मैं मत्रिमंडल सचिवालय और सामुदायिक विकास तथा सहकार, शिक्षा और वैदेशिक कार्य मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (असैनिक), 1962–63 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), 1964 के बारे में लोक लेखा समिति का उन्तीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक के बारे में याचिका

PETITION RE: GOLD (CONTROL) BILL

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान् मैं स्वर्ण (नियंत्रण), विधेयक, 1963, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में के सम्बन्ध में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं जिस पर श्री बन्सीधर साहु तथा अन्य 132 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 14 दिसम्बर, 1964 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) वर्ष 1962–63 के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन पर आगे चर्चा।

(2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1964 (विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति प्रस्ताव)।

(3) 1964–65 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे) पर चर्चा और मतदान।

(4) समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1964 (एक संयुक्त समिति को सौंपना)।

(5) सरकारी प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में। (विचार तथा पारित करना)।

(6) निरसन और संशोधन विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में। (विचार तथा पारित करना)।

(7) स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, 1963, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में। (विचार तथा पारित करना)।

(8) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन विधेयक), 1964 (विचार तथा पारित करना)

(9) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने पर संघ लोक सेवा आयोग के तेरहवें और चौदहवें प्रतिवेदनों पर चर्चा।

(10) नए आयुध कारखानों की स्थापना के बारे में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री द्वारा 20 नवम्बर 1964 को दिये गये वक्तव्य पर श्री ना० गो० रंगा तथा अन्य सदस्यों द्वारा बुधवार 16 दिसम्बर, 1964 को 3 बजे म० प० प्रस्ताव पेश किये जाने पर चर्चा।

(11) गुरुवार 17, दिसम्बर 1964 को 4 बजे म० प० मोटर गाड़ियों के निर्माण, खपत और मूल्य पर आगे चर्चा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : यह आश्वासन दिया गया था कि इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व बोनस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में एक विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु श्रम वार्ता के असफल हो जाने से शायद अब यह विधेयक न लाया जा सके। इसलिये क्या हम अब बोनस आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा कर सकते हैं ?

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): There was a discussion going on on a motion moved by Shri Yashpal Singh on the Backward Classes Commission Report. Will that be taken up now ? Moreover when will we discuss the no-confidence motion against the Prime Minister regarding jeeps and situation in Bhutan ?

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I would like to know whether the Law Minister will make a statement regarding the Supreme Court's Opinion during this week and whether this statement will be discussed during the next week ?

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं ने नागालैण्ड में हो रही शान्तिवार्ता के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव दिया था। और जहां तक मुझे ज्ञात है वह स्वीकार हो गया है। मैं निवेदन करुंगा कि उस प्रस्ताव पर भी इसी सत्र में चर्चा की जाये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : It is sad that no time has been allotted for a discussion on the Bonus Commission Report.

Mr. Speaker : There is no need for any repetition.

Shri Satya Narayan Sinha : I will answer the question put up by Shri Prakash Vir Shastri first. This matter will be discussed by the leaders of the various parties including the hon. Member on Monday. Further action in this respect will be taken according to the decision that will be made by them.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन): यदि माननीय मंत्री अंग्रेज़ी में बोलें तो हम भी कुछ समझ सकते हैं।

श्री सत्यनारायण सिंह : क्योंकि त्रिपक्षीय सम्मेलन में श्रम सम्बन्धी वार्ता चल रही थी इसलिये यह विषय सभा में नहीं लाया गया। यह वार्ता असफल रही है। अब मैं सम्बन्धित मंत्री से बातचीत करूंगा और यदि वे सहमत होंगे तो यह विषय सभा में लाऊंगा।

Shri Ram Sewak Yadav : Matter regarding jeeps and China may also be taken up.

Shri Satya Narayan Sinha : A resolution regarding jeeps will be taken up today. Regarding China, I have sought a clarification from the hon. Member. This can be taken up only after that clarification has been received.

श्री हेम बरुआ : नागालैण्ड शान्ति वार्ता के बारे में मैं ने जो अनियत दिन वाला प्रस्ताव दिया था उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं सम्बन्धित मंत्री से परामर्श करके इस बारे में आपको बताऊंगा।

Shri Ram Sewak Yadav : What about further discussion on Backward Classes Commission Report ?

Shri Satya Narayan Sinha : That is going to be taken up.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री ने जो कुछ भी अभी कहा है उससे यह पता नहीं लगता की चर्चा पिछड़ी जातियोंके आयोग के प्रतिवेदन और अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर एक साथ चर्चा होगी अथवा अलग अलग।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं ने पहले ही बता दिया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हुकम चन्द कछवाय ने मुझे बताया कि पिछड़ी जातियों के आयोग पर पहले ही कुछ चर्चा हो चुकी है ।

Shri Satya Narayan Sinha : That is a part-heard discussion. That will be taken up during this very Session.

श्री काशी नाथ पांडे : बोनस आयोग पर चर्चा के बारे में बड़ी कठिनाइयां हैं । त्रिपक्षीय सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार इस विषय पर एक उपसमिति जिसमें कि श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधि होंगे विचार करेंगी । यदि इस उपसमिति के निर्णय के पूर्व इस विषय में सभा में चर्चा की जायेगी तो उसमें और भी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रतिवेदन पर बाद में चर्चा हो ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

तेतीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तैतीसवें प्रतिवेदन से जो 10 दिसम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तैतीसवें प्रतिवेदन से जो 10 दिसम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

वर्ष 1961–62 और 1962–63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव––जारी

MOTION RE: ANNUAL REPORTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1961-62 AND 1962-63—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 9 दिसम्बर, 1964 को श्री मु० क० चागला द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात :–

"कि वर्ष 1961–62 और 1962–63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान के वार्षिक प्रतिवेदनों पर जो क्रमश: 21 अगस्त, 1963 और 19, फरवरी, 1964 को सभा के पटल पर रखे गये थे, विचार किया जाये ।"

अब माननीय मंत्री अपना भाषण जारी करें ।

Shri Bal Krishna Singh : (Chandauli) : Mr. Speaker, I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the constitutional difficulty which after the implementation of Gorakhpur University Act, the degree colleges of the fourteen districts of Eastern Uttar Pradesh are facing with a view to start post-graduate classes in their colleges.

Mr. Speaker : Let the hon. Minister speak first.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : जिन माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया उन्होंने मेरी प्रशंसा भी की और कटु आलोचना भी। शिक्षा के माध्यम के बारे में सर्वश्री प्रकाशवीर शास्त्री और उ० म० त्रिवेदी ने मेरी कड़ी आलोचना की। मुझ पर सरकार की शिक्षा नीति को बदल देने का आरोप लगाया गया है। इस प्रश्न को बार बार सभा में उठाया गया है और अब मैं लेख्य साक्ष्य देकर सदस्यों का समाधान करुंगा कि जिस शिक्षा नीति की मैं ने घोषणा की है वह सरकार की ही नीति है और उसी नीति पर कार्यवाही हो रही है। श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने कहा कि मैं ने रूस से लौट कर उनकी शिक्षा नीति की प्रशंसा की परन्तु अभी हाल ही के अपने वक्तव्यों में मैं ने अपने विचार बदल लिये हैं। यह सर्वथा भ्रमपूर्ण है। मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा के माध्यम के बारे में सरकार की क्या नीति है। सरकार इस बात से सहमत है कि अन्ततः विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषायें ही होंगी। परन्तु सरकार की नीति यह भी है कि यह भाषायें अंग्रेजी के स्थान पर लाने के लिये हम सावधानी से काम करे और इसके लिये पूरी तैयारी भी की जाये। सरकार की यह नीति भी है कि 14 भाषाओं में से एक भाषा ऐसी होनी चाहिये जिसके द्वारा देश के भिन्न भिन्न भागों में सम्बन्ध स्थापित हो। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह कहा कि मैं केवल न्यायाशास्त्री हूं और शिक्षाशास्त्री नहीं हूं। मैं यह कह दूं कि मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूं परन्तु यह मैं अवश्य कहूंगा कि इस देश में एकता स्थापित करना मेरा परम और पूनीत कर्त्तव्य है। इसलिये हमें ऐसी शिक्षा नीति अपनानी चाहिये जिससे कि देश की एकता संकट में न पड़े। क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये हमें यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि हम उस भाषा को किसी प्रकार की हानि न पहूंचायें जो कि भारत के विभिन्न भागों में सम्बन्ध स्थापित करती है। फिर सरकार की यह नीति है कि हमें हिन्दी भाषा को आपस में सम्पर्क की भाषा बनाने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये परन्तु जब तक वह इस योग्य नहीं हो जाती अंग्रेजी ही चलती रहेगी। यह आरोप लगाया गया है कि सरकार अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लाने के लिये प्रयत्नशील नहीं है। मैं सभा को बता दूं कि हिन्दी दक्षिण भारत के लोगों पर लादी नहीं जा सकती। भारत की एकता को दृष्टि में रखते हुये हमें हिन्दी लाने का कार्य शनैः शनैः ही करना चाहिये। हमें इस कार्य की पूर्ति के लिये दक्षिण भारत और बेंगाल का सहयोग प्राप्त होना चाहियें।

Shri Kishan Pattnayak : Government's policy is contrary to the Constitution....

Mr. Speaker : Hon. Member may first hear what the policy is.

Shri Kishen Pattnayak: We cannot hear that. I walk out of the House.

[इसके पश्चात् श्री किशन पटनायक सदन से उठ कर चले गये]

[Shri Kishan Pattnayak then left the House]

श्री मु० क० चागला : यही सरकार की नीति है चाहे सभा इसे अनुमोदित करे या न करे। मैं ने इसका नीति घोषणा राज्य-सभा में की थी और यहां भी कर रहा हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : माननीय मंत्री के लिये यह कहना क्या उचित है कि सभा इस नीति का अनुमोदन करे या न करे? यह नीति सभा द्वारा अनुमोदित की गई है और इसी लिये सरकार ने इसे अपनाया है।

श्री मु० क० चागला : मैं आप से सहमत हूं । मैं आप को बताऊं कि भिन्न भिन्न शिक्षाशास्त्री इस नीति के बारे में क्या कहते हैं। राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन द्वारा 1948–49 में राधाकृष्णन आयोग के प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किये गये थे कि हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिये कुछ समय लग जायेगा । यह वांछनीय और व्यवहार्य नहीं है कि केन्द्र से एक दम ही अंग्रेजी को हटा दिया जाये । संघानीय कार्य के लिये अंग्रेजी जारी रहेगी जब तक कि राज्य इस बारे में परिवर्तन लाने के लिये तैयार नहीं हो जाते। अभी अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखा जाना चाहिये अन्यथा हमारा शिक्षा का स्तर बहुत गिर जायेगा और इसके परिणामस्वरूप हम संसार की भिन्न भिन्न विचार-धाराओं में अपना योगदान नहीं दे सकते । अभी अंग्रेजी ही एक भाषा है जो हमें संसार से अपना सम्पर्क बनाये रखने में सहायक हो सकती है। यह विचार डा० राधाकृष्णन ने व्यक्त किये थे। अन्तर्विश्व-विद्यालय बोर्ड ने भी कहा है कि यदि देश को छिन्न-भिन्न करने वाले तत्वों से सुरक्षित रखना है और प्रान्तीयता की भावना को फैलने से रोकना है तो विश्वविद्यालयों को एक समान भाषा अपनानी होगी। परन्तु मुझे खेद है कि विश्वविद्यालय इस बारे में असफल रहे हैं और इसलिये मैं आपस में सम्बन्ध बनाये रखने वाली भाषा पर ज़ोर दे रहा हूं । अन्तरविश्वविद्यालय बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि उच्चस्तर की पुस्तकों और अच्छे अध्यापकों के अभाव के कारण शिक्षा संस्थाओं को फिलहाल अंग्रेज़ी के प्रयोग से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । और यही बात मैं ने भी कही है । राजभाषा आयोग के 1954–55 के प्रतिवेदन से भी मैं उद्धरण दूंगा । इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस में कोई सन्देह नहीं कि भारतीय भाषा अंग्रेजी के स्थान पर शिक्षा का माध्यम बनेगी परन्तु इसके लिये पूरी और संतोषजनक तैयारी की आवश्यकता है ताकि शिक्षा का स्तर न गिरे ।

यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि मैंने जो कुछ कहा है वह सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति से मेल नहीं खाता । कुंजरू समिति, सरकारी भाषा संबंधी संसदीय समिति, अगस्त, 1961 में हुए मुख्य मंत्री सम्मेलन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उपकुलपति सम्मेलन तथा राष्ट्रीय एकता परिषद सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के परिवर्तन में जल्द-बाजी से काम नहीं लिया जाना चाहिये । देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पारस्परिक सम्पर्क बनाए रखने के लिये एक अखिल भारतीय भाषा की बहुत आवश्यकता है और वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है परन्तु हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने से पहले उनका पर्याप्त विकास किया जाना जरूरी है । विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के बारे में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में समान तथा उपयुक्त शब्दावली के अभाव में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना जरूरी है क्योंकि उसे सभी व्यक्ति समझते हैं । राष्ट्रीय एकता परिषद ने 1961 में हुए अपने सम्मेलन के बाद यह वक्तव्य जारी किया था कि हिन्दी का एक सम्पर्क भाषा के रूप में विकास किया जाना जरूरी है परन्तु जब तक वह उन्नत नहीं हो जाती तब तक अंग्रेजी से ही वह काम लिया जायेगा । इसके साथ साथ विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के बारे में हमारी देशी भाषाओं के विकास के लिये अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा बनी रहेगी । इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अंग्रेजी माध्यम को बदलते समय शिक्षा के स्तर में गिरावट नहीं आने देनी चाहिए । जब तक दक्षिण के राज्य हिन्दी को स्वीकार नहीं कर लेते हैं तब तक अंग्रेजी जारी रहनी चाहिये ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : क्या शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा राज्य का विषय है तथा विश्वविद्यालय भी स्वतंत्र निकाय हैं । हम राज्यों की केवल सहायता ही कर सकते हैं । परन्तु राज्यों को स्वयं ही यह कदम उठाने के लिये तैयारी करनी होगी । शिक्षा का माध्यम चुनना, पाठ्य पुस्तकें तैयार करना विश्वविद्यालयों का काम है । इसलिये माननीय सदस्य मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अभी भी अंग्रेजी ही है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैंने गुजरात में जो कुछ कहा था वह कुछ दिन पहले गुजरात में प्रधान मंत्री के कथन से भिन्न है। मैं मंत्रिमंडल की मिली जुली जिम्मेदारी के सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास रखता हूं। मैंने वहां पर सरकार की नीति से भिन्न कोई बात नही कही है। गुजरात के विवादास्पद प्रश्न पर मेरी वापिसी के बाद प्रधान मंत्री द्वारा विचार नहीं किया गया था। बात यह है कि गुजरात में अंग्रेजी आठवीं कक्षा से पढ़ाई जाती है। वहां के माध्यमिक स्कूलों के मुख्याध्यापकों के प्रतिनिधि मण्डल मुझसे मिले थे और उन्होंने मांग की थी कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री राज्य सरकार को इस बात के लिये राजी करें कि पांचवी कक्षा से अंग्रेजी शिक्षा का प्रश्न छात्रों की इच्छा पर छोड़ दिया जाये। यदि वे पांचवी कक्षा से अंग्रेजी सीखना चाहें तो उनके रास्ते में कोई रुकावट न डाली जाये। मैंने अपने सार्वजनिक भाषण में यही कहा था कि यह एक उचित मांग है और राज्य सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिये। गुजरात सरकार ने मेरे इस भाषण पर आपत्ति की है और कहा है कि केन्द्रीय मंत्री को राज्य सरकार की नीति के खिलाफ कोई भाषण नहीं देना चाहिये। परन्तु मैं इस विचारधारा से कतई सहमत नहीं हूं। मुझे किसी भी राज्य में भारत सरकार की नीति को स्पष्ट करने का अधिकार है चाहे वह किसी राज्य सरकार की नीति से मेल खाती हो अथवा नहीं। अहमदाबाद के सभी गुजराती पक्षों ने मेरे उस कथन का समर्थन किया था जिनमें से कांग्रेस का मुख्य पत्र "गुजरात समाचार" भी एक है।

हम राज्य सरकारों को शिक्षा के विषय को समवर्ती विषय बनाने के लिये राजी कराना चाहते हैं। सप्रू समिति ने शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने की सिफारिश की है। यह तभी हो सकता है जब अधिकांश राज्य इसके लिये अपनी सहमति दें। मेरा यह विश्वास है कि जब तक अंग्रेजी हमारी शिक्षा प्रणाली के एक अंग के रूप में बनी रहती है तब तक उसे उचित ढंग से पढ़ाया जाना चाहिये। अधिकांश राज्यों में अंग्रेजी पांचवीं अथवा छठी कक्षा से पढ़ाई जाती है। कई राज्य तो तीसरी कक्षा से ही इसकी पढ़ाई आरम्भ करने जा रहे हैं। इसलिये मैंने यह कह कर कोई अनुचित बात नहीं की है कि यदि अंग्रेजी की पढ़ाई कुछ जल्दी आरम्भ कर दी जाये तो अच्छा रहेगा।

मुझ पर यह भी आरोप लगाया गया है कि मैं हिन्दी के प्रचार के पक्ष में नहीं हूं। परन्तु वास्तविकता यह है कि हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। तीसरी योजना में इसके लिये 25 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। प्रथम तीन वर्षों में 12.42 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और चालू वित्तीय वर्ष के लिये राशि 6 लाख से बढ़ा कर 29 लाख रुपये कर दी गई है। अहिन्दी भाषी राज्यों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिये शतप्रतिशत सहायता दी जाती है। आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा मद्रास की राज्य सरकारें इस योजना का लाभ उठा रही हैं। अहिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये कालेज खोलने के लिये भी शतप्रतिशत सहायता दी जाती है। राज्य सरकारें इस योजना का भी पर्याप्त लाभ उठा रही हैं।

हमने आगरा में हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये विशेष रूप से अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों के लिये, एक केन्द्रीय संस्थान स्थापित किया है। विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनकी संख्या चालू वर्ष में 200 से बढ़ा कर 1,000 कर दी गई है। अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के पुस्तकालयों तथा संस्थाओं को हिन्दी की निःशुल्क पुस्तकें देने की एक योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष दो लाख रुपये की पुस्तकें बांटी जाती हैं।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र, प्राणकीय शास्त्र, भूतत्व शास्त्र तथा भूगोल शास्त्र में प्रथम स्नातक स्तर तक वैज्ञनिक तथा तकनीकी शब्दों का पुनरीक्षण करके उन्हें अन्तिम रूप में दे दिया है। इन विषयों से सम्बन्धित लगभग 50,000 शब्दों की एक समेकित अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली प्रकाशित की जा चुकी है तथा इसका हिन्दी-अंग्रेजी संस्करण भी प्रायः पूरा हो चुका है। आयोग द्वारा चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी लगभग 14,000

[श्री मु० क० चागला]

शब्दों तथा कृषि विज्ञान संबंधी लगभग 4,000 शब्दों का पुनरीक्षण किया जा चुका है तथा इन्हें अन्तिम रूप भी दे दिया गया है। इंजीनियरिंग की सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल, तीनों शाखाओं की शब्दावली तैयार करने के लिये रुड़की विश्वविद्यालय में एक संस्था स्थापित की गई है। आशा है कि प्रथम स्नातक स्तर तक की शब्दावली दो वर्ष तक तैयार हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान की प्रमाणिक पुस्तकों को तैयार करने तथा उनका अनुवाद करने का काम किया जा रहा है ताकि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा को सुगमता पूर्वक लाया जा सके और भारत सरकार द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली को लोकप्रिय बनाया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत 527 पुस्तकों के अनुवाद की स्वीकृति दी गई है। 272 पुस्तकों का अनुवाद करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। हिन्दी में अनुवाद के कार्यक्रम को विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों की शिक्षा संस्थाओं तथा अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। दिल्ली, भोपाल तथा बनारस में इस कार्य के लिये पूर्णकालिक विभाग स्थापित किये गये हैं तथा दो और अन्य स्थानों पर ऐसे ही विभाग स्थापित करने का विचार है। इसी प्रकार केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनुवाद विभाग खोला गया है। पंजाब तथा गुजरात में भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकों का पंजाबी तथा गुजराती में अनुवाद किया जा रहा है। प्रकाशकों के सहयोग से पुस्तकें तैयार करने, उनके अनुवाद तथा प्रकाशन की भी एक योजना बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य भी विज्ञान तथा अन्य ज्ञान की पुस्तकों को लोक प्रिय बनाना है।

इन सब बातों को देखत हुए क्या यह कहा जा सकता है कि मैं हिन्दी को दबाना चाहता हूं और हिन्दी का समर्थक नहीं हूं ?

श्री भुथियाल राव : इसके लिये 20 लाख रुपये पर्याप्त नहीं हैं।

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य का कहना है कि 20 लाख रुपये पर्याप्त नहीं है। यदि मुझे 20 करोड़ रुपये भी मिल जायें तो मैं उन्हें भी खर्च कर दूंगा।

आशा है माननीय सदस्यों में अब रोष नहीं होगा। चूंकि श्री त्रिवेदी तथा श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने यह मामला उठाया था अत: मैंने इस बारे में स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझा।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : The hon. Minister stated the position quite different way.

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को धन सम्बन्धी एवं आयोग के विधान सम्बन्धी दो महत्वपूर्ण सीमाओं के अन्दर रह कर कार्य करना पड़ता है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के प्रति एक समान व्यवहार करना चाहिये। किन्तु अधिनियम के अन्तर्गत आयोग केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संधारण पर ही धन व्यय कर सकता है। अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में आयोग केवल विकास कार्यों पर ही धन व्यय कर सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालयों के उपकुलपति कर्मचारी आदि की नियुक्तियों तथा उनके द्वारा नियम बनाने के बारे में आलोचना की है। माननीय सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्वविद्यालय राज्यों के कार्यक्षेत्र में आते हैं और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता भी प्राप्त है। इसलिये उपकुलपतियों तथा विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों सिंडीकेट अथवा सिनेट सम्बन्धी नियुक्तियों के मामले में और संविधियां एवं नियम बनाने के मामलों में तब तक केन्द्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि विश्वविद्यालयों तथा और उच्च शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची में नहीं लाया जाता। यही स्थिति सम्बद्ध कालेजों के बारे में भी है। हम किसी विश्वविद्यालय को यह नहीं कह सकते हैं कि किस कालेज को सम्बद्ध किया जाये और किस को न किया जाये। किन्तु इस प्रयोजन के लिये भी एक योजना बनाई गई है कि विकास के लिये विशेषता स्नातकोत्तर अध्यापन के विकास के लिये, 100 कालेजों को चुना जाये।

माननीय सदस्य श्री कृ० च० पंत ने नैनीताल तथा ज्ञानपुर के कालेजों के अध्यापकों के वेतन कम किये जाने का उल्लेख किया है। हमने इस मामले में राज्य सरकार से लिखापढ़ी की है। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि उन्हें उस वेतन से अधिक वेतन दिया जाता था जिसकी सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई है। राज्य सरकार ने आगे कहा है कि आयोग द्वारा सभी कालेजों में समान परिश्रमिक दिये जाने का सिद्धान्त निर्धारित किया है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का यह तर्क विचित्र है क्यों कि आयोग का उद्देश्य अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करना है न कि उसमें कटौती। इस सम्बन्ध में इन राज्य सरकार से फिर पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री बजाज ने पाठ्य पुस्तकों के बारे में कहा। मैं सभा की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को सस्ती पुस्तकें उपलब्ध करने के लिये ब्रिटेन, अमरीका तथा रूस के सहयोग से एक योजना तैयार की गई है। उन पुस्तकों के बारे में निर्णय करने के लिये योजना के अन्तर्गत संयुक्त समितियां बनाई गई हैं जो भारत में सस्ते दामों में बेची जा सके। रूसी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद करवाना पड़ेगा। हमने इसके लिये चिकित्सा, औद्योगिकी तथा तकनीकी विषयों की अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकों का चयन किया है क्यों कि उनके मूल्य बहुत अधिक होते हैं। ये पुस्तकें उस मूल्य से अब भारत में एक तिहाई मूल्य पर बेची जा रही हैं जिस पर वे उन देशों में बेची जाती हैं। अभी इन पुस्तकों का अनुवाद अंग्रजी में किया जा रहा है। कोई भी राज्य इनका अनुवाद अपनी प्रादेशिक भाषा में कर सकता है।

इस समय देश में 61 विश्वविद्यालय हैं। जब तक और अधिक विश्वविद्यालय, खोलना सर्वथा अनिवार्य नहीं होगा, हम और विद्यालय नहीं खोलेंग। श्री हेम बरुआ द्वारा 250 विश्वविद्यालय खोलने की बात कहना व्यवहार्य नहीं है।

जहां तक महिला शिक्षा का सम्बन्ध है, कालेजों तथा उच्चशिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाली महिला छात्राओं की संख्या वर्ष 1962–63 में 18.5 प्रतिशत थी। यह संख्या वर्ष 1963–64 में बढ़ कर 19.5 प्रतिशत हो गई। आयोग महिलाओं के छात्रावासों पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत भाग वहन करता है जब कि पुरुषों के छात्रावासों पर होने वाले व्यय का केवल 50 प्रतिशत भाग आयोग द्वारा दिया जाता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने आयोग के प्रतिवेदन को विलम्ब से प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यह कह सकता हूं कि यह संसद्-कार्य मंत्री का काम है। कदाचित अन्य अधिक महत्व पूर्ण कार्यों के कारण इस प्रतिवेदन को विलम्ब से लिया गया होगा।

डा० कोठारी से शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनने को कहना कठिन है क्योंकि उनके पास इस समय बहुत काम है। यदि वह अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लें तो यह हमारे लिये सौभाग्य की बात होगी।

आयोग के अध्यक्ष डा० कोठारी हिन्दी भाषा-भाषी व्यक्ति है और हिन्दी की समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति आयोग के सामने साक्ष्य दे सकता है अथवा स्मरण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आयोग प्रत्येक बात पर विचार करने के लिये सदैव तैयार है। अतः श्री प्रकाशवीर शास्त्री का यह कहना गलत है कि मेरा प्रादेशिक भाषाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है।

आयोग द्वारा 100 राष्ट्रीय छात्र वृतियां तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिये 90,000 मैट्रिकोतर छात्रवृतियां, योग्य छात्रों के लिये सहायता के रूप में 15,000 छात्रवृतियां तथा 24,000 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृतियां दी जाती हैं। अतः कुछ माननीय सदस्यों का यह कथन गलत है कि आयोग द्वारा दी जाने वाली केवल 100 राष्ट्रीय छात्रवृतियां काफी नहीं है।

[श्री मु० क० चागला]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अनुदान देने के बारे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय को संधारण अनुदान उनके विभागों की संख्या तथा छात्रों की संख्या के तथा उनके आकार के आधार पर दिया जाता है। वर्ष 1961–62 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के 30 विभागों में 5,042 छात्र पढ़ते थे और बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के 52 विभागों में 7,372 छात्र थे। जहां तक विकास कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा चलाये गये, कार्यक्रमों की प्रगति को देखते हुए अनुदान दिया जाता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा रोमन लिपि अपनाने के बारे में आपत्ति प्रकट की है। मैंने इस बारे में विश्वविद्यालय के उपकुलपति से बात चीत की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बहुत से दक्षिण भारत के छात्र हिन्दी पढ़ने के लिये कोई नई लिपि नहीं सीखना चाहते हैं किन्तु यदि हिन्दी रोमन लिपि में पढ़ाई जाये तो वे हिन्दी सीख सकते हैं क्योंकि वे अंग्रेजी जानते हैं। हम समझते हैं कि हिन्दी बिल्कुल न सीखने की अपेक्षा रोमन लिपि द्वारा हिन्दी सीखना अधिक अच्छा है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : दवनागरी लिपी अन्य देशों में अपनाई जाती है। जो लोग संस्कृत जानते हैं वे देवनागरी लिपि भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दक्षिण भारत के केवल 10–15 छात्रों के लिये रोमन लिपि अपनाने का कोई औचित्य नहीं है **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : चारों ओर से अन्तर्बाधायें उचित नहीं है।

श्री मु० क० चागला : जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था का सम्बन्ध है, देश में प्रतिवर्ष 100–150 की संख्या में खोले जाने वाले कालेज ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर हाई स्कुल तक की शिक्षा की व्यवस्था की जा चुकी है, खोले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश में 14 ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्थायें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है।

श्री कृष्णपाल सिंह जी ने कहा की आयोग द्वारा स्वास्थ्य तथा चारित्रिक विकास की ओर कम ध्यान दिया गया है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों को स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये अनुदान दिये जा रहे हैं। आयोग, विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय खेलकूद संस्था, पटियाला से प्रशिक्षण प्राप्त खेल-कूद के प्रशिक्षकों को नियुक्त करने के हेतु सहायता देने के लिये सहमत हो गया है।

जहां तक चारित्रिक विकास का सम्बन्ध है, आयोग ने तुलनात्मक धर्म, नीति तथा नैतिक दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में पीठों की स्थापना के सम्बन्ध में श्री प्रकाश समिति की सिफारिशों को प्राय: मान लिया गया है। इस प्रकार की पीठे इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, कुरुक्षेत्र, मद्रास, मगध, उस्मानिया, पूना, राजस्थान तथा विश्वभारती विश्वविद्यालयों में स्थापित की जायगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या पर विचार किया। आयोग विद्यार्थियों के लिये आवश्यक सुविधाओं तथा अध्ययन के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिये व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहा है। यह सामान्य शैक्षणिक वातावरण तथा विद्यार्थी के आचरण में सुधार करने के लिये सहायक सिद्ध होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। हम अधिक संख्या में शिक्षा संस्थायें खोलने का विचार कर रहे हैं जिससे शिक्षा को वाणिज्यिक आधार पर न चलाया जा सके।

बराबरी के आधार पर अनुदान देने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बराबरी के आधार पर अनुदान देने का विचार न केवल उच्च शिक्षा के क्षत्र में ही असफल रहा है अपितु प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर भी असफल साबित हुआ है क्यों कि बहुत से राज्य अपना 50 प्रतिशत भाग देने में असमर्थ हैं। तथापि विश्वविद्यालय आयोग स्नातकोत्तर शिक्षा देने वाले तथा अनुसन्धान करने वाले स्थापित विभागों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिये तथा चुने हुए विश्वविद्यालय विभागों का उच्च शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिये शतप्रतिशत आधार पर सहायता देता है।

मैं इस सुझाव से पूर्णत: सहमत हूं कि उच्च उच्च तकनीकी, चिकित्सा तथा कृषि शिक्षा को शिक्षा मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में लाया जाये । हम इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार करने सम्बन्धी समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में सभा को बताना चाहता हूं कि आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार कई विश्वविद्यालय चुने हुए विद्यार्थियों को दाखला देने, अध्यापकों द्वारा मार्गदर्शन की व्यवस्था करने तथा अन्तिम मुल्यांकन में वर्ष भर के काम को उचित महत्व देने आदि कुछ उपायों को लागू करने का विचार कर रहे हैं। आयोग द्वारा इस कार्य के लिये कुछ विश्वविद्यालयों को सहायता दी जा रही है। पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में सुधार करके अपव्यय की समस्या को हल किया जा रहा है।

मुझे आशा है मैं सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी बातों का उत्तर दे चुका हूं।

श्री रघुनाथ सिंह : समुद्री इंजीनियरी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री मु० क० चागला : जहां तक समुद्री इंजीनियरी पाठयक्रम, इंजीनियरों के प्रशिक्षण तथा नाविक कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं व्यापारी बेड़े के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम चालू करने की वांछनीयता का सम्बन्ध है, ये विषय सीधे परिवहन मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते है । विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालेजों में समुद्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम चालू करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। जहां तक जहांजरानी उद्योग के लिये नाविक अर्किटेक्टों के प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर में नाविक आर्किटेक्टर की डिग्री की सुविधाओ की व्यवस्था की गई है।

श्री रघुनाथ सिंह : समुद्री कानून की स्थिति क्या है ?

श्री मु० क० चागला : इस बारे में मैने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखा कि क्या बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम यह भी चालू किया जा सकता है।

आशा है मैने सभी पूछी गई बातों का उत्तर दे दिया है। एक बार फिर मैं सब सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

Sbri Yashpal Singh (Kairana) : I want to know the reasons for not abiding by the provisions of the Constitution in the matter of replacement of English by Hindi and other Indian languages ?

Shri Ram Sevak Yadav (Bara Banki) : The Govt. are responsible for the entire controversy on language. When the framers of the Constitution had laid down a definite date for introduction of Hindi as the main official language, why do the Govt. not enforce the same ?

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I do not understand why Roman script is being used in Aligarh University while there is a definite provision in the Constitution regarding the adoption of Devnagari script for Hindi.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : क्या सरकार का विचार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदल कर अलीगढ़ विश्वविद्यालय करने का है ।

Dr. Ranen Sen (Calcutta East) : It was decided under the Three Language Formula to teach one Modern Indian Language as a compulsory subject in Hindi speaking States. But it has come to my notice that this decision is not being implemented by them. May I know the steps proposed to be taken by the Government in this direction ?

Shri Krishnapal Singh (Jalesar) : There is no arrangement for post-graduate education in the colleges of Eastern U.P. affiliated with Gorakhpur University where as this arrangement exists in other colleges of U.P. May I know why this disparity exists in the case of Eastern U.P. ?

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : चूंकि हम कई बार संविधान में संशोधन कर चुके है अत: क्या दक्षिण भारत के लोगो तथा अन्य अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन करके हिन्दी को राजभाषा बनाने की तिथि को बढ़ाया नहीं जा सकता है ?

श्री मुहम्मद इलियास (हाबड़ा) : क्या सरकार पश्चिम बंगाल के उन अन्दोलन करने वाले प्रोफेसरों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने इस महीने के अन्त से परीक्षा पत्र न जांचने का निर्णय किया हैं ?

Shri Tulsidas Jadhav (Nander) : The books are prescribed in English while the medium of instruction is regional language in colleges. May I know the steps being taken to remove this anomaly ?

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : May I know whether Government propose to convert the Forest Research Institute into a university ?

श्री छ० म० कदरिया (मांडवी) : क्या मंत्री महोदय को पता है कि गुजरात में लोगों ने मांग की है कि बच्चों को आठवीं कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाये ? क्या इस प्रकार की मांग करना भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है ?

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या मंत्री महोदय को पता है कि पंजाब सरकार वहां के विश्वविद्यालय की सिनेटों से सिखों का प्रभाव समाप्त करने की नीति अपना रही है; यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे लिये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना है । मैं यथा समय इनके बारे में उचित कार्यवाही करने का प्रयत्न करूंगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : TWELFTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : मै प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा वर्ष 1962–63 के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवे प्रतिवेदन पर जो 24 नवम्बर, 1964 का सभापटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सरकार को 31 अक्तुबर, 1963 को प्रस्तुत किया गया था। किन्तु इस पर सभा द्वारा विचार एक वर्ष बाद किया जा रहा है। इस विलम्ब का कारण यह है कि प्रतिवेदन के मुद्रण के लिये भारत सरकार मुद्रणालय ने इसे छापने में काफी समय ले लिया भविष्य में इस प्रकार का विलम्ब न होने देने के लिये हम प्रतिवेदन को गैरसरकारी मुद्रणालय में छपवाने का विचार कर रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में आयुक्त ने 231 सिफारिशें की हैं। इसमें वे सिफारिशें भी हैं जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी हैं। बहुत सी सिफारिशें ऐसी हैं जिनको लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर ही डाला जा सकता है। जिस सिफारिशों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है उन पर कुछ न कुछ कार्यवाही हो चुकी है। अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि देश के कमजोर और पिछड़े वर्गों को शोषण से बचा कर उनकी सामाजिक अन्याय से भी रक्षा की जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों इन्हीं कमजोर वर्गों के अन्तर्गत आती हैं।

इसके अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इनका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की दशा में वास्तविक सुधार करना है। इसमें न केवल कुछ छात्रवृत्तियां देना, स्कूलों, अस्पतालों, छात्रावासों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करना शामिल है, इसके साथ ही इन सभी वर्गों का आर्थिक विकास करना भी इन योजनाओं के अन्तर्गत ही रखा गया है। जहां तक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कल्याणकारी कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, योजना में उच्चतम प्राथमिकता देने वाली योजनाओं का केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम शामिल है। और इनका सम्बन्ध उन त्रुटियों से है जिनके लिए दीर्घकालीन गहन तथा देशव्यापी उपायों की अपेक्षा होती है। इसके अतिरिक्त मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्तियों, आर्थिक उत्थान, स्वास्थ्य, आवास व्यवस्था आदि के लिए राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम है और इन्हें कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य पर ही होता है।

अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जन जाति विकास खंड, सहकार, जनजाति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण, जनजाति बालिकाओं के छात्रावास और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां इत्यादि शामिल हैं। एक यह भी बात है कि अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में गन्दा काम करने वाले लोगों के कार्य की दशा में सुधार करने की बात शामिल है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित हैं--मल उठाने की प्रथा को समाप्त करना, मेहतरों को मकान इत्यादि बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना, गन्दा काम करने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकान बनाने के लिए स्थान देना, हरिजन लड़कियों के लिए छात्रावास बनाना तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देना इत्यादि।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों, दोनों के लिए ही मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन वर्गों के लोग अधिक अच्छे रोजगार प्राप्त कर सकें केवल इसी प्रयोजन के लिए ही उन्हें उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है प्रत्युत शिक्षा प्राप्ति के साधन से उन्हें समाज में अच्छा स्थान प्राप्त होना भी सम्भव हो जाता है। और इससे सामान्यता आत्म विश्वास की भावना भी पैदा होती है। इस संदर्भ में मेरा विचार यह है कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की प्रगति उत्साहवर्द्धक है। प्रथम योजना काल में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को 45,571 छात्रवृत्तियां दी गयी थीं। दूसरी योजना के अन्तर्गत उन्हें 1,87,058 छात्रवृत्तियां दी गयी हैं। प्रथम योजना के मुकाबले में यह संख्या चौगुनी है। तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में 1,83,541 छात्रवृत्तियां दी गयी हैं।

[श्रीमती चन्द्रशेखर]

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि अनुसूचित आदिम जातियों का विकास न होने का मुख्य कारण यह है कि वे समाज से सर्वथा अलग अलग रहते हैं। संचार सुविधाओं के विकास से इस स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। शनैः शनैः यह पृथकता दूर होती चली जा रही है। इसके बावजूद भी उन क्षेत्रों के गहन विकास की आवश्यकता अनुभव की जाती है, जहां कि अधिक संख्या में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग रहते हैं। आदिम जाति खंडों का अधिक विकास करने की दृष्टि से प्रत्येक आदिम जातिखंड को सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पांच वर्षों के प्रथम प्रक्रम के दौरान दस, दस लाख रुपये दिये गये हैं।

अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, सहकारिता, सम्बन्धी योजना जिसमें वन श्रमिक सहकारी समितियां तथा विपणन एवं उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित करने का काम भी शामिल है, केन्द्र द्वारा चलाई गयी योजनाओं में से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। तीसरी योजना की अवधि में अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों सम्बन्धी अत्यन्त गम्भीर समस्या अस्पृश्यता की है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप में कार्यवाही करें। वैसे आयुक्त के वर्तमान प्रतिवेदन में यह कहा है कि यह प्रथा शनैः शनैः समाप्त हो रही है। शिक्षित वर्ग का अब इसके प्रति कोई विश्वास नहीं रहा। इसके साथ ही हरिजन कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की बैठक में इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है। यह निर्णय किया गया है कि इस मामले की जांच करने के लिए तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान की समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाय।

आवास योजना के अन्तर्गत जातियों के लोगों को मकान की लागत का 75 प्रतिशत भाग वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। लागत का शेष भाग लाभान्वित व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक श्रम के रूप में देना होता है। इस सम्बन्ध में तीसरी योजना की योजनाओं की स्थिति यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य दोनों क्षेत्रों के लिए किय गये कुल नियतन 53.46 करोड़ रुपये की राशि में से 49.70 करोड़ रुपये के खर्च हो जाने का अनुमान है। सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उत्सुक है। अधिक खर्च होने से यह सिद्ध होता है कि योजनाओं को बड़ी तेज गति से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो भी रचनात्मक आलोचना माननीय सदस्य करेंगे उससे अन्ततोगत्वा लाभ ही होगा। उनके सुझावों पर विचार किया जायेगा। इन शब्दों से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री शिवामूर्ति स्वामी (कोप्पल) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामचन्द्र मल्लिक (जयपुर) : इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहने का अवसर दिये जाने पर मैं आभार प्रकट करता हूं। हम आदिम जाति तथा अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। आज तो देश भर के लोग भावात्मक एकता के लिए चिन्तित दिखाई देते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और हमें इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। वैसे भी इस प्रकार की समस्या के विचार करने का अब बड़ा उपयुक्त अवसर है। वैसे भी मंत्रालय का इस मामले में उत्तरदायित्व भी है। मंत्रालय ने इस कार्य को बड़े शानदार ढंग से किया है, अतः मैं मंत्री, उपमंत्री तथा मंत्रालय के अधिकारियों को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य में दोनों जगह हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय होना चाहिए। और यह मंत्रालय एक मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री के आधीन होना चाहिए। यह भी खेद की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने भी उन राशियों का प्रयोग नहीं किया है जिसको कि उनके कल्याण के लिए खर्च करने को निर्धारित किया गया है। यह नहीं होना चाहिए इस निर्धारित राशि का उपयोग होना चाहिए। यह भी एक तथ्य है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 90 प्रतिशत लोग भूमिहीन मजदूर हैं। कहा गया था कि उन्हें भूमि देने का निर्णय हुआ है, परन्तु लगता है कि यह निर्णय केवल कागज पर ही है, इसे कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

एक अन्य बात जो इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी राज्यों में हरिजन बस्तियों के लिए जो राशि स्वीकृत की गयी है वह पर्याप्त नहीं है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि स्वीकृत राशि को ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता।

राज्यों के समक्ष इस दिशा में एक अन्य कठिनाई है, वह यह कि उनके साधन सीमित होने के कारण वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को अधिक छात्रवृत्तियां देने पर अधिक खर्च वहन नहीं कर पातीं। अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से मंत्री महोदय के द्वारा आग्रह करूंगा कि उन्हें इन जातियों की शिक्षा के लिए अधिक धन देना चाहिए।

उड़ीसा राज्य की कुल जनसंख्या 1,75,48,846 है, और इसमें 1 करोड़ लोग पिछड़े वर्ग के हैं। बाकी 75 लाख के लगभग लोग सभी वर्गों के हैं। इस स्थिति में मेरा निवेदन है कि सरकार को उड़ीसा राज्य की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वहां के पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए अधिक धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि सरकार को अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें अपेक्षित संशोधन करना चाहिए।

17 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी लोगों को इस अपराध अधिनियम का कुछ पता ही नहीं है। ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पिछड़े वर्गों के लोगों को सामान्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। आयुक्त प्रतिवेदनों में भी इनका उल्लेख है, अत: इनकी ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए।

Shri Gulshan (Bhatinda) : I rise to speak on the 1962-63 report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I feel we ought to have discussed it much earlier. This shows the callousness of the Government towards the welfare of the Harijans. The report has touched the elimination of untouchability, the removal of illiteracy and poverty from amongst the backward classes, to give the land to the landless labour belonging to these classes and to reserve places for them.

It has been stated in the report that there have been about 399 complaints regarding untouchability. Only 180 complaints were disposed of within six months. It takes long time to settle matters. There are incidents of maltreatment with the Harijan girls also in the villages of Maharashtra. At many places the social buoycot of the Harijans was also done. It is really disgraceful to be called as Harijans.

Now I come to the work, welfare work that is done in order to raise the standard of the backward classes. If we do the overall analysis the position is that there are eight crores Harijans in this country. The amount that is set apart

[Shri Gulshan]

for their welfare is bearly one rupee per man. So many assurances have been given for the progress of the scheduled castes and schedule tribes but nothing practical has been done in this direction. This has been admitted by the Government that the seats reserved for the backward classes have not yet been fulfilled. So many times it was assured that landless people belonging to the backward classes will be given lands, but this assurance also remains unimplemented. There are so many departments where there is not a single scheduled caste officer working against gazetted post. My suggession is that there should be a separate Ministry to deal with the matters connected with the welfare of backward classes.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा करेंगी ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

त्रेपनवां प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगड़ा) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की त्रेपनवें प्रतिवेदन से, जो 9 दिसम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की त्रेपनवें प्रतिवेदन से, जो 9 दिसम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

आणविक अस्त्रों के निर्माण के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : MANUFACTURE OF NUCLEAR WEAPONS—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री हुकम चन्द कछवाय द्वारा 27 नवम्बर, 1964 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"इस सभा की यह राय है कि भारत सरकार को आणविक अस्त्रों का निर्माण करना चाहिये ।"

अब श्री कछवाय वाद-विवाद का उत्तर देंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : I am grateful to all those hon. members who have supported this motion. The rightist and leftist members belonging to China-group have opposed it as they feel that their intentions will not be fulfilled if India undertakes the manufacture of atom bomb. We should manufacture nuclear weapons with a view to defending ourselves and discouraging our neighbour enemy to attack us.

I will request the hon. Prime Minister to take cognisance of public opinion and launch the manufacture of atom bomb. I do not accept the statement that the cost of manufacture of an atom bomb is 40 crores of rupees. A conference of American Atomic experts held recently in Geneva the cost was given as Rs. 17 lakhs only. With the mineral and natural resources at our disposal in India we can produce atom bomb at a very low cost. We plead for peace in the world but it is not possible without strength and power.

I am happy to know that the Prime Minister has at least agreed to the generation of atomic energy for development works and I believe that he will agree that though we may not produce atom bomb we should take other measures for defending ourselves against atomic powers. One of these measures should be manufacture of radars so as to be in a position to intimate our friends for timely interception of enemy planes in case of attack.

Instead of relying on Dr. Bhabha we should constitute a board of scientists to advise the government.

Atomic energy should be made a subject at the universities.

A plea is advanced that in case of need our friendly countries would defend us but let us know what more valuable thing than an atom bomb can we give them in return.

It is not correct to say that it will hinder the progress of our development plans. In this connection I would request that wastage in defence expenditure should be checked. I humbly request all the members who have supported this motion to vote in its favour to get it passed.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की यह राय है कि भारत सरकार को आणविक अस्त्रों का निर्माण करना चाहिये।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ

The resolution was negatived

सामुदायिक विकास खंडों से जीप गाड़ियों के हटाये जाने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : WITHDRAWAL OF JEEPS FROM COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCKS

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : Mr. Deputy Speaker, I beg to move that :

"That in accordance with the Prime Minister's announcement made on the 18th September, 1964, this House urges upon the Government to take immediate steps to withdraw jeeps from the Community Development Blocks by the 26th January, 1965".

It is to be deprecated that the Prime Minister made an announcement in the House but action was not taken as contemplated. It cannot be disputed that an announcement was made in the House by the Prime Minister on 18th September, regarding jeeps though there is difference of opinion in its interpretation.

[Shri Kishen Pattnayak]

The interpretation of Shri S. K. Dey is that there should be optimum and purposeful use of jeeps is not correct. The reason for taking this line is that the withdrawal of jeeps would change the entire set up of the administration and the B.D.O., who has been posing hitherto as a big officer will become a servant of the public.

All Officers, B.D.O., Agriculture Officer, Health Officer, Education Officers ride in a jeep to the villages and burden the poor village-level workers with their orders. The entire work whether small-pox vaccination or work connected with agriculture is done by the village-level worker.

To illustrate the attachement of B.D.O. to a jeep I will cite a case of my district where a no-confidence motion was passed against the Chairman who discouraged the use of jeeps by the B.D.O.

The jeeps are being misused for all private purposes by the Chairman and B.D.Os. of the Blocks and at present jeep has become a symbol of bureaucracy. Furthermore these jeeps are used every fifth year by the Congress for their electioneering as was done in the Phulpur by-election.

The major part of the expenditure in a block is incurred on maintenance of jeeps and affording facilities to the bureaucratic officers.

I will appeal to the Prime Minister to distribute the land to the landless and to abolish land revenue in case of petty farmers and then replace the jeep by tractor as the symbol of rural development.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री यशपाल सिंह (कराल) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव तथा संशोधन सभा के विचारार्थ प्रस्तुत हैं ।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : मेरा सामुदायिक विकास आन्दोलन से बहुत सम्बन्ध रहा है और मैं इसका समर्थक हूं ।

सामुदायिक मंत्रालय को सौंपा गया कृषि में लगे एक बहुत बड़े बुराइयों व निर्धनता में डूबे हुए जनसमूह को एक नया दृष्टिकोण देने का कार्य बहुत बृहत् कार्य है। मंत्री महोदय और उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने इस कार्य में अपना खून व पसीना एक कर दिया है। हमें इस आन्दोलन का मूल्यांकन उचित मापदंड से करना चाहिये ।

मैं जीपों के हटाये जाने के मत से पूर्णतया असहमत हूं। यह कहना ठीक नहीं कि इन पर बहुत अधिक व्यय हो रहा है। मैं जानता हूं कि इन पर सारे व्यय का कुछ प्रतिशत भाग ही खर्च किया जा रहा है। यही बात अधिकारियों के वेतन के बारे में है। यदि हमें सामुदायिक विकास खंडों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पशु-पालन के क्षेत्र में प्रसार में सेवायें करनी हैं और ग्रामीणों को एक नया दृष्टिकोण देना है तो अधिकारियों पर कुछ व्यय करना ही पड़ेगा ।

यदि आप ग्रामों की स्वतन्त्रता से पहिले की स्थिति की सन् 1950 के बाद की स्थिति से तुलना करें तो ज्ञात होगा कि काफी परिवर्तन हुये हैं। परिवर्तनों की गति धीमी होना स्वाभाविक है। यदि हम उल्टी दिशा में चल पड़ें तो ग्रामों की जनसंख्या की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होंगे ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी बस, साईकिल तथा यातायात के अन्य आधुनिक साधनों का प्रयोग हो रहा है इसलिये जीपों को हटाने में कोई दुख नहीं है। यदि कोई दुरुपयोग हो तो उसको अवश्य रोकना चाहिये। विकास खंडों में ग्राम एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होते हैं जहां जीप के बिना शीघ्रता से नहीं पहुंचा जा सकता। पश्चिमी देशों की अपेक्षा हमारे गांव बहुत पिछड़े हुए हैं। यदि हम विकास व प्रगति के आधुनिक साधनों का उपयोग नहीं करते तो शीघ्रता से प्रगति नहीं कर सकते। यदि हमें देश का उद्योगीकरण करना है, प्राथमिक क्षेत्र के व्यक्तियों को माध्यमिक क्षेत्र में भेजना है तथा माध्यमिक क्षेत्र के लोगों को तृतीय क्षेत्र में ले जाना है तो इन शीघ्रगामी तरीकों को अपनाना पड़ेगा। संकल्प में सुझाया गया तरीका ग्रामीणों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का नहीं है।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। हमें ध्यान इस बात पर देना है कि इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता के मस्तिष्क में जीपों के उपयोग से उत्पन्न समस्याओं का इनके हटाने से समाधान हो जायेगा या इसके लिये कोई अन्य तरीका अपनाना पड़ेगा।

इस विषय में दो समस्यायें हैं। पहिली यह कि विकास खंड अधिकारी इस परिवहन के द्रुतगामी साधन के अभ्यस्त हो गये हैं और ग्रामीणों से उनका निकट का सम्पर्क नहीं रहता जिससे उन्हें ग्रामनिवासियों की अन्तर्तम भावनाओं, लालसा तथा आशा की जानकारी नहीं हो पाती। दूसरी समस्या चुनावों में जीपों का राजनैतिक कार्यों के लिये दुरुपयोग है। सत्तारूढ़ दल यह लोभ संवरण करना कठिन समझता है।

मैं मानता हूं कि समस्या अवश्य है लेकिन जीपों के हटा लेने से हमारी कृषि तथा अन्य ग्रामीण विकास की योजनायें क्या परिवहन के प्राचीन साधनों के सहारे पूरी होंगी। यह दो द्वेष में अपनी नाक काटने के समान होगा। मैं अपने विगत अनुभव के आधार पर मैं वह सुझाव देना चाहता हूं जिसे यदि मंत्री महोदय स्वीकार करें तो उससे विकास खंड अधिकारियों के दौरों का यथेष्ट सूक्ष्म निरीक्षण करके इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकता है।

खण्ड विकास अधिकारियों के दौरों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। ग्रामीणों के सम्पर्क में आने के लिये उन्हें कुछ दिन मुख्यालय के बाहर उन के साथ भी बिताने चाहियें। इस से ग्रामीण अपनी कठिनाइयों को सरकारी अधिकारियों को बता सकते हैं। यदि वे 18 या 20 दिन के दौरे पर जायें तो उन्हें कम से कम 10 दिन तो ग्रामीणों के साथ बिताने चाहियें। जहां जीपें आदि न जा सकती हों वहां उन्हें पैदल जा कर ग्रामीणों के साथ व्यक्तिगत मेलजोल बढ़ाना चाहिये। इस से लाभ यह होगा कि ग्रामों के विकास में अच्छी उन्नति हो सकेगी।

मेरे विचार से इस प्रकार जीपों आदि को भली प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि ये अधिकारी बैलगाड़ियों में, ग्रामों में जायेंगे तो इस पर बहुत समय अथवा धन की हानि होगी।

अब मैं सरकारी गाड़ियों के कुप्रयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। चुनाव के दिनों में सत्तारूढ़ दल इन गाड़ियों का चुनाव में प्रयोग करते हैं। सरकारी अधिकारियों की भी यही प्रवृत्ति होती है कि वे सतारूढ़ दल को गाड़ियां चुनाव में प्रयोग करने के लिये देना पसन्द करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जब जिला परिषद् या जिला बोर्ड या खण्ड विकास समिति के चुनाव हों या जब आम चुनाव आरम्भ हों तो इन सरकारी गाड़ियों को प्रयोग से वापिस ले लिया जाना चाहिये। इस प्रकार से सरकारी गाड़ियों को कुप्रयोग से बचाया जा सकता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जीपों को वापिस लेने से ही यह समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिये जो मैंने सुझाव दिये हैं वे मंत्री महोदय ध्यान में रखें।

श्री इन्द्रजित लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा कश्मीर) : मेरे विचार से जब प्रधान मंत्री ने जीपों को वापिस लेने के बारे में अपने वक्तव्य में संकेत दिया था तो उन के मन में पुराने खण्ड विकास अधिकारियों का ख्याल था। अंग्रेजों के समय में जब कोई अधिकारी गांवों में जाता था तो लोगों का यही विचार होता था कि कोई अच्छी स्थिति का अधिकारी गांव में आया है। जब भी कोई अधिकारी जीप में जाता था तो वे समझते थे कि कोई बड़ा अधिकारी आ गया है। इस तरह लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता था। यही विचार अब भी ग्रामीणों के मन में उत्पन्न होता है।

प्राय: जीपों का प्रयोग गांवों में उर्वरक, खाद इत्यादि भेजने के लिये किया जाता है। यदि कभी कभी अधिकारी इस को और कार्य के लिये भी प्रयोग कर लें तो हमें संकोच नहीं करना चाहिये।

मेरे विचार से अब यह कार्य राज्य सरकारों पर ही नहीं छोड़ देना चाहिये। परन्तु मंत्री महोदय को स्वयं इस कार्य को करने के लिये कोई नयी प्रक्रिया अपनानी चाहिये।

भविष्य में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि इन जीपों को अधिकारियों के परिवारों को सिनेमा ले जाने के लिये प्रयोग में नहीं लाया जाता है तथा उनका चुनावों में भी दुरुपयोग नहीं होता है।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I fully remember that the Prime Minister had mentioned in his speech that the officers should not use the official jeeps when they go to the villages to come in contact with the rural population. It is sad that the Prime Minister had said so without consulting the Ministry. Had he not said so, the motion on the subject might not have been moved by Shri Kishan Pattnayak. Now the Prime Minister himself should varify the entire matter.

The previous speakers have spoken a lot on the misuse of the official carriages by the Officials. So I need not say anything more on that point. What I would suggest is that the jeeps should not be used to go to the block development areas where other means of transport are available. On the other hand they must be put to use when no such facilities exist. We should not strictly follow the advice of the Prime Minister and withdraw the jeeps from official use. Even the Prime Minister can be wrong sometimes and then it becomes the duty of the Members of Parliament to set things right.

These jeeps should not be used for small purposes. The hon. Minister should issue instructions that the jeeps should not be used to go to the district headquarters to attend the meetings.

I support Shri Pattnayak when he says that the jeeps should be replaced by trucks so that these can also be used to carry other goods.

The Government should also chalk out a plan to withdraw the jeeps where they are not needed and fix the date by which they can be withdrawn. I think it should be done by 26th January.

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़ उत्तर) : मुझे खेद है कि विरोधी दल के सदस्य, सभा में 14 सितम्बर को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधान मंत्री के शब्दों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाये। उन्होंने जो शब्द कहे थे उनका तात्पर्य यही था कि जीपों का उपयोग ठीक हो तथा अधिकारियों और ग्रामीण जनता में घनिष्ठता बढ़नी चाहिये।

सामुदायिक विकास खण्ड की संस्थायें सारे देश भर में हैं जो वहां के लोगों की सामाजिक विचार धारा में आमूल परिवर्तन ला सकती थीं। वे कृषि उत्पादन में भी अपना योगदान दे सकती थीं। हमारे

देश के 80 प्रतिशत लोग कृषि व्यवसाय पर निर्भर करते हैं इसलिये हम कृषि उत्पादन की वृद्धि पर अधिक जोर दे रहे हैं। यदि किसी खण्ड विकास अधिकारी को ऐसे खण्ड की जिस में 60–70 ग्राम हों देखभाल करनी पड़ जाये तो वह कैसे कर सकता है। उसे एक ही तो काम नहीं करना होता है। उसे उर्वरक, खाद कृषि उत्पादन सम्बन्धी बड़े बड़े कार्य, पुलों को निर्माण आदि कई चीजों की देखरेख करनी होती है। मुझे विश्वास है कि यदि विरोधी दल के सदस्यों को इन सब बातों का पता होता तो वे ऐसा कभी न कहते।

ग्राम सेवक कभी भी जीप का प्रयोग नहीं करता है। वह कई राज्यों में साइकिल पर या घोड़े पर तथा राजस्थान में ऊंट पर जाता है। जीप का प्रयोग केवल बड़े अधिकारी ही करते हैं।

हम पंचायती राज पद्धति स्थापित करने जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सुविधा देने वाली समिति में हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि उन का लोकतंत्रात्मक आदर्श के आधार पर कैसे सुधार किया जा सकता है। सभी नागरिकों को आमूल अधिकार सुनिश्चित किये जाने चाहियें, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिये। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए खण्ड विकास के कार्यों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। कई गांवों में पहुंचने के लिये सड़कें नहीं होती हैं। इसलिये इन जीपों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिये इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मुझे आशा है, कि माननीय सदस्य इस बारे में पुनर्विचार करेंगे।

मैं श्री दांडेकर से सहमत हूं जब वह कहते हैं कि चुनाव के दिनों में जीपों का कुप्रयोग किया जाता है। अब गांवों में कई चुनाव होने वाले हैं जैसे पंचायत चुनाव शीघ्र होने वाला है। उसमें इन जीपों का कुप्रयोग किया जा सकता है। इन का प्रयोग न केवल सत्तारूढ़ दल ही कर सकता है बल्कि कई विरोधी दल के सदस्य अधिकारियों पर प्रभाव डालकर इन का प्रयोग कर लेते हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है इनको वापिस लेने की बजाय इन के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Kaivana) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, we could not do justice with our agriculture because our Government could not provide the seeds, manures and irrigation facilities to the agriculturists. Therefore what can the Block Development Officers do in the matter. It will be a wastage of national wealth to provide them with the jeeps. I do not think whether any price winner or any 'Krishi Pandit' or any other agriculturist who has beaten all the previous records in the field of agriculture have ever used jeeps.

In a country where eighty per cent of the land is still tilled with bullocks and where tractors cannot help much in the matter, it will be a wastage of money if jeeps are put to any use there. The Prime Minister was right when he said that the Block Development officers do not come in contact with the village people. The President of India Dr. Radhakrishnan had also said correctly that the amount yearmarked for development purposes has been wasted on non-development works. It is a great injustice to the country.

[डा० सरोजिनी महिषी पिठासीन हुई]

[Dr. Sarojini Mahishi in the Chair]

I congratulate Shri Kishen Pattnayak for bringing such an innocent resolution before the House.

Now something has been said for the use of the tractors. I don't think that the tractors work well in our country. They can only be of any use where they are found in large numbers and where the land to be tilled is sufficiently large. Moreover the small farmers cannot afford them.

[Shri Yashpal Singh]

The jeeps should not be withdrawn by 26th January as has been suggested by hon. Members. Rather they should be used for some practical purposes. They can be utilised on the Ladhak frontier. These can also be given to such Ministers who cannot afford to go on foot.

If the Block Development Officer cannot go to the villages on foot, if he cannot till the land, how can he do development work ? I think, therefore, that the jeeps should be withdrawn forthwith and the live stock should be increased. About twenty crore acres of land is lying untilled because of the shortage of livestock and tractors etc. On the other hand new taxes are imposed to meet out the expenses of jeeps.

Then we should see that they are not misused. In my own constituency I have found the Block Development officer had sent his driver in a jeep to bring a tie for him from that place. Now one can imagine how national wealth is wasted on trifles.

Then the Government claims that it is a Government of the people, of the labourers and farmers. But I don't think that it is so because the poor people have to suffer great difficulties, they have to stand for hours in queues to get even for a seer of sugar.

In the end I would say that the jeeps should be withdrawn forthwith.

Shri Balmiki (Khurja) : I oppose this resolution but that does not mean that I do not agree that the jeeps are not misused in the Community Development Blocks.

The need of the day is that the people in rural areas should march towards progress. Therefore, such officers should be appointed there who could mould themselves with the rural people.

Whenever I happen to go to the Community Development blocks, I always go either in a bus or on foot. It may be that if some B.D.O. is passing through that way he could give me a lift in his jeep. It does not matter much if either Congress Members or Members of the opposition could be given a lift but they should be properly used.

Shri Hukam Chand Kachhaviaya : What about their use during the election period.

Shri Balmiki : I can say that I have not used them during my election nor are they used in my constituency.

The Block Development Officers do not mix up with rural population. Their way of living and thinking is quite different from these people. They should thus mould themselves alike.

The Ministry concerned should also find out the areas where the jeeps could be properly used and those where they are not of much use.

They should also find out the areas where irrigation facilities are available because there are many blocks where such facilities are not there. From such places the jeeps should not be withdrawn, but they should not be misused.

There should also be proper arrangement for the repairs of the jeeps.

The Block Development Officers do not perform their duties properly. The amount allotted for development purposes is not used. The reason for it is that these officers do not take interest in the welfare of farmers and village folks.

Mr. Dandekar was right when he said that the jeeps should be withdrawn during the elections and kept at some district places so that they are not used in the elections.

There should also be an increase in the number of bullock-carts. They are also very essential and will help in the development work. These bullock carts should also be of the modern type.

श्री शिकरे (मरमागोआ) : सभापति महोदया, जिस भावना से श्री पटनायक ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसे जानता हुं तथा मुझे यह भी पता है कि जीपों का दुरुपयोग हो रहा है परन्तु फिर भी मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। यदि जीपों को वापिस ले लिया गया तो ग्राम स्तर पर जो विकास हो रहा है उस में सब बाधा पड़ जायेगी। प्रधान मंत्री द्वारा 18 सितम्बर, 1964 को दिये गये वक्तव्य में तथा श्री किशन पटनायक की भावना में केवल इतना ही अन्तर है कि उन्होंने प्रधान मंत्री के वक्तव्य का शब्दशः अर्थ निकाल लिया है।

मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री पटनायक को वर्तमान सरकार के प्रति बहुत गलतफहमी है। उन्हों ने इस सभा में कई बार कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार से दूषित है क्या उन का ऐसा कहने से यह अभिप्राय है कि देश में कोई सरकार नहीं होनी चाहिये, जैसे वह अब इस प्रस्ताव में कह रहे है कि चूंकि जीपों का दुरुपयोग होता है इस लिये उन को वापिस ले लिया जाना चाहिये। हमारे देश में परिवहन के साधन बहुत ही कम हैं इस लिये दूरस्थ गांवों में जाने के लिये जीपों का होना आवश्यक हैं और कई बार तो खण्ड विकास क्षेत्र बहुत दूर तक फैले होते हैं इस लिये जीपों का होना बहुत आवश्यक है।

जैसे श्री यशपाल सिंह ने सुझाव दिया है कि जीपों के स्थान पर घोड़ो का प्रयोग किया जाना चाहिये ऐसा करना तो मेरे विचार से देश को पुराने युग में ले जाना होगा।

जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि जीपों का दुरुपयोग चुनाव में होता है। मेरे विचार से इस के लिये सरकार ही सीधी जिम्मेदार नहीं है तथा हमारे देश बहुत से लोगों को इस बारे में गलत धारणा भी हो जाती है।

कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है जीपें वापिस ले ली जानी चाहिये तथा अधिकारी पैदल गांवों में जा सकते हैं। मेरे विचार से यह भी संभव नहीं होगा क्योंकि एक क्षेत्र में जहां 100 गांव होंगे वहां सब गांवों में अधिकारी कैसे जा सकते हैं।

मुझे स्मरण है कि स्वतंत्र से कुछ वर्ष पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि मंत्रियों को तृतीय श्रेणी में यात्रा करनी चाहिये। उन का ऐसा कहने से यही तात्पर्य था कि स्वतंत्र भारत में मंत्री जनता के सेवक होंगे। इस लिये मेरा ऐसा कहने से यही मतलब है कि हमें प्रधान मंत्री के शब्दों को नहीं अपितु उन की भावना को देखना चाहिये।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : सभापति महोदया, मैं ने श्री यशपाल सिंह के भाषण को बड़े ध्यान से सुना परन्तु वह तो समभाजन पर बोल रहे थे जिस का यहां पर कोई अर्थ नहीं निकलता।

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

मुझे आशा है कि प्रस्तावक नहोदय का इस संकल्प को लाने का यह तात्पर्य नहीं है कि जीपों को वास्तव में वापिस ले लिया जाना चाहिये । परन्तु वह यह प्रस्ताव इस लिये लाये है ताकि उन को कांग्रेस के सदस्यों की भावना का पता लग जाये कि वे प्रधान मंत्री के वक्तव्य को किस दृष्टिकोण से देखते हैं ।

हमें किसी भी भाषण या वक्तव्य का शब्दश: अर्थ नहीं निकालना चाहिये परन्तु उस के भाव को लेना चाहिये । जैसे स्वतंत्रता के पश्चात् प्रधान मंत्री ने कहा था कि उसकी मंत्रियों को गांवों में रहना चाहिये तो इस से यह तत्पर्य नही था कि सभी गांवों में जा कर बस जायें । इस से अभिप्राय यही था कि उन को ग्राम वासियों के संपर्क में आना चाहिये । इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि पदाधिकारी ग्राम वासियों के संपर्क में नहीं आते हैं । इस लिये प्रस्तावक महोदय को भी यही पता है कि प्रधान मंत्री का इस से भाव क्या था परन्तु उन्हों ने वैसे ही यह प्रस्ताव पेश किया है ।

ऐसे ही चुनाव के दिनों में मेरे पर यह आरोप लगाया गया था कि मैं अपने स्थान से दिल्ली तक वायूयान द्वारा संसद् के काम के लिये गई थी तो इस से यह अभिप्राय नहीं था कि मैं वहां से यहां तक बैल गाड़ी से आ सकती थी ।

मैं प्रस्तावक महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने कभी बस या मोटर से अपने काम के लिये यात्रा नहीं की है । यदि की है, तो फिर वह इन अधिकारियों को जीपों में यात्रा करने से क्यों वंचित करना चाहते है । यह हो सकता है कि उन को प्रत्येक कार्य के लिये जीप का प्रयोग करने की अनुमति न दी जाये परन्तु जहां आवश्यक हो वहां उन्हें जीपों का इस्तेमाल करने दिया जाना चाहिये । इस के लिये उन को लेखा देने के लिये कहा जा सकता है ।

मैंने अपने चुनाव में जीपों का प्रयोग होते नहीं देखा है । परन्तु उनका प्रयोग जिला परिषद् में सभी दलों द्वारा अवश्य हुआ था । इस लिये इन के उपयोग पर पाबन्दी लगा देनी चाहिये न कि उन को वापिस ले लिया जाये ।

श्री जयपाल सिंह (रांची–पश्चिम) : सभापति महोदया मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि जीपों को वापिस ले कर उन का ठीक प्रकार से उपयोग न किया जाये । मुझे खेद है कि कई सदस्यों ने कहा है कि हम प्रधान मंत्री के वक्तव्य का अर्थ ठीक प्रकार से समझ नहीं पाये । मेरा कहना यह है कि हम भी अंग्रेजी पढ़े हुए हैं और उनके वक्तव्य का ठीक ही अर्थ समझ पाये थे । मुझे यह इस लिये कहना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है कि यह प्रस्ताव विरोधी दलों द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यह तो एक राष्ट्रीय प्रश्न है इस को इस दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिये ।

इस में कोई सन्देह नहीं कि सामुदायिक विकास मंत्रालय अधिक अन्न उपजाने में असफल रहा है प्रधान मंत्री ने भी यह वक्तव्य सोच समझ कर दिया होगा मैं भी कई खंडों में गया हूं और मेरा भी यही विचार है कि जीपों पर रुपया खर्चना रुपये का खराब करना है । परन्तु यदी उन के पास हेलीकॉफटर हों तो वे सहायक सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि उन से वे जहां चाहें उतर सकते हैं ।

मैं इस बात को विस्तार में नहीं जाना चाहता कि खण्ड विकास अधिकारियों ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में क्या किया है । इस बारे में मंत्रियों ने भी मान लिया है कि खण्ड विकास योजनायें वहां पर असफल रही हैं । इस लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि हम इस प्रकार कितनी देर तक धन बर्बाद करते रहेंगे । अत: प्रधान मंत्री ने जो कहा है वह ठीक है ही प्रतीत होता है । इस लिये मेरे विचार से जीपों को लेकर हमें यह देखना चाहिये कि उस से क्या प्रतिक्रिया होती है और मेरे विचार से गांवों में बेल गाड़ियों द्वारा यात्रा करना भी अद्भुत होता है ।

जो यह कहा गया था कि एक खण्ड में 100 गांव होते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक अधिकारी को हर गांव में जाना पड़ता है।

जहां तक जीपों का चुनाव में प्रयोग करने का सम्बन्ध है वह तो प्रत्येक व्यक्ति की नैतिकता पर निर्भर करता है।

Shrimati Savitri Nigam (Banda) : Madam Chairman, some Members who have fundamental misunderstanding of the problem have moved this Resolution regarding removal of the jeep from the Community Development Block. It is true that the hon. Prime Minister made the other day the statement on the jeep used by the B.D.Os. But unfortunately they have not followed the spirit of the statement. The Prime Minister felt that the jeeps were standing in the way of intimate relationship between the workers in the Community development blocks and the people in the villages. The main idea behind that was therefore, to make workers to get nearer to the villagers. Moreover, rural life is entirely changed today. The Panchayati raj institutions have been delegated powers, and they are alive to whatever powers they have been vested in and they are functioning very smoothly. They have made sufficiently a good progress in development works connected with their areas. And a rapid change is taking place in the rural life today. At the Same time the Sarpanch or the members of the Panchayat watch very closely whether the jeep is being used for official purposes. In view of the inconvenience and lack of requisite facilities in connection with communication and transport in the rural areas, it is absolutely necessary to provide the jeeps to the Community Development Block so that the BDO and other staff concerned may not suffer in the smooth and efficient discharge of their duties. I, therefore, oppose this resolution.

Shri Jena (Bhadrak) : Madam Chairman, I oppose this resolution. Because this resolution does not contain anything substantial which can justify the removal of the jeep from the Community Development Block. It is, no doubt, a fact that the hon. Prime Minister had made a statement on the jeeps used in the Block. What the Prime Minister, of course, desired was to get the block workers nearer to the villagers and remove their jeep mentality. But when we give a due consideration to the problems and difficulties the BDO is faced with in connection with the development work of the Block, we shall definitely realise that the jeep is necessary for the BDO in order to enable him to discharge his duties efficiently so far as misue of the jeep in the block is concerned, I can say on the basis of my personal knowledge that it is entirely a false allegation. What I feel is that there is, of course, some misunderstanding on the part of the mover of the Resolution that he could not appreciate the spirit of the statement made by the hon. Prime Minister on the jeep. I do not, therefore, support this Resolution.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Madam Chairman, I do not support this Resolution. At the same time I do not oppose it. It is our earnest desire to achieve a good success in the efforts being made for the development and regeneration of our rural areas. In order to achieve this end, we should give due incentive to the community development programmes. In the light of the above fact, it cannot be insisted on the complete withdrawal of the jeeps from the Community Development Blocks. It is, no doubt, advisable that in the case where well-maintained communications and transport facilities are available the jeep may be withdrawn. But it is absolutely necessary that the Government should prescribe a procedure to ensure that there is a proper use of the jeep and it could be strictly used for official purposes connected with the community development work only.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : सभापति महोदया सदस्यगण, खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जीप का दुरुपयोग किये जाने के बारे में आरोप लगा रहे हैं। मेरे विचार में इस का कारण कुछ भूल भ्रांति है, खण्ड विकास अधिकारी के कार्य को पंचायतों के सदस्य, समिति के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी पदाधिकारी ध्यान से देखते रहते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी एवं गैर सरकारी पदाधिकारी भी आवश्यकतानुसार इस जीप का प्रयोग करते रहते हैं। चूंकि मैं नहीं कहती कि खण्ड विकास अधिकारी सदैव ही जीपों का प्रयोग करते रहें, किन्तु उन्हें कुछ सुविधायें मिलनी चाहिये क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभीतक यातायात सम्बन्धी सुविधायें सुचारु रूप से उपलब्ध नहीं हैं, हमें सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्रान्ति लानी है जिससे कि समाज में परिवर्तन हो, और एक नव भारत का निर्माण हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम लोगों पर विश्वास करें और उन्हें इस प्रकार शिक्षित करें कि वे स्वयं सच्चे कर्मठ एवं निष्ठावान व्यक्ति बन जावें, इसके पश्चात जीपों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी अतः जीपों का वापिस लिया जाना सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा जनता पर छोड़ दिया जाना चाहिये ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : हमारा यह अनवरत प्रयत्न रहा है कि इस बहु-प्रयोजनीय कार्यक्रम में जनता का व्यय किये गये धन का अधिकतम सदुपयोग हो और उससे पूर्णतया सन्तोषजनक परिणाम निकलें। जीप के प्रयोग किये जाने के बारे में वाद-विवाद का यह पहिला अवसर नहीं है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री भी विकास खण्डों में पदाधिकारियों द्वारा जीप का प्रयोग करने की आदत के बारे में प्रायः चर्चा किया करते थे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

प्रधानमंत्री महोदय का जीप के बारे में कहने का मुख्य आशय यह था कि विकास खण्डों में जीप का प्रयोग किये जाने से पदाधिकारियों तथा जनता के बीच घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता है, मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्रीजी के अभिप्रायानुसार ईमानदारी, सत्यनिष्टा एवं उत्साहपूर्वक इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। नगरों में यातायात की सभी सुविधायें तथा—मोटर बस, साइकिल-रिक्शा, टैक्सी, कार आदि उपलब्ध है। किन्तु जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है वहां प्रत्येक विकास खण्ड का क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग मील है और हमारे देश में 5200 विकास खण्ड हैं, उनमें दी गई जीपों की कुल संख्या 3700 है, जीप केवल उन खण्डों को दी गई हैं जहां सड़कें तथा संचार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इन साधनों के अभाव में वहां पर जीपों के बिना काम करना असम्भव है। संचार एवं सड़क सम्बन्धी सुविधायें जहां उपलब्ध हैं वहां जीप नहीं दी गई हैं। श्री दांडेकर का इस बारे में सुझाव प्रशंसनीय है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पहिले ही व्यवस्था कर रही हैं कि खण्ड विकास अधिकारी तथा अन्य खण्ड कर्मचारी महिने में कुछ निश्चित दिनों में ही अपने क्षेत्र का भ्रमण करें। किन्तु विकास खण्ड के दूर क्षेत्रों में कृषि आदि के उत्पादन वृद्धि हेतु चलाये गये कार्यक्रमों के लिये सम्बन्धित उपकरणों को भेजने के लिये आवश्यक है कि वहां हमारे पास यातायात की सुविधायें उपलब्ध हों।

हमने जीपों के उचित प्रयोग के बारे में राज्य सरकारों को लिखा है, वे इस सम्बन्ध में प्रकृया बना रहे हैं—यथा पेट्रौल का उपयोग करने की सीमा निर्धारित करना, लोगबुक का समुचित प्रबन्ध, कर्मचारियों द्वारा जीप का संयुक्त उपयोग और जीप का प्रयोग करने पर जनता के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का उचित नियंत्रण। इन विकास खण्डों में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि भी लिये जाते हैं जो उक्त खण्डों की कार्य विधियों पर दृष्टि रखते हैं। दुरुपयोग का पूर्ण उन्मूलन का जहां तक प्रश्न है उसके लिये यथासम्भव प्रयत्न किया जावेगा

तथापि दुरुपयोग कुछ सीमा तक तो होता ही है। चुनाव के दौरान राजनैतिक प्रयोजनों के लिये भी जीपों का दुरुपयोग किये जाने का आरोप लगाया गया है, मैं यथासम्भव प्रयत्न करूंगा कि जीपों का प्रयोग इस उद्देश्य के लिये न किया जाये। तथापि मैं विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करके एक मान्य निर्णय लेने के लिये तैयार हूं।

यह सच है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में हमें आशानुकूल सफलता नहीं मिली है तथापि यह भी सच है कि इन कार्यक्रमों ने जनता के मस्तिष्क में आधुनिक प्राद्योगिक उपकरणों का उपयोग किये जाने की भावना भर दी है जिससे कि उनकी दशा में सुधार हो सके। आज पंचायती राज तथा सहकारिता-क्षेत्र सम्बन्धी संस्थाओं में प्रगति हो रही है। यद्यपि यह प्रगति धीमी है किन्तु ग्रामीण जनता के जीवन से सम्बन्धित सभी पहलुओं से विचार की जाने वाली सामुदायिक विकाश खण्डों की यह प्रगति उन सभी संसाधनों के शीघ्र विकास किये जाने पर अवलम्बित होगी जो कि वहां उपलब्ध हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि जीपों का यथा सम्भव दुरुपयोग न किया जाये, सरकार अनुदेशों तथा नियमों द्वारा ठोस रुप में कदम उठायेगी, हम यह भी प्रयत्न करेंगे कि खण्ड-पदाधिकारी गांवों में जाकर रात को वहां ठहरें जिससे कि उन्हे ग्रामीण जनता से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने एवं उनकी वास्तविक दशा से अवगत होने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूं कि मुझे इस बारे में अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं आशा करता हूं कि मेरे कथन को ध्यान में रखते हुये संकल्प के प्रस्तावक महोदय अपना प्रस्ताव वापिस ले लेगें।

Shri Kishen Pattnayak: I am not prepared to withdraw my Resolution. Sir, it is not a sound argument advanced by the hon. Minister that there is no well-maintained communications and transport facility in the rural areas and as such the jeep has been provided. A large sum of 5 crores of rupees has been spent on the jeeps in the Community Development Blocks which could be used to provide other facilities connected with Communications and transport such as construction of roads etc.

A block covers a very limited area compared to that of an S.D.O. or a Police Inspector, who have to undertake much more travels or tours of their area concerned rather than the BDO. But no jeep has been provided to them, even then they are discharging their duties very nicely and efficiently.

The main spirit of my Resolution is to remove the jeep mentality of the officials which is in consonance with the statement made by the hon. Prime Minister, I agree to the amendment moved by Shri Yashpal Singh.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री यशपाल सिंह का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "प्रधान मंत्री द्वारा 18 सितम्बर, 1964 को की गई घोषणा के अनुसार, यह सभा सरकार को अनुरोध करती है कि 26 जनवरी, 1965 तक सामुदायिक विकास खंडों से जीप गाड़ियों हटाने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाये"।

संकल्प अस्वीकृत हुआ

The Resolution was negatived

ठेके के श्रमिकों की प्रणाली की समाप्ति के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: ABOLITION OF CONTRACT LABOUR SYSTEM

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "इस सभा की यह राय है कि बड़े पैमाने पर ठेके के श्रमिकों का नियोजन, श्रमिकों और राष्ट्र के हित के लिये हानिकारक

[श्री नम्बियार]

है और यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि इस प्रथा को सम्पूर्ण रुप से समाप्त करने के लिये तुरन्त कदम उठाय जायें"।

मैं यह संकल्प उन श्रमिकों की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं जिनको किसी भी विधि का लाभ नहीं है। इन ठेके के श्रमिकों की संख्या कई करोड़ है। उन श्रमिकों की संख्या बहुत कम है जिनको विधि का लाभ है। योजना आयोग ने ठेकेके श्रमिकों के नियंत्रण के लिये विधान बनाने का सुझाव दिया था। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रणाली को समाप्त किया जाय। योजना आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि इस प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त करना चाहिये। जिन मामलों में इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, वहां इसे उस विधान के अन्तर्गत ले आना चाहिये जो अन्य श्रमिकों पर लागू होता है।

श्रम मंत्रालय ने भी इस समस्या का अध्ययन किया। उनके प्रतिवेदन में भी ठेके के श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रतिवेदन से यह भी पता चलता है कि ठेके के श्रमिकोंकी दशा हर जगह पर बहुत ही शोचनीय है। प्रश्न यह है कि सरकार इस प्रणाली को समाप्त करना चाहती है कि नहीं। श्रम मंत्रालय का रवैया ठेके की श्रमिक व्यवस्था की किसी सीमा तक विनियमित करने का लगता है, न कि इसको समाप्त करने का। इस सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय ट्रेड यनियनों को एक परिपत्र जारी किया था जिसके साथ विधेयक का मसौदा भी था। स्थायी श्रम समिति की बैठक में भी इस प्रश्न पर विचार हुआ। इसमें बिड़ला और टाटा जैसे बड़े उद्योगपति भी उपस्थित थे। उन्होंने प्रारुप विधयक पर विचार करने के लिये अधिक समय की मांग की। और मुझे आशंका है कि इन चर्चाओं में से कुछ भी ठोस नहीं निकलेगा। मिल-मालिकों की प्रतिक्रिया इस परिपत्र में दी हुई है। वह इस विधेयक को लानाही नहीं चाहते, और यदि मजदूरों के दबाव से लाया भी गया, तो इसको बिलकुल प्रभावहीन बना देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार भी बहुत बड़ी मालिक है। इसके विभिन्न विभागों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वह भी ठेके के श्रमिकों के बारे में विधान बनाने के पक्ष में नहीं हैं। श्रम विभाग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण तथा राज्य लोक निर्माण जैसे सरकारी विभागों द्वारा आम तौर पर परियोजनाओं में 80–90 प्रतिशत तक श्रमिक ठेके पर रखे जाते हैं। कई कर्मचारी तो पांच वर्ष से काम कर रहे हैं। जब एक विशष परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो ठेके के श्रमिकों को किसी अन्य निर्माण कार्य पर जाना पड़ता है। उनको विभाग के कर्मचारी के रुप में नहीं रखा जाता। रेलवे में दो प्रकार के ठेके के श्रमिक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में 'सी' बिजली घर का खराब हो जाना

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I beg to call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matters of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"The breakdown of 'C' Power Station in Delhi on 10th September, 1964".

श्री श्यामधर मिश्र (सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालयमें उपमंत्री) : 10 दिसम्बर, 1964 को सवा आठ बजे रात को दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में बिजली बन्द हो गई। बिजली बन्द

होने का कारण यह था कि 'सी' बिजली घर को इन्द्रप्रस्थ उप बिजली घर के साथ मिलाने वाले फीडर के पोल केबल बक्स में खराबी हो गई। इसके फलस्वरूप 'ए' 'बी' और 'सी' तीनों बिजली घरों के तीनों बिजली बनाने वाले एककों तथा उन बिजली घरों के नीचे की तीन टाइ-लाइनों में भी खराबी हो गई। जिन क्षेत्रों को नंगल से बिजली मिलती है, वहां बिजली बन्द नहीं हुई। 'ए' और 'बी' बिजली घरों के जनन एकक रात के 8.25 और 8.45 पर पुनः चालू कर दिये गये थे। 'सी' बिजली घर का जनन एकक रात के 8.55 को चालू हो गया। 'ए' 'बी' और 'सी' बिजली घरों के सभी फीडरों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया जिससे कि रात को 8.26 से 9 बजे तक सभी क्षेत्रों में बिजली चालू हो गई। मैं भी बिजली घर गया और उस स्थान को देखा जहां केबल बक्स में खराबी आ गई थी। केबल बक्स की मरम्मत हो जायगी, और उसके खराब होने के कारणों में भी जाच की जायगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Delhi being the capital of India, what steps are being taken to prevent the recurrence of such incidents and what steps the government is taking to meet the power shortage in Delhi.

Shri Shyam Dhar Misra : New power stations are being Commissioned to meet the power shortage. As far as interruption are concerned they have become a matter of the past. Yesterday's incident can only be called an accident.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What steps are being taken to prevent the recurrence of such incidents.

Shri Yashpal Singh : Have you estimated the industrial loss in the capital ?

Shri Shyam Dhar Misra : We have not estimated the industrial loss in this half an hour.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 14 दिसम्बर, 1964/23 अग्रहायण, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the 14th December, 1964/Agrahayana 23, 1886 (Saka)

GIPN—S4—8 Lok Sabha/65—17-7-65—600.